राजभाषा भारती

वर्ष: 39 अंक: 146 जनवरी-मार्च 2016

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

जन जन की भाषा है हिंदी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिव श्री गिरीश शंकर

राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा की पुस्तक 'प्रेम विवाह और खिटपिट' का विमोचन करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू व अन्य अतिथिगण

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 39

अंक : 146

(जनवरी-मार्च, 2016)

➩ **संरक्षक**

हेम पाण्डे

सचिव, राजभाषा विभाग

➩ **परामर्शदाता**

डॉ॰ बिपिन बिहारी

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

➩ **संपादक**

डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल

संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

दूरभाष-011-23438250

➩ **उप संपादक**

डॉ॰ धनेश द्विवेदी

दूरभाष-011-23438137

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक,

राजभाषा विभाग

एन डी सी सी भवन -II,

चौथा तल, बी विंग

नई दिल्ली-110 001

ईमेल-patrika-ol@nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिए:

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
● **संपादकीय**		
● **चिंतन**		
1. हिंदीतर राज्यों में व्यावहारिक हिंदी की दशा, दिशा व सभावनाएं	- डॉ॰ शुभ्रता मिश्रा	1
2. हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में विलंब ठीक नहीं	- मुरलीधर वैष्णव	4
3. राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा हिंदी का स्वरूप	- दानबहादुर सिंह	6
4. राजभाषा हिंदी—अपना रूप अपनी समस्यायें	- उपेंद्र कुमार शुक्ल	9
● **वैश्विक परिदृश्य**		
5. हिंदी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है	- डॉ॰ प्रभु चौधरी	11
6. विश्व भाषा के रूप में हिंदी	- वीरेंद्र कुमार यादव	14
7. संयुक्त राष्ट्र में हिंदी	- डॉ॰ करुणा शंकर उपाध्याय	18
8. गिरमिटिया देशों में हिंदी	- घनश्याम तिवारी	25
● **सांस्कृतिक**		
9. सांस्कृतिक समन्वय की भूमि; पूर्वोत्तर भारत	- प्रो॰ हेमराज मीणा 'दिवाकर'	27
● **अनुवाद**		
10. अनुवाद कला का व्यावहारिक पक्ष	- राजीव कुमार सिंह	30
11. कार्यालयी सामग्री के कुशल अनुवाद के तरीके	- अंजना राणा	32
● **विशेष**		
12. वर्तमान युवा पीढ़ी को तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का संदेश	- गिरधारीलाल विजयवर्गीय	35
13. हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना का प्रचार	- संजय चौधरी	40
14. डाटा विश्लेषण और बैंकिंग	-नितिन नेगी	44
● **विविध**		47

संपादकीय

किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके पास एक सशक्त भाषा हो। भाषा केवल विचारों की संवाहिका ही नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इसलिए सही अभिव्यक्ति हेतु सशक्त भाषा का होना बेहद जरूरी होता है। राजभाषा विभाग इसी दिशा में प्रयासरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करें और सहकर्मियों को इस बात के लिए प्रेरित भी करें।

राजभाषा भारती का यह अंक आपके हाथों में है। प्रस्तुत अंक में एक ओर राजभाषा हिंदी के प्रति चिंता प्रकट की गई है तो दूसरी ओर वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाया गया है। ''अनुवाद की कला'' तथा ''कुशल अनुवाद के तरीके'' जैसे लेख पाठकों को अनुवाद की बारीकियों से परिचित कराते हैं। इस अंक में ''पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक समन्वय'' को कलमबद्ध किया गया है। युवा पीढ़ी को तुलसीकृत महाग्रंथ श्री रामचरितमानस के संदेश से भी अवगत कराया गया है। विशेष क्षेत्र के अंतर्गत डाटा बैंकिंग (विश्लेषण) तथा हिंदी के माध्यम से ''वैज्ञानिक चेतना का प्रसार'' जैसे लेख पाठकों को नई-नई जानकारी प्रदान करते हैं।

जनवरी तथा फरवरी माह में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तीन क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों तथा पुरस्कार समारोहों का आयोजन किया गया, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट इस अंक के माध्यम से पाठकों तक प्रेषित की गई है। इसके साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक, कार्यशालाओं, पुरस्कार तथा पाठकों के पत्रों को भी स्थान दिया गया है।

सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया एवं सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

चिंतन

हिंदीतर राज्यों में व्यावहारिक हिंदी की दशा, दिशा व संभावनाएं

— डॉ॰ शुभ्रता मिश्रा

किसी भी तथ्य की वर्तमान दशा पर उसकी दिशा निर्धारित होती है और दिशा के निर्धारण के पश्चात् उसकी सीमा रेखा पर अंकित किए गए धनात्मक व ऋणात्मक विंदुओं की संख्या के आधार पर गणितीय तौर पर भविष्य के परिणामों से संबद्ध संभावनाएं जताई जा सकती हैं। वर्तमान में समूचे भारत में चाहे वे हिंदी भाषी राज्य हों अथवा हिंदीतर राज्य हों, हिंदी का बढ़ता प्रभाव देखा जा सकता है।

हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा भी है। यूनेस्को के दस्तावेजों के अनुसार, मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की अधिकतर और नेपाल की कुछ जनता हिंदी बोलती है। भारत में हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के वे राज्य जहां हिंदी का प्रयोग अत्यंत नगण्य रहा है, उनको अधिकारिक तौर पर हिंदीतर राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है।

हिंदीतर राज्यों से तात्पर्य भारत के उन राज्यों से है, जहां हिंदी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं है, वरन् वहां हिंदी या तो राजभाषा की अनिवार्यता के रूप में अथवा हिंदी भाषियों से वार्तालाप के लिए प्रयुक्त होती है। इन राज्यों को ''ग-क्षेत्र'' में वर्गीकृत किया गया है। इन राज्यों के अंतर्गत केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और गोवा शामिल हैं। इन ''ग-क्षेत्रीय'' राज्यों में से अधिकांश वे राज्य हैं, जिन्हें पूरी तरह से हिंदीतर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनकी मातृभाषाएं कहीं न कहीं हिंदी से कुछ न कुछ संबंध अवश्य रखती हैं। परंतु दक्षिण भारत के विशेष चार राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मातृभाषाएं क्रमशः मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाएं हैं, जो द्रविड परिवार की हैं और हिंदी का सभी भारतीय भाषाओं के साथ साम्य भाव रहा है। यही कारण है कि प्रारम्भ से ही सभी भारतीयों का एक समान मत रहा है कि हिंदी से ही राष्ट्रीय एकता संभव है। भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण धारा हिंदी भाषा से ही सुरक्षित रह सकती है।

इसी संदर्भ में एक सुखद पहलू उभरकर आया है कि देश में जब से हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप चलन में आया है तब से भाषायी तौर पर हिंदी का विकास बहुत अधिक दिखाई देता है। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, ऐसा उद्देश्य रखकर ही हिंदी के इस स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। प्रयोजनमूलक हिंदी आज हमारे देश में वृहत पैमाने पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का सेतु बनाने में इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपना बनाने

की ओर आकृष्ट किया है, तो दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों,रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, प्रबंधन के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मुहरों, नामपट्टिकाओं, स्टेशनरी के साथ-साथ विभिन्न तरह के पत्रों जैसे कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, प्रेस-विज्ञाप्ति, निविदा,आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वत: सिद्ध कर दिया है। सार रूप में कहें तो अब देश के प्रत्येक राज्य चाहे वे हिंदीभाषी हों अथवा हिंदीतर भाषी हों में विशुद्ध रूप से न सही परन्तु प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग हर जगह दिखाई देता है।

हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप इसके व्यावहारिक बोलचाल के प्रयोग से भिन्न होता है क्योंकि किसी भी भाषा का अपने जातीय क्षेत्र से बाहर प्रयोग राजनीतिक, सांस्कृतिक या वाणिज्यिक कारणों से संभव होता है। जातीय भाषा के रूप में प्रयोगकर्ताओं के अलावा एक बड़ी संख्या उसका प्रयोग द्वितीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में करने लगती है। हिंदीतर राज्यों में हिंदी इसी श्रेणी में रखी जा सकती है। अपने भूगोल से बाहर कोई भी भाषा, प्रकाशित-प्रसारित रूप में किसी दूसरे जातीय क्षेत्र के मौलिक भाषाई व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाती। किसी भी जातीय क्षेत्र का मौलिक और सर्जनात्मक चिंतन उसकी अपनी भाषा के माध्यम से ही साकार हो पाता है।

इन द्रविड भाषायी दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हिंदी का प्रवेश धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक कारणों से उत्तर भारत के लोगों के दक्षिण में आने-जाने की परंपरा शुरू होने के साथ हुआ था। विशेष रूप से चौदहवीं से अठारहवीं सदी के बीच भारत के दक्षिणी भू-भाग पर जब मुस्लिम शासकों का आधिपत्य हुआ तो उस दौरान हिंदी भाषा का एक नया स्वरूप चलन में आया उसका नाम था 'दक्खिनी हिंदी'। दक्खिनी हिंदी का विकास एक जन भाषा के रूप में हुआ था। इसमें उत्तर-दक्षिण की कई बोलियों के शब्द जुड़ जाने से यह आम आदमी की भाषा के रूप में प्रचलित हुई। वर्तमान में हिंदीतर राज्यों में हिंदी की दशा का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में वास्तव में जहां हिंदी लोकप्रिय भी है, समझी भी जाती है और सम्मानित सी भी दिखती है।

भारत में हिंदीतर राज्यों विशेष रूप से इन चार दक्षिण भारतीय राज्यों में स्वतंत्रता के पूर्व, फिर स्वतंत्रता के निकटस्थ कालों में और शनै: शनै: वर्तमान तक आते आते हिंदी के दशा-स्वरूप में एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। दक्षिण के हिंदीतर राज्यों को इस संज्ञा के साथ संबोधित करना हमारी आज की अनिवार्यता सी हो गई है क्योंकि हिंदी यहां इतर की स्थिति में है। वरन् तो ये वही राज्य हैं जहां शताब्दियों पूर्व केरल प्रांत में 'स्वाति तिरुनाल' के नाम से सुविख्यात तिरुवितांकूर राजवंश के राजा राम वर्मा (1813-1846)हिंदी के निष्णात् साहित्यकारों में से एक थे। इसी तरह ये वही राज्य हैं जहां दक्षिण के प्रमुख संतों वल्लभाचार्य विट्ठल, रामानुज, रामानन्द आदि ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिंदी में ही किया है क्योंकि इन सभी का अडिग विश्वास था कि भारत में उनके वैचारिक संवहन का एक मात्र सशक्त साधन हिंदी ही हो सकती है। और ये वही राज्य हैं जहां तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्यम् भारती ने अपनी तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से विशेषरूप से दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया था। और अधिक दूर न जाया जाए तो ये वही राज्य हैं जहां हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले प्रस्ताव को रखने वाले प्रथम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय विद्वान श्री गोपालस्वामी अय्यंगर थे, जिसे 14 सितम्बर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। हां आज इन्हीं हिंदी विद्वान समृद्ध राज्यों को हिंदीतर कहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एक

आशा की किरण पिछले कुछ दशकों से पुनः प्रस्फुटित सी होती दिख रही है, क्योंकि वर्तमान में हिंदी भाषा को दक्षिण भारत तक पहुंचाने में कार्यालयीन व प्रशासनिक गतिविधियों ने एक उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका निभाते हुए भिन्न भाषा-भाषियों के मध्य इसे भावों और विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त एवं स्वीकृत भाषा का रूप प्रदानकर वहां इसे पुनः प्रचलित कर पाने में प्रशंसनीय सफलता पाई है।

भारत के द्रविडभाषी हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी के व्यापक प्रसार के लिए गांधी जी की प्रेरणा से हिंदी के प्रचारकों का एक दल गठित किया गया था। इस दल के प्रचारकों में पंडित हरिहर शर्मा, श्री देवदूत विद्यार्थी, मोटूरि सत्यनारायण, भालचंद्र आप्टे, पट्टाभि सीतारमैया, एस॰आर॰ शास्त्री आदि ने हिंदी के प्रति अपनी निःस्वार्थ त्याग-भावना एवं तपस्या-मूलक जीवन को मूलाधार बनाते हुए दक्षिण-भारत के प्रत्येक भूभाग में रहकर एवं वहां जा-जाकर हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए परम स्तुत्य कार्य किए हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए शारंगपाणि, बालशौरि रेड्डी, शौरिराजन, चंद्रमौलि, एस॰ सदाशिवम्, के॰वी॰ रामनाथ, एम॰ सुब्रह्मण्यम्, पी॰ के॰ बालसुब्रह्मण्यम्, डॉ॰ एन॰ सुन्दरम, वेंकट सुब्बाराव, मुडुंबि नरसिंहाचार्य, मल्लादि वेंकट, सीतारामांजनेयुलु, दंमालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, मेडिचर्ल वेंकटेश्वर राव, एस॰वी॰ शिवराम शर्मा, भट्टारम वेंकट सुबय्या, आंजनेय शर्मा, जी॰ सुन्दर रेड्डी, बोयपाटि नागेश्वर राव, पंडित वेंकटाचलय्या, पी॰के॰ केशवन नायर, के॰ भास्करन नायर, पंडित सी॰वी॰ जोसेफ आदि अनेक हिंदीसेवियों के नाम सदैव आदर के साथ लिए जाते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् का कालखण्ड दर्शाता है कि धीरे धीरे हिंदी के लिए संस्थापित संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने की परंपरा शुरू की गई थी। इन संस्थाओं में विशेषरूप से केरल की 1934 में स्थापित की गई केरल हिंदी प्रचार सभा, आंध्रप्रदेश की 1935 में स्थापित हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद और कर्नाटक की 1939 में प्रतिष्ठित की गई कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, 1943 में मैसूर हिंदी प्रचार परिषद् तथा 1953 में कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति सम्मिलित हैं। इन सभी समितियों के संस्थानों द्वारा हिंदी प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न हिंदी परीक्षाओं का संचालन कर उच्च शिक्षा एवं शोध की औपचारिक उपाधियां प्रदान की जाती हैं। ये समस्त संस्थाएं हिंदी प्रचार कार्य में अपने ढंग से सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

सरकारी स्तर पर भारत के सभी राज्यों में हिंदी के प्रयोग को लेकर कार्यालयीन स्तर पर जो मुहिम चल रही है वह प्रशंसनीय है। इस दिशा में कुछ और सार्थक पहल व प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। जैसे कि जो हिंदीभाषी लोग हिंदीतर राज्यों में रह रहे हैं, कम से कम वे उनसे हिंदी में वार्तालाप के माध्यम से हिंदी के प्रति उनको आकर्षित करें।

वर्तमान में सोशल मीडिया ने हिंदी की दशा और दिशा को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही हिंदी की साख से प्रेरित होकर हिंदीतर राज्यों के लोग भी फेसबुक और इण्टरनेट के माध्यम से हिंदी के निकट आ रहे हैं। हिंदी के लिए किए जा रहे प्रयासों से इस दिशा में विकास निःसंदेह दिखाई दे रहा है। हिंदी हिंदीतर राज्यों के साथ साथ समस्त भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी अपना सम्मानित गौरवपूर्ण स्थान बना सकेगी, ऐसी संभावना से तनिक भी इंकार नहीं किया जा सकता। जब हम दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के साथ, मनोग्रंथि की मानसिकता से परे होकर हिंदी को उसके समानुकूल स्थान पर स्थापित करने की दिशा में प्रयास करेंगे, तो अनुकूल संभावनाएं जन्म लेंगी और वह दिन दूर नहीं होगा कि अगले आने वाले वर्षों में हम हिंदी का विश्लेषण एक विश्व भाषा के रूप में करेंगे।

वास्को-द-गामा, गोवा❑

हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में विलंब ठीक नहीं

— मुरलीधर वैष्णव

स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह गम्भीर रूप से महसूस किया गया कि आज़ाद भारत की अपनी राष्ट्रभाषा हो क्योंकि कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा ही होता है। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं और विशेषत: उर्दू व अंग्रेजी के दखल के चलते राष्ट्रभाषा की घोषणा के सम्बन्ध में कुछ सावधानी बरती गई। फलत: 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारत सरकार (केन्द्रीय) की राजभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। जैसा कि सर्वविदित है कि मतों की राजनीति ने देश की एकता, अखंडता, चरित्र और समृद्धि पर सदा गहरा आघात पहुंचाया है, राष्ट्रभाषा का विषय भी इस राजनीति के जहर से अछूता नहीं रहा। जहां अन्य प्रांतीय भाषाओं को राष्ट्रहित में हिंदी को अपनी बड़ी बहन स्वीकारते हुए सर्वसम्मति से उसे राष्ट्रभाषा मानने में सहमति देनी चाहिए, वहीं उन्होंने समर्थन के स्थान पर भारी विरोध किया। परिणामस्वरूप 1963 में केन्द्रीय सरकार ने अंग्रेजी को आगे जारी रखने के लिए मान्यता दे दी।

आज जब कि हिंदी करीब 30 करोड़ भारतवासियों की मातृभाषा और चालीस करोड़ लोगों की दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है; जिसे गांधीजी ने अपने स्वतंत्रता आन्दोलन में भारत की एकता की भाषा कहा हो; जो आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरे क्रम की भाषा हो; जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, मारीशस, त्रिनीदाद, सुरीनाम आदि अनेक देशों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाया, बोला और समझा जाता हो, वहां हिंदी को यदि सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई गई है तो इस देश की क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्ति ने। भारतीय समाज पर पश्चिमी देशों की भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी संस्कृति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी बोलना, उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग को अपमानजनक लगता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को हिंदी में बोलने पर जुर्माना तक कर दिया जाता है। अपनी ही मातृभाषा को अपनों के हाथों ही जो दंश झेलना पड़ता है, वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

लेकिन दूसरी ओर यह सुखद सच्चाई भी है कि हिंदी गंगा के पवित्र प्रवाह की भांति गतिमान है। आज न केवल भारत का अपितु विश्व का शायद ही ऐसा कोई भाग हो, जहां हिंदी बोली या समझी नहीं जाती हो। इसके लिए हिंदी सिनेमा, दूरदर्शन पर प्रसारित दर्जनों रोचक कार्यक्रमों व समाचार पत्र पत्रिकाओं की भारी देन है। संगीत के क्षेत्र में चाहे सा रे ग म हो या इंडियन आइडोल या फिर रामायण, महाभारत या अन्य पौराणिक, ऐतिहासिक कार्यक्रम हों या हास्य प्रधान कार्यक्रम हों सभी ने हिंदी के प्रचार को भारी बल प्रदान किया है। आज के वैज्ञानिक युग में वैश्वीकरण को देखते हुए पूरा विश्व एक बाजार दिखाई देता है और इस बिन्दु पर एक सौ बाइस करोड़ के इस विशाल देश की आम भाषा हिंदी के प्रति कोई बेरुखी नहीं रख सकता।

हिंदी राष्ट्रभाषा न बने इसके लिए क्षुद्र राजनीतिक क्षेत्रीयवादी प्रवृतियों ने कभी उर्दू तो कभी दक्षिण की भाषाओं को उकसाया। यद्यपि अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है लेकिन वास्तविकता यह भी है कि स्वयं 'हिंदी' शब्द फारसी भाषा से आया, जिसे मुगलों तक ने प्रोत्साहित किया। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाले पहले मुगल कवि थे। उर्दू तो वैसे भी हिंदी की बहन ही है, जिसके अनेक शब्द हिंदी में मिलकर हिंदुस्तानी को आम बोलचाल की भाषा बना देते हैं।

दक्षिण में अब हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाने लगा है। स्वयं देवगोड़ा ने हिंदी के प्रोत्साहन का समर्थन किया। करुणानिधि ने अपने एक राजनीतिक भाषण में हिंदी में कविता पाठ किया। इसी प्रकार जयललिता को भी हिंदी बोलते देखा गया है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी भाषा सहज सद्भाव की भाषा है। उन्होंने अपना भाषण 'नमस्ते! क्या हालचाल हैं।' से आरम्भ किया।

हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित न करने में 68 वर्ष की असहनीय देरी हो चुकी है। 41 वर्ष पूर्व डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने भी अपने एक वक्तव्य में कही थी—''जिस भांति आज की राजनीति दलगत संघर्षों में उलझकर सम्पूर्ण भारत की अखंडता के सम्बन्ध में प्रश्न चिन्ह लगा रही है, उसी प्रकार भाषा को भी राज्य से बांटकर उसे प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र में लाकर दयनीय बना दिया गया है।'' आगे उन्होंने इस विषय पर अपना दुख यों प्रकट किया—''ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न को टालने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी हमारा सद्भाव है और उनकी उन्नति तथा विकास के हम समर्थक हैं, किन्तु हिंदी को अन्य प्रांतीय भाषाओं के समानांतर रखने से न तो हिंदी ही बढ़ सकेगी न अन्य भाषाएं ही। हिंदी को पूर्णरूप से अंग्रेजी का स्थान लेने के लिए कोई विशिष्ट अवधि भी निश्चित नहीं है। इस प्रकार संविधान की अवज्ञा और अपमान से व्यथित होकर उन्होंने अपने राजकीय सम्मान, व अलंकरण तक लौटा दिए।

हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के वैचारिक आन्दोलन में प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, के॰एम॰ मुंशी, राहुल सांकृत्यायन, वैशम्पायन, अमृतलाल चक्रवर्ती, माखनलाल चतुर्वेदी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, सुनीति कुमार चटर्जी, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, मिश्र बंधुगण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' एवं वर्तमान समय के अनेक वरिष्ठ हिंदी साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया।

एक बात स्पष्ट है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपा तो नहीं जा सकता, लेकिन अब बात थोपने की स्थिति से बहुत आगे आ चुकी है। दरअसल हिंदी के बढ़ते प्रभाव और वर्चस्व ने इसे देश की सर्वाधिक प्रचलित भाषा के रूप में स्थापित कर दिया है। वक्त की तेजी से बदलती करवट के साथ हिंदी भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में उनकी बड़ी बहन ही नहीं अपितु मातृ स्वरूप भाषा बन चुकी है। इसके साहित्य की समृद्धता स्पष्ट है। अन्य भाषाओं की क्षेत्रीय दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठकर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक एकता अखंडता तथा समरसता के लिए सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का समर्थन करना चाहिए। साथ ही भारतवासियों को अपने देश की अन्य प्रांतीय भाषाओं की भी प्राथमिक बोलचाल स्तर का ज्ञान प्राप्तकर, अन्य प्रांतीय भाषाओं के विकास और उत्थान के प्रति भी उदार होना होगा।

वस्तुतः भारत जैसा वैविध्यपूर्ण देश एक विशाल फूलों के उद्यान की तरह है, जिसमें हर भाषा की अपनी महक है। हिंदी उनमें गुलाब का फूल है। हिंदी हमारे प्यारे हिन्दुस्तान के मस्तक की बिंदी है।

—●●—

पूर्व न्यायाधीश
ए-77, रामेश्वर नगर, बासनी प्रथम,
जोधपुर-342005
मो॰नं॰ 09460776100

❑

राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा हिंदी का स्वरूप

— दानबहादुर सिंह

भाषा किसी भी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय और प्रदेश की प्रगति का संवाहक और विचार-विनियम का साधन है, वह एकता की शृंखला और उन्नति का सन्मार्ग है। भारत जैसे विशाल देश में जहां नाना धर्म, भाषाएं, जातियां और संप्रदाय के लोग एक साथ मिल-जुल कर रहते हैं और भिन्न-भिन्न भाषाएं, बोलियां बोलते हैं, इसके बावजूद हमारे यहां भाषा को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। भाषा को लेकर हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। परंपरा से चली आती हुई हमारी भारतीय भाषाएं समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर हैं। हिंदी भाषा भाषी अहिंदी भाषा भाषी से सम्पर्क स्थापित करने के लिए राजभाषा का सहारा लिया जा रहा है, यही सब सोच समझ कर महात्मा गांधी ने कहा था कि 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है' 15 अगस्त 1947 को बी॰बी॰सी॰ ने अपने प्रसारण में कहा था, ''गांधी अंग्रेजी नहीं जानते, अर्थात् गांधी जी अंग्रेजी भाषा के पक्ष में नहीं थे।''

इस प्रकार राष्ट्रभाषा से राजभाषा की यात्रा लम्बी कही जा सकती है क्योंकि राष्ट्रभाषा का जो रूप आज हमारे सामने है, संभवत: उसका अम्युदय 11वीं शताब्दी में हुआ था, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल तक पहुंचते-पहुंचते हिंदी राष्ट्रभाषा का रूप निखर चुका था। संस्कृत से विकसित प्राकृत, अपभ्रंश, देशभाषा, अवहट्ठ डिंगल अथवा पिंगल इन सभी बोलियों अथवा उपभाषाओं में बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं नाथ पंथियों, जोगियों और महात्माओं ने जन-समुदाय के बीच घूम-घूम कर अपने उपदेशों और सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया था। इन के प्रचार-प्रसार का माध्यम लोक बोलियां अथवा जन-भाषाएं थीं। पंण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि साहित्य मनीषियों ने इन का नामकरण पुरानी हिंदी किया। कालान्तर में मैथिल कोकिल विद्यापति ने राघा कृष्ण की प्रेम-लीलाओ का वर्णन 'देसिल बयना' अथवा 'अवहट्ठ' में किया। अब्दुर्रहमान ने 'संदेश रासक' की रचना की, उसे हिंदी का पूर्ववर्ती रूप माना जाता है। अमीर खुसरों उसे हिन्दुई, हिंदवी अथवा हिंदी कह कर सम्बोधित किया। इस प्रकार फारसी-हिंदी मिश्रित भाषा शैली को दक्खिनी अथवा दक्कनी कहा गया।

आदिकाल से चलते-चलते हिंदी भक्तिकाल तक पहुंची, वास्तव में वही हमारे देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। भक्तिकाल के शीर्षस्थ सन्तों और महात्माओं जिन में कबीर, जायसी, तुलसी, केशव और गुरु गोविन्द सिंह का नाम सर्वोपरि कहा जा सकता है, आदि ने हिंदी को भाषा कह कर संबोधित किया, दक्षिण भारत के अनेक दार्शनिक भक्तिरस में डूबे उत्तर भारत विशेषत: काशी (वाराणसी) प्रयाग, वृदावन और द्वारिका पहुंचे। उन्होंने काशी पहुंच कर संस्कृत व्याकरण और पुराणों का गहन अध्ययन किया, इन दार्शनिकों ने संस्कृत के पौराणिक ग्रन्थों की संस्कृत में ही मौलिक ढंग से मीमांसा की, तद्नुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महात्माओं ने जनभाषा में अपने-अपने ढंग से भक्ति का बीज बोया, धीरे-धीरे वही भक्तिकाल हिंदी का स्वर्णयुग बन गया।

आधुनिक युग आते-आते हिंदी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक बन गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व भलीभांति कायम हो चुका था। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को देश में पनपने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अंग्रेज शासक प्रशासन का माध्यम अपनी भाषा अर्थात् अंग्रेजी चाहते थे। यहां उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द का कथन उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, ''भारत की राष्ट्रीयता एक राष्ट्रभाषा पर निर्भर है और दक्षिण के हिंदी प्रेमी राष्ट्रभाषा का प्रचार कर के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रभाषा का बोध हो ही नहीं सकता जहां राष्ट्र है, वहां राष्ट्रभाषा का होना लाज़िमी है, अगर सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़ेगा।''

1850 ई॰ के आसपास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की

स्थापना के पश्चात् ब्रिटिश शासकों ने अपनी भाषा-की कूट-नीति से शिक्षा नीति और भाषा-नीति का जाल फैलाया। उसमें हिंदी को भी कुछ स्थान दिया। इसी उद्देश्य से 1800 ई॰ में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट ने हिंदी को सीखने के लिए विशेष व्यवस्था की, उन्होंने हिन्दुस्तानी की लोकप्रियता के बारे में कहा था कि ''भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कोलकाता से ले कर लाहौर तक, कुमाउं के पहाडों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिक्खों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहां मैंने मांग की है, मैंने उस भाषा का काम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूं कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते हैं।'' (जे॰बी॰ गिल क्रिस्ट: एक वैकुबलरी हिन्दुस्तानी एण्ड इंग्लिश, इंग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी से उद्धृत) यहां हिन्दुस्तानी से अभिप्राय खड़ी बोली हिंदी से है। यहां हिन्दुस्तानी का फैलाव स्पष्ट झलकता है, हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा हिंदी को सुदृढ़ करने, प्रचार-प्रसार करने में पत्रकारिता का भी स्पष्ट योगदान दिखाई देता है। 30 मार्च 1826 ई॰ कोलकाता से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड कहता है: ''यह उदन्त मार्तण्ड अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित जो आज तक किसी ने भी नहीं चलाया पर अंग्रेजी जो बंगाल में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों को जानने और पढ़ने वालों को ही होता है, और सब लोग पराए सुख से सुखी होते हैं जैसे पराए धन से धनी होना।'' (प्रथम संपादकीय का एक अंश)। उदन्त मार्तण्ड ने खुले आम अंगेजों की खिलाफत की। यहीं नहीं राष्ट्रीय-चेतना के सन्दर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को ही स्वीकार करने की शुरूआत की, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने कहा था, ''जैसे 19वीं शताब्दी में बंगोत्पन्न भारतीय नेताओं ने देश की धार्मिक एवं जातीय एकता के विषय में सावधान किया, उसी प्रकार पहले पहल यह आवाज भी बंगाल से उठी कि भारतीय राष्ट्रीयता की अभिवृद्धि के लिए अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करना नितान्त आवश्यक है, और वह भाषा एक मात्र एक हिंदी ही हो सकती है।'' (राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता), वरिष्ठ पत्रकार केशवचन्द्र सेन ने अपने समाचार पत्र में सन् 1857 ई॰ में कहा था, ''हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा बनाने के योग्य है। कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द और देश के अन्य श्रेष्ठ विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारने की पुरजोर शब्दों में वकालत की थी। भारतेन्दु के हृदयोद्गार देखिए:

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निजभाषा ज्ञन के मिटै ने हिय को शूल।
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि जत्न,
राज-काज दरबार में, फैलावहु यह रत्न।

महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इण्डिया में बारंबार सावधान किया था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है उन्होंने लिखा है, ''हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचा है। जिस तरह हमारी आजादी को जबरदस्ती छीनने वाले अंग्रेजों की सियासी हुकूमत हो हमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को दबाने वाली अंग्रेजी भाषा को भी यहां से निकाल बाहर करना चाहिए।''

राष्ट्रभाषा हिंदी जहां एक ओर अखण्ड भारत का जयघोष कर रही है और हिंदी साहित्य और भाषा को सशक्त कर रही है, वहीं देश के सम्पूर्ण प्रशासन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा की अहमियत में दिन प्रतिदिन, वृद्धि हो रही है। राजभाषा कोई एक अलग भाषा नहीं है; बल्कि उसकी तकनीकी शब्दावली इस तरह गढ़ी गई है; ताकि देश की टैकनॉलाजी के समर्थन में कार्य कर सके और प्रशासन को चला सके, 14 सितम्बर 1949 ई॰ को देश के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के समानान्तर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस आशय से किया था कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे और उसे समझा जा सके, राजभाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान-मण्डलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है, राष्ट्र भाषा की स्वीकृति संबिधान के अनुच्छेद 344 (I) और 351 के सन्दर्भ में, आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है। इसमें कुल चौदह भाषाएं दर्ज थीं। कालान्तर में इनकी संख्या बढ़ा कर कुल 22 भाषाएं कर दी गई, प्रादेशिक सरकारों के साथ प्रशासनिक तालमेल बिठाने के लिए और वहां के केन्द्रीय उपक्रमों में राजभाषा कायम करने के लिए सम्पर्क भाषा की अहमियत समझी गई, इसीलिए जहां आवश्यक हो गया,

वहां हिंदी कक्ष की स्थापना की गई; ताकि अनुवाद के माध्यम से हम एक दूसरे की आवश्यकता को समझ सकें, इस तरह हर जगह अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम किया जा सके। एक अखिल भारतीय भाषा की अहमियत समझते हुए भू॰पूर्व॰ प्रधानमंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ''हर प्रांत की सरकारी भाषा राज्य में कामकाज के लिए उस प्रान्त की भाषा होनी चाहिए। परन्तु हर जगह, अखिल भारतीय भाषा होने के नाते हिन्दुस्तानी को सरकारी तौर पर माना जाना चाहिए, अखिल भारतीय भाषा कोई भी हो सकती है तो वह सिर्फ हिंदी या हिन्दुस्तानी कुछ भी कह लीजिए, वही हो सकती है।'' इस प्रकार राजभाषा से अभिप्राय है— ''अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय कामकाज के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा।''

14 सितम्बर 1949 ई॰ को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद (जो 26 जनवरी 1950 ई॰ को स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू होने पर सन् 1952 ई॰ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए) ने कहा: ''आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और जिसे समय के अनुसार अपने आपको ढालना और विकसित करना होगा। हमने अपने देश का राजनीतिक एकीकरण संपन्न किया है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही, और भी एक दूसरे के निकट आएंगें।''

राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों, नियमों और अधिनियमों आदि को भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधानों एवं उपबंधों को चार वर्गों में बांट कर सुविधानुसार समझा जा सकता है: (1) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा (2) विधान मण्डलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा (3) संघ की राजभाषा (4) विधि-निर्माण और न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इन अनुच्छेदों में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में पन्द्रह वर्ष के स्थान पर पच्चीस वर्ष की छूट अंग्रेजी प्रयोग के लिए दी गई है। संघ की राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 (1) में कहा गया है— ''संध के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।''

भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी के प्रावधानों, नियमों और विनियमों को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा आयोग और राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन किया। इस आयोग और समिति की रिपोर्ट के अनुसार सन् 1965 ई॰ तक राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए संसद यथावश्यक विधि द्वारा निहित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को सह राजभाषा के रूप में प्रयोग करने पर विचार करें।

सम्पूर्ण देश की एकता को प्रोत्साहन देने, उसे सुदृढ़ करने के अभिप्राय से 'त्रिभाषा सूत्र' सभी राज्यों के लिए लागू किया जाए। इनके अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाई जाए, जिसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। इसी प्रकार अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। दिसम्बर 1989 में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था, ''सभी भर्ती परीक्षाओं के लिखित प्रश्नपत्रों में और साक्षात्कार में भी हिंदी के प्रयोग की सुविधा दी जाए, सभी प्रश्नपत्र हिंदी में भी अनिवार्य रूप से छपें। जहां अंग्रेजी का एक पृथक् प्रश्न-पत्र अनिवार्य है, वहां उसके विकल्प में हिंदी भाषा का प्रश्न-पत्र भी रखा जाए।''

इस प्रकार राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अन्तर और स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मुंशी आयंगार फार्मला के नाम से प्रसिद्ध मसौदे में कहा गया था, ''हमारी मूल नीति यह होनी चाहिए कि प्रशासन के कामकाज के लिए हिंदी देश की राजभाषा हो और देवनागरी सामान्य लिपि हो, मूल नीति का यह भी एक मुद्दा है कि सभी संघीय प्रयोजनों के लिए वे अंक काम में लाएं जाएं, जिन्हें भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप कहा गया है।''

कोठी नं॰ 3/16/3
ए॰जी॰ कॉलेज रोड,
पड़रा, रीवा-486 001 (म॰प्र॰)
मोबा॰ 97138-34483

❑

राजभाषा हिंदी–अपना रूप अपनी समस्याएं

— उपेन्द्र कुमार शुक्ल

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक कार्य कर सकती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को यह सम्मान इसलिए नहीं मिला कि इसका साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्य से श्रेष्ठ है, या यह भाषा सबसे पुरानी है। इससे श्रेष्ठ साहित्य तो तमिल बंगला मराठी आदि भाषाओं में मिलता है। और अन्य भाषाओं का साहित्य भी इसके साहित्य से कम नहीं है तथा यह बात भी नहीं कि अन्य भाषाएं पुरानी ना हो। वास्तव में यह सम्मान इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत में इसे बोलने तथा समझने वाले अन्य सभी भाषाओं से अधिक है। इसी कारण इससे अपेक्षा की गयी थी कि यह राजभाषा के रूप में सभी भारतीय भाषाओं के सहयोग से देश की आर्थिक प्रगति एवं भावात्मक एकता में सहायक सिद्ध हो सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदी सरकार कामकाज की भाषा के रूप में कार्य कर रही है।

यह बात स्पष्ट है कि राजभाषा का कार्य केवल प्रशासन की भाषा तक सीमित नहीं है बल्कि इसका कार्य सरकार की प्रत्येक आवश्यकता को भी देखना है। इसको देश की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा आदि कई दृष्टियों से प्रशासन कार्य तो संभालना ही होता है, इसके साथ–साथ देश की सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि संदर्भो में भी काम करना होता है। इसलिए राजभाषा का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा हिंदी का स्वरूप क्या है और यह सामान्य बोलचाल की हिंदी से कैसे अलग जा पड़ती है। वास्तव में प्रशासनिक साहित्य अन्य साहित्यों से भिन्न होता है। इसलिए इसकी प्रकृति काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता आदि से भिन्न होती है। इसका प्रकृति प्राय: तकनीकी और औपचारिक होती है। जो कुछ कहा जाता है। वह बंधे–बंधाएं वाक्यों या पारिभाषिक शब्दावली के भीतर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी अपनी शब्दावली होती है, अपनी संरचना होती है और यही इसका व्याकरण होता है। अपने कार्यक्षेत्र की भाषागत संरचना और शाब्दिक अन्विति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

किंतु यहां इस बात का उल्लेख करना संदर्भित नहीं होगा कि इसकी प्रकृति अन्य साहित्यों से भिन्न तो होती है किंतु वैविध्य की दृष्टि से यह अन्य साहित्यों अर्थात सर्जनात्मक साहित्य से कम नहीं है। जिस प्रकार का सरकारी साहित्य होगा उसी प्रकार भाषा का स्वरूप होगा। मसौदा–टिप्पणी, लेखन पत्राचार, संसदीय कार्य, प्रतिवेदन लेखन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य तक की भाषा अपने–अपने रूप को लिए होगी। इसलिए इसकी प्रकृति में भी वही विविधता पाई जाती है जिस प्रकार सर्जनात्मक साहित्य में विविधता मिलती है।

प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यंजना शक्ति होती है इसमें अभिधा, लक्षणा व्यंजना की अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। लेकिन कार्यालयी संदर्भ में राजभाषा में मुख्यत: अभिधा का प्रयोग होता है। इसमें यह अपेक्षा रहती है कि इसमें कम–से–कम संदिग्धार्थकता हो। इसकी वाक्य रचना एकार्थी हो न कि अनेकार्थी। इसलिए प्रशासन में प्रयुक्त भाषा के स्वत: स्पष्ट और स्वत: पूर्ण होने की मांग रहती है। इसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग रहता है। स्वीकृति, अनुमोदन के अलग–अलग संदर्भयुक्त प्रयोग है। इसी प्रकार आदेश, निदेश, अनुदेश अपना–अपना अलग आयाम रखते हैं।

प्रत्येक भाषा की शब्द रचना सामान्यत: समान स्रोतों से होती है और यह स्थिति हिंदी में भी है। किंतु राजभाषा हिंदी की शब्द रचना में विभिन्न स्रोत मिलते हैं। इसका कारण यह है कि इस देश में पहले संस्कृत राजभाषा रही है। बाद में अरबी–फारसी राजकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहीं और इसी कारण अदालतों की भाषा मिश्रित अरबी–फारसी प्रधान उर्दू शैली रहीं हैं। इसके बाद अंग्रेजी ने राजभाषा का स्थान लिया। इन सभी भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर पड़ना स्वभाविक था। शब्द निर्माण में मुख्य रूप से संस्कृत को आधार बनाया गया क्योंकि यह भाषा संश्लिष्ट प्रकृति की है। धातु के साथ उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग कर कई शब्दों का

निर्माण किया जा सकता है। यथा विधि-विधान-संविधान-संविधा-प्राविधान-विधायी-विधेयक-विधायिका-वैधानिक-संवैधानिक आदि। अरबी-फारसी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग मिलता है। जैसे दस्तावेज, जमातनामा, मंजूरी, मिसिल, मुचलका। अंग्रेजी के कई शब्द भी अपनाये गए जो इसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे ग्रेड, मैजिस्ट्रेट गारंटी, काडर, लीयन। इन भाषाओं के अतिरिक्त देशज शब्दों का भी यदा-कदा प्रयोग मिलता है। जैसे मसौदा, निपटान, बट्टा, रूक्का, डाकघर। इसमें राजभाषा हिंदी की शैली-विविधता दिखाई देता हैं। कहीं संस्कृत प्रधान शब्दावली का प्रयोग मिलता है तो कहीं अंग्रेजी-बहुल भाषा का। कहीं अरबी-फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है तो कहीं इन तीनों का समन्वित रूप मिलता है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी का विकास एवं प्रसार इस प्रकार हो कि यह भारत की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसलिए राजभाषा हिंदी में भारतीय शब्दों को भी अपनाने का यथा संभव प्रयास किया गया। जैसे मराठी से पावती, कन्नड से सौध (एनेक्सी)। इसके शब्द निर्माण में कुछ ऐसे विदेशी शब्द लिए गए जिनकी संकल्पना हिंदी में नहीं थी। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की प्रकृति के अनुसार इन शब्दों को ढाल दिया गया। जैसे तकनीकी (टेक्नीकल) अंतरिम (इंटेरिम), अकादमी (एकेडमी)। न केवल यही, कहीं-कहीं उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में दो या तीन स्रोत के मिश्रित शब्द भी मिलते हैं। जैसे बेबाकी-पत्र, आर्थिक सलाहकार, मतदान बूथ, बजट प्राक्कलन, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। इस प्रकार राजभाषा हिंदी में समान स्त्रोतिया घटको के शब्द निर्माण का विशेष बंधन नहीं है।

संस्कृत-अंग्रेजी, अरबी-फारसी का प्रभाव राजभाषा के वाक्यों में एक साथ मिलता है। सामान्य या साहित्यिक भाषा में इस प्रकार के प्रयोग अटपटे से लगते हैं, किंतु राजभाषा में वे अस्वाभाविक नहीं है। जैसे (1) आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल की पताका पर रखा है। (2) एवजी मिलने पर अर्जित छुट्टी दी जा सकती है। इन दोनों वाक्यों में संस्कृति-अंग्रेजी, अरबी-फारसी वाक्यों का प्रयोग एक साथ सहज रूप में मिलता हैं।

कहीं-कहीं कर्म-प्रधान और व्यक्ति निरपेक्ष भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे (1) श्री रामलाल, सहायक को (45 दिन अर्जित छुट्टी पर जाने की) अनुमति दी जाती है। वाक्य का प्रयोग होगा न कि (2) मैं, मोहनलाल श्री रामलाल को 45 दिनों की अर्जित छुट्टी पर जाने की अनुमति देता हूं। दूसरा वाक्य हिंदी भाषा का सक्रिय रूप है और यह कतृवाच्य है लेकिन सरकारी भाषा के रूप में यह रूप प्राय: नहीं चलता। सरकारी भाषा के रूप में अनुमति दी जाती है का प्रयोग ही सार्थक माना जाता है।

वास्तव में सरकारी काम-काज की भाषा होने के नाते राजभाषा हिंदी में अपने कार्यक्षेत्र में अपना रूप बना लिया है। इसका विकास कार्यालयी परिसर के वातावरण में हुआ है और यह भाषा लिखित तथा औपचारिक रूप में हमारे सामने आई है। सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य रचना किसी विशेष विषय-क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते है और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो अटपटे से लगते हैं। उदाहरण के लिए संलग्न कागज-पत्रों के साथ मसौदा प्रस्तुत किए जाए, कार्यालयीन संदर्भ में तो प्रयुक्त होगा किंतु संगत साग-सब्जी के साथ भोजन प्रस्तुत किया जाए का घर में प्रयोग निरर्थक और हास्यास्पद होगा। इसीलिए राजभाषा की प्रवृत्ति केंद्राभिसारी अधिक है जबकि बोल-चाल की भाषा में केंद्रापसारी प्रवृत्ति है।

यथोक्त चर्चा से पता चलता है कि अनुवाद के दबाव में हिंदी अपने सरल व सहज प्रवाहपूर्ण प्रकृति से पीछे होती जा रही है। यह सही है कि संक्रमणकालीन स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता रहती है किंतु शाब्दिक अनुवाद की नहीं।

हिंदी का यह दुर्भाग्य रहा है कि राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग शाब्दिक अनुवाद के रूप में रहा है। इसलिए यह अपने प्रकृति स्वभाव को छोड़कर अंग्रेजी वाक्य-विन्यास का और शब्दावली का पीछा करने में भटक गयी है और इसने ऐसा एक कृत्रिम रूप अपना लिया है जो सर्वजनबोध होना तो दूर स्वयं हिंदी-भाषियों के लिए भी दुर्बोध बन गया हैं। इससे हिंदी के प्रचार-प्रसार में काफी आघात पहुंचा हैं। अत: यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि राजभाषा हिंदी अपनी मूल-प्रकृति को ना छोड़े। इसे जितना बोधगम्य और सुगम बनाया जाएगा इसका प्रचार एवं प्रसार उतना अधिक होगा।

-पर्यवेक्षक (राजभाषा)
—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हैदराबाद हवाई अड्डा
❑

* वरिष्ठ प्रबंधक (आई॰ ई॰), एन॰सी॰एल॰ सिंगरौली (म॰ प्र॰)

वैश्विक परिदृश्य

हिंदी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है

-डॉ॰ प्रभु चौधरी

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली भाषा 'हिंदी' के कारण ही भारत विश्व में अपनी महानता बनाये हुए हैं। इसमें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की वह सुगंध समायी हुई है, जिसके आकर्षण में सम्पूर्ण विश्व-शान्ति का अनुभव करता है। हिंदी विश्व की किसी भी समुन्नत भाषा की तरह समुन्नत और समृद्ध भाषा है। आदियुग के सरहपा, स्वयंभू और पुष्पदंत से लेकर, सूर, तुलसी, मीरा और कबीर से होती हुई, प्रसाद, पंत, निराला तक यह निरन्तर गौरवपूर्ण ढंग से विकसित होती गई है। स्वधीनता संग्राम में भी साहित्य व पत्रकारिता के माध्यम से देश को संगठित रखकर आजादी दिलाने में इससे भरपूर योगदान दिया। हिंदी इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की ही नहीं, संस्कृत जैसी वैज्ञानिक एवं अतिसमृद्ध भाषा की उत्तराधिकारिणी होने के साथ-साथ सरल, सुप्रयोज्य एवं सुग्राह्य होने के कारण विभिन्न भाषा-भाषी सेनानियों तथा भाषा मर्मज्ञों के द्वारा एकमत से राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई है।

संसार में जिस भारतभूमि से सर्वप्रथम सभ्यता व संस्कृति का उद्‌भव और विकास हुआ हो, जिस उर्वरा भूमि में ऋग्वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ हो, जिस ज्ञानभूमि से सांख्य, योग, दार्शमिक प्रणाली, ज्योतिष, गृह-नक्षत्रों की दूरी, काल की गणना आदि का निर्धारण हुआ हो, उस देश की भाषा का अंदाज लगाया जा सकता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है अपितु वैश्विक स्तर पर सम्पर्क भाषा भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वादों के घेरे में न फंसकर हिंदी को इतनी समृद्ध, शक्तिशाली सक्षम बना दें कि उसके अस्तित्व पर कोई आंच न आए। यह निर्विवाद सत्य है कि इक्कीसवीं सदी भूखण्डलीकरण और वैश्वीकरण शताब्दी है। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी से कदम मिलाकर चलना होगा। यदि हिंदी इस दौड़ में पिछड़ गई तो इसका परिणाम शताब्दियों तक भुगतना पड़ेगा और हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।

जो हिंदी संसार के दर्जनों देशों में बोली है, जो देश के 72 करोड़ लोगों के कंठों का हार हो तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना वर्चस्व कायम करने में सक्षम हो, उसे विश्व भाषा कहना अप्रांसगिक न होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के योग्य बनाकर उसके वैश्विक रूप को विश्व के मानचित्र के अनुरूप प्रयोगशालाओं में ध्वनि यंत्रों के माध्यम से हिंदी उच्चारण का बोध कराने, कोषों के माध्यम से हिंदी शब्द भण्डार को विकसित करने तथा प्रयोग के आधार पर हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित करने की नितांत आवश्यकता है। भाषिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से अहिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी सिखाने से हिंदी का वैश्विक वर्चस्व बढ़ेगा।

भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के कारण भारत विश्व व्यवस्था का अंग बन गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भों से जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। भारत भूमि में कार्यरत बहुत-सी विदेशी कम्पनियां अपने उत्पादित माल के विक्रय हेतु हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अपनी उत्पादित सामग्री को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को हिंदी का प्रयोग करना ही होगा।

स्वाधीनता के लिए जब-जब आंदोलन तेज हुआ तब-तब हिंदी की प्रगति का रथ भी तेज गति से आगे बढ़ा। हिंदी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन गई। स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन नेताओं के हाथों में था, उन्होंने यह पहचान लिया था कि विगत 600-700 वर्षों से हिंदी सम्पूर्ण भारत की

एकता का कारक रही है; यह संतों, फकीरों, व्यापारियों, तीर्थ-यात्रियों, सैनिकों आदि के द्वारा देश के एक भाग तक प्रयुक्त होती रही है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा की मान्यता उन नेताओं के कारण हुई जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। बंगाल के केशवचन्द्र सेन, राजा राम मोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, पंजाब के बिपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, गुजरात के स्वामी दयानन्द, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक और दक्षिण भारत के सुब्रह्मण्यम भारती, मोटूरि सत्यनारायण आदि नेताओं के राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में व्यक्त विचारों से मेरे मत की पुष्टि होती है। हिंदी भारतीय स्वाभिमान और स्वातंत्र्य चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हो गई। इसके प्रचार-प्रसार में सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय नेताओं ने सार्थक भूमिका का निर्वाह किया।

हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जिन राष्ट्रीय नेताओं ने अथक् प्रयास किए, उनमें महात्मा गांधी को महत्व सबसे अधिक है। हिंदी को सम्पूर्ण भारत में व्यवहार की भाषा बनाने, सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने एवं राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में महात्मा गांधी की भूमिका अप्रतिम है। गांधीजी ने हिंदी के महत्व का आकलन दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। यह सर्वविदित है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति एवं अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गांधीजी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, नेपाल के सत्याग्रह आश्रम में हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं के बोलने वाले बच्चे रहते थे। गांधीजी ने निरीक्षण किया कि खेलते समय वे भिन्न भाषा बच्चे हिंदी बोलते हैं। इससे उन्होंने यह पहचान लिया कि भिन्न भाषियों की सम्पर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। उन्होंने उन बच्चों को हिंदी के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। भारत लौटने के बाद गांधीजी ने पूरे देश का भ्रमण किया तथा हिंदी की अखिल भारतीय भूमिका को जाना तथा यह भी महसूस किया कि देश के किस-किस भाग में हिंदी की कामचलाऊ भाषा बनाने के लिए क्या कारण है जिससे पूरा देश हिंदी के द्वारा एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन की ज्योति को पूरी आभा के साथ आलोकित कर सके।

सन् 1910 में गांधीजी ने कहा-''हिन्दुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है। सन् 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधीजी ने हिंदी में भाषण दिया तथा स्पष्ट घोषणा की, हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्वपूर्ण नहीं है।'' इसी अधिवेशन में 26 दिसम्बर को 'आये समाज मंडप' में गांधीजी के सभापतित्व में 'एक भाषा एक लिपि' विषयक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ कि 'हिंदी भाषा और देवनागरी का प्रचार-प्रसार देश के हित एवं एकता की स्थापना हेतु करना चाहिए। तमिल भाषी श्री रामास्वामी अय्यर इस प्रस्ताव के समर्थक थे।

सन् 1917 में 'गुजरात शिक्षा सम्मेलन' के अध्यक्षीय भाषण में गांधीजी ने राष्ट्रभाषा के मानकों का निर्धारण करते हुए प्रतिपादित किया-किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे वहां की अधिकांश जनता बोलती हो। वह सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो। सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी कामकाज के लिए सुगम और सरल हो, जिसे सुगमता और सरलता से सीखा जा सकता हो। जिसे चुनते समय क्षणिक, अस्थायी तथा तात्कालिक हितों की उपेक्षा की जाए और सम्पूर्ण राष्ट्र की वाणी बनने की क्षमता रखती हो।

इन मानकों पर कसने के बाद गांधीजी का निष्कर्ष था कि 'बहुभाषी भारत में केवल हिंदी ही एक भाषा है जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। यहां इसको रेखांकित करना अप्रासंगिक न हो कि हिंदीतर भाषी राष्ट्रीय नेताओं ने जहां देश की अखण्डता एवं एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार की अनिवार्यता की पैरोकारी की वहीं भारत के सभी राष्ट्रीय नेताओं ने एकमत से सरल एवं सामान्य जनता द्वारा बोली जाने वाली हिंदी का प्रयोग करने एवं हिंदी उर्दू के अद्वैत पर विस्तार से विवेचन किया है।

इधर हिंदी को समृद्ध करे तथा इसे इक्कीसवीं सदी के योग्य बनाने हेतु भारत में समय-समय पर अनेक प्रयास हुए हैं। यहां यह ज्ञातव्य है कि डॉ॰ रघुवीर के निर्देशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित लाखों शब्दों का हिंदी में नवनिर्माण

हुआ है। इस शब्दावली के निर्माण में उन्होंने संस्कृत की 250 धातुओं, 80 उपसर्गों का उपयोग किया है। सन् 1961 में स्थापित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति वैज्ञानिक व प्राणि विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला, राजनीति विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, कृषि, आयुर्वेद अभियांत्रिकी से संबंधित 5 लाख से भी अधिक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया है जो विभिन्न कोषों के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी साक्षरता एक अनिवार्य घटक बन गई है। आज सारा विश्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति की ओर बढ़ रहा है जिसकी बुनियाद संगणक, दूरसंचार व जनसंचार माध्यमों पर टिकी हुई है। आज संगणक के माध्यम से सूचनाओं का विश्वसनीय आदान-प्रदान अपनी चरमसीमा पर है। बच्चों में खिलौनों से लेकर घरेलू उपयोगी वस्तुओं आदि सभी में संगणक का उपयोग होने लगा है जिसमें विद्युत अभियांत्रिकी, धातु अभियांत्रिकी, पदार्थ विज्ञान एवं इलेक्ट्रानिकी का समुचित उपयोग होता है। आज संगणक में 6000 से भी अधिक आंकड़ा संचक उपलब्ध है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विविध प्रकार की सूचना सेवाओं का जाल बिछा हुआ है जिसमें बी॰एस॰एन॰एल॰, अर्नेट, डब्ल्यू नेट, इंटरनेट, जेनेट आदि प्रमुख हैं। इन सभी साधनों के साथ हिंदी को भी जोड़ने के स्तुत्य प्रयास हो रहे हैं।

इधर पुणे 'ओशा कम्यून इंटरनेशनल' ने एक हिंदी वर्तनी जांचक (ओशो स्पेश बाइंडर) तथा हिंदी शब्द-कोश (हिंदी शब्द सागर) का विकास किया है। वर्तनी जांचक हिंदी प्रूफरीडर का भी आविष्कार हो चुका है जो 1000 शब्द प्रति मिनट की गति से जांच कर सकता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार की भाषायी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। इसके शब्द-कोष में 1,20,000 शब्दों को संचित करने की क्षमता है। इसी प्रकार पुणे स्थित 'सी डेक' द्विभाषिक और बहुभाषिक प्रक्रिया सामग्री के क्षेत्र में अंग्रणी है। इसने वर्तनी जांचक प्रक्रिया का भी विकास किया है, जो स्वराधारित गलत वर्तनी के हिंदी शब्दों के सही विकल्प भी सुझाता है।

भारतीय संस्कृति व धर्म की कड़ियां भी हिंदी से गहरी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए संतों एवं भक्तों के पद व वाणी हिंदी के माध्यम से घर-घर में बसे हैं। राष्ट्रीयता, भारतीयता और एकता हिंदी का मूल स्वर है। हिंदी की अपनी क्षमता व शक्ति है। इस परिदृश्य में होने वाले उसके विकास, प्रचार व समृद्धि को कोई नहीं रोक पायेगा। बस, जरूरत है हिंदी के सृजनशील हिंदी जीवी, हिंदी भाषी लोगों की इच्छाशक्ति व कर्मठता की कि वे समर्पण के साथ हिंदी का ही प्रयोग करें और बाह्य प्रभावों से संभावित विकृतियों का संयमन व अनुशासन करें, जिससे हिंदी के मूलस्वरूप की सुरक्षा हो सके।

हिंदी मॉरिशस, ट्रिनीडाड, गुयाना और सूरीनाम की दूसरी भाषा है और फिजी की सरकारी भाषा। कई दूसरे देशों में वह कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज़ में ओरिएंटल और एशियन या साउथ इंडियन स्टडी के रूप में पढ़ाई जा रही है। भारतीय अध्यापकों के साथ लोठार लुत्से (जर्मनी), प्रो॰ वारात्रिकोव, ओडोन स्मेकल (चेक रिपब्लिक), प्रो॰ एंजो तुर्बियानी (इटली), प्रो॰ क्रिस्टोफर किंग (कनाड़ा), पीटर जेरार्ड फ्रीडलैंडर (आस्ट्रेलिया), टोर्मेका किकुची (जापान), जैसे कई विदेशी इस काम में भी सहयोग दे रहे हैं। अभिमन्यु अनत (मॉरीशस) तो हिंदी साहित्य का स्थापित नाम बन चुके हैं। ये तो जाने-माने विद्वान् हैं, प्राइस नाथन जैसे अमेरिकी तो खुद हिंदी सीखते हुए ही हिंदी पढ़ाने लगे हैं। मिसालों की कमी नहीं। बनारस के प्रो॰ विश्नाथ मिश्र के घर रहकर हिंदी सीख कई विदेशी स्टूडेंट्स हिंदी में फर्राटे से बातचीत करते हैं और कुछ तो अच्छा लिख भी लेते हैं। हमारी एक ही भाषा 'हिंदी' और एक ही धर्म 'मानव धर्म' है।

अत: आइए। हम सभी अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को पूर्णत: अपनाकर राष्ट्र को गौरवान्वित करें।

15 स्टेशन मार्ग, महिदपुर रोड
जिला उज्जैन (म॰प्र॰)
मो॰ 98930-72718
dev.pc62@gmail com

❑

विश्व भाषा के रूप में हिंदी: नए प्रतिमान

— वीरेन्द्र कुमार यादव

भारत वर्ष की प्रत्येक भाषा की अपनी आन-बान और शान है, अपना स्वाभिमान है किंतु इन सब भाषाओं को जोड़ने वाली एक स्वर्णिम कड़ी है हिंदी। यदि हम भाषाओं के माध्यम से भारतवर्ष की एकता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हिंदी के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने में एक नई तेजस्विता अपेक्षित है।

हमारी सभी भाषाएं प्रिय हैं। सभी भाषाएं आदरणीय हैं। सभी भाषाओं में साहित्य है, काव्य है, इसलिए अपने-अपने प्रदेशों में ये भाषाएं पटरानी बनकर सम्मानित होती रहें, लेकिन उन भाषाओं के हार की मध्य मणि हिंदी ही होगी और हिंदी भारत-भारती का सम्मान ग्रहण करेगी। उसको वह सम्मान देना हम सबका राष्ट्रीय धर्म है।

हमारे देश में विविधता में एकता है। आप भारत की सभी भाषाओं के स्वरूप को देखिए, वह अलग-अलग है। उनकी बोलने की प्रक्रिया अलग-अलग है, लेकिन सभी भाषाओं में जो एक आत्मा है, वह भारतीय आत्मा है। उसमें एक ही सुगंध है, वह हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की, इसीलिए हम विविधता में एकता की एक सशक्त मिसाल बने हुए हैं।

स्वाभाविक रूप से यह प्रकृति की देन है, हिंदी की नियति है कि उसे संस्कृति के चिंतन को प्राप्त करने का अधिकार विरासत में प्राप्त हो गया। हमारा भक्ति-काल का आंदोलन, जो हमारी संस्कृति में किया गया, श्रेष्ठ चिंतन का निचोड़ है, जिसने इस देश के जन-जन को झंकृत कर दिया था, आन्दोलित कर दिया था और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की एक अटूट शक्ति पैदा कर दी थी। वहीं हिंदी आधुनिक काल में स्वतंत्रता-आन्दोलन की भाषा बन गयी। मैथिलीशरण गुप्त ने जब कहा था कि 'हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी', तो उन्होंने हमारी पूरी मानसिकता को झकझोरने का प्रयत्न किया था। जब माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा कि 'मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक' तो उन्होंने इस देश की युवा-शक्ति को आन्दोलित कर दिया था। जब बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कहा था कि 'कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये' तो समूचा साहित्य देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था। एकाएक क्या हुआ कि सन्नाटा छा गया, इसके लिए हमें अपने अन्दर झांकना होगा।

यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि हम 1 अरब से ज्यादा भारतीय जिस हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रति उदासीन रहे हैं उसे सिंगापुरवासियों ने उत्साह से अपनाया है। वहां की कुल आबादी में यों तो भारतीयों की तादाद केवल 6 प्रतिशत है लेकिन फिर भी वहां हिंदी का आकर्षण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण भारत में नौकरी कर पाने की इच्छा नहीं है बल्कि सिंगापुर के युवा मानते हैं कि हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी ही प्रमुख भाषा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 346(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। संविधान निर्माताओं ने तब यह प्रावधान

रखा था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए जारी रहेगा। यह प्रावधान ऐसा जोंक की तरह चिपका कि अंग्रेजी 60 साल बाद भी नहीं हटी और हिंदी को उसका न्यायोचित हक नहीं मिल पाया। वह अनुवाद की भाषा बनी रह गई। वस्तुत: हर सरकारी काम मूलत: हिंदी में होना चाहिए और जरूरत हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर देना चाहिए। प्राथमिकता और सर्वोच्चता हिंदी को ही देनी चाहिए। अंग्रेजी की हैसियत एक विदेशी भाषा की रहे। वह फ्रेंच, जर्मन या रूसी की भांति ऐच्छिक अध्ययन की भाषा हो। हिंदी हर प्रकार से एक संपन्न, सामर्थ्यवान संपर्क भाषा है। इसकी शब्द संपदा अंग्रेजी के मुकाबले काफी अधिक है। अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ व प्रभावशाली माध्यम हिंदी ही है। वस्तुत: यह विश्व भाषा होने का सामर्थ्य रखती है। किंतु अपने ही देश में इसकी शासकीय स्तर पर उपेक्षा हो रही है। हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। जब मारीशस, फिजी, गुयाना आदि देशों में हिंदी बोली जाती है और विश्व के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाता है तो यहीं इसकी अवहेलना क्यों? हिंदी को समग्र देश की जनभाषा के रूप में देखा और स्वीकार किया जाना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि जहां विदेशी चाव से हिंदी सीख रहे हैं वहीं हम अपनी भाषा से दुराव रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजी का मोह त्यागकर हिंदी को रोजी-रोटी से जोड़ा जाए। यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि अंग्रेजी का जानकार ही विद्वान होता है। जब सिंगापुर हिंदी अपना सकता है तो हम क्यों नहीं!

लोगों में यह भ्रम फैला है कि हिंदी में वह क्षमता नहीं है। लोग यह भी कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अंग्रेजी पढ़ने से ही यदि नौकरी मिलती होती तो अमेरिका और इंग्लैंड में कोई भी बेरोजगार नहीं होता।

मैकाले ने अपने होम सेक्रेटरी को लिखा था कि मैं नहीं कह सकता कि भारत देश राजनीतिक रूप से आपके अधीन रह पायेगा, लेकिन इतना मैं अवश्य करके जा रहा हूं कि यह देश राजनीतिक स्वतंत्रता पा लेने के बाद भी अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, आजादी प्राप्त होने के 60 वर्ष बाद भी जिस समस्या से हम उबर नहीं पाये हैं, वह हमारी मानसिकता की समस्या है। आश्चर्य की बात है कि देश की आजादी से पहले जो हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी थी, हमारे देश की राष्ट्रीयता की वाहक बनी थी, वह हिंदी आजादी के 60 वर्षों में ऐसे स्तर पर आ गयी है। हमें चिंता होती है कि हमारा बच्चा आने वाले समय में किस भाषा में बात करेगा। आज हमारे लिए संक्रमण-काल का समय है। आज न तो हम अंग्रेजी बोल पाते हैं और न ही हिंदी बोल पाते हैं। हम आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारे वाक्यों में आधे शब्द हिंदी के और आधे शब्द अंग्रेजी के होते हैं। हम दरअसल मिलावट और प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं।

अंग्रेजी विश्वभाषा है यह दलील उन देशों के नेता देते हैं जहां ब्रिटेन का राज था, जहां फ्रांस या हालैंड का राज्य था वहां इस ''विश्वभाषा'' की पूछ नहीं है, भारत में अंग्रेजी की तरह वहां फ्रांसीसी और डच का अधिपत्य है।

हमने जनतंत्र-पद्धति को अपनाया है। इसमें तंत्र को जन की अवहेलना करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या जन ने अपनी क्षमता का इस तरह विकास किया है कि वह तंत्र की लगाम को कस कर रखे, तंत्र से कहे कि हमारी भावनाओं के अनुरूप तुम काम करो? हमारी इच्छाओं को अभिव्यक्ति नहीं मिलती, इसलिए हमारे देश का जनतंत्र डगमगाता दिखाई देता है।

तंत्र की जो भाषा है, वह हमारा जन नहीं समझता और हमारे जन की जो भाषा है, उसे देश का तंत्र नहीं समझता।

आज जब हम हिंदी की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि हम भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं।

जब कभी देश को जोड़ने की, एक साथ लाने की, समन्वित करने की आवश्यकता हुई तो हिंदी ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभायी।

हिंदी को राष्ट्रभाषा/राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के तीन मूल आधार हैं- (1) वह सीखने, बोलने और व्यवहार में अपेक्षाकृत सरल है। (2) उसके बोलने वालों की संख्या अधिक है। (3) उसमें पूरी सांस्कृतिक गरिमा और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की गई है। यदि हम भारतीय भाषाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निर्विवाद रूप से हिंदी में ये विशेषताएं हैं। इस बात को पहले के लोगों ने अच्छी तरह समझा था कि हिंदी सम्पर्क भाषा का काम कर सकती है।

हिंदी का महत्व राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए है कि वह एक जनभाषा है। आज सभी हिंदी-प्रेमियों व देश के हितैषी भाई-बहनों का यह उत्तरदायित्व है कि हिंदी के जनभाषा के रूप में विकास व प्रसार में योगदान करें और इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि करें। भाषा के संघर्ष की प्रक्रिया में उसे जन-जन के संघर्षों की भाषा भी बनाना होगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो वह अपने आप बन जायेगी। संविधान भी पीछे-पीछे आ ही जायेगा।

हमारे यहां से जनता की ओर से हिंदी की स्वीकृति है। जन-सामान्य हिंदी जानता है, हिंदी से प्रेम करता है और अपना काम चलाता है। जब वह बद्रिकाश्रम से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करता है या कच्छ से लेकर कामरूप तक जाता है, चाहे वह किसी भी भाषा का भाषी है, वहां तीर्थ स्थानों में हिंदी से उसका काम चल जाता है।

क्या यह पक्का सबूत नहीं है हिंदी हमारे लिए बहुत बड़े काम की भाषा है? विदेशों में लोग जानने लगे हैं कि अगर हमें भारत को जानना है तो हिंदी के माध्यम से उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसके आचार-विचार को हम जान सकते हैं।

भाषा के स्तर पर विषमता की बात बेमानी है, बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज है, मत-भेद, मन-भेद, विभिन्नताएं और समस्याएं बुद्धिजीवियों के मन की खुराफात है। जनसाधारण के लिए हिंदी की कोई समस्या नहीं है। कुंभ के मेले में आप गये हैं कभी? यदि नहीं तो आगामी कुंभ पर प्रयाग जाइए। आप पायेंगे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के लोग ही नहीं, विदेशी भी बड़े सहज भाव से हिंदी के सहारे मेले का सुख प्राप्त करते हैं-कोई विज्ञापन नहीं, तो भी करोड़ों की तादाद में लोग हिंदी बोलकर एक दूसरे से मिलते हैं।

आइए, हम इंडिया को भारत बनाने का दृढ़ संकल्प करें और इस देश की अस्मिता, देश की सोच, देश के चिन्तन के साथ गहराई से जुड़ने का प्रयत्न करें। हम जब इंडिया को भारत बनाने की बात करते हैं तो हम समग्रता में विश्वास करते हैं। साझा चूल्हा है हमारा। साझा इसलिए कि केरल में बैठा हुआ विद्वान हिंदी में बात करता है और तमिलनाडु में सब्जी बेचनेवाला हिंदी को समझ लेता है। हिंदी भारत देश की भाषा है, वह सबको जोड़ती है। आज के समय की यह जरूरत है कि उसे मजबूत किया जाए।

हिंदी में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। यह बात अलग है कि दक्षिणवालों को संस्कृत नहीं, हिंदी अच्छी लगती है। हमारे सामने जब हिंदी के शब्द आते हैं तो उसमें स्थानीय शब्दों का होना जरूरी है। 'स्टेशन', 'टिकट'

जैसे शब्द उसमें आने ही चाहिए। यह हमारे संप्रेषण के लिए ही है न!

हमारे मनीषियों ने बहुत सोच-समझकर ही अपने तीर्थस्थानों को भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किया, जिससे एक दिशा का यात्री दूसरी दिशा में जाकर वहां के निवासियों से सम्पर्क कर सके और उस समय सम्पर्क की यह भाषा थी हिंदी। इसी सम्पर्क भाषा के महत्व को स्वतंत्रता-सेनानियों ने समझा और स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरे भारत को एकजुट करने के लिए हिंदी को अपनाया।

यह विडम्बना ही है कि हमारे भाग्य-विधाताओं को यह अहसास कभी नहीं रहा कि हिंदी का प्रश्न केवल भाषा या संप्रेषण की सुविधा का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का भी है। इन तत्वों का अभाव भौतिक विकास के क्षेत्र में भी देश को पिछलग्गू ही बना रहने देगा और आर्थिक साम्राज्यवाद के शोषण के लिए जमीन भी तैयार करता रहेगा, क्योंकि उससे संघर्ष करने के लिए आवश्यक जुझारू मानसिकता ही पैदा नहीं हो पाएगा। मार्क्स ने गलत नहीं कहा था, ''इतिहास से सबक न लो तो उसे दोहराना ही पड़ता है।'' राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता किसी भी प्रकार के भौगोलिक या धार्मिक उन्माद से बिल्कुल अलग चीज है।

हम यह जानते हैं कि भारतीय भाषाओं और संस्कृत शब्दों की उपस्थिति आज बर्मा, मलयेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, सूडान, फीजी तक की भाषाओं में दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के शब्द बड़े ही सहज रूप में हिंदी में चले जा रहे हैं। दक्षिण की भाषाओं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के भजनों में बहुत सारे शब्द यों ही मिल जाएंगे, जो हिंदी में बोले जाते हैं। तो जब हिंदी इतने व्यापक स्तर पर प्रचलित व समृद्ध भाषा है तो यह प्रश्न कहां उठता है कि इसकी लोकप्रियता, इसकी क्षमता में कोई कमी है। भाषा-विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से भी भारतीय भाषाओं में बहुत समानता है।

हिंदी भाषा के अखिल भारतीय महत्व का पहला कारण यह है कि वह भारत की सबसे बड़ी जाति की भाषा है। दूसरा कारण है कि वह उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र तक की भाषाओं और हिंदी के शब्द-भंडार में इतनी ज्यादा समानता है कि लोग उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि राजस्थान के व्यापारी और पूंजीपति भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं और साधारणत: वे हर जगह हिंदी शिक्षा, प्रचार आदि में सहायता करते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदी भाषी इलाके के मजदूर मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों में भारी संख्या में मिलते हैं।

हिंदी आज भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि विश्व के विराट् फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है और एक विश्वभाषा के रूप में तेजी से उभर रही है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ और सशक्त संवाहिका है जो विदेशों में बसे करोड़ों की संख्या में प्रवासी भारतीयों और भारत मूल के लोगों के बीच आत्मीयता के सीधे सूत्र स्थापित करने और उन्हें भारत, भारतीयता तथा भारतीय संस्कृति से निरंतर जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम का काम करती है। इसी में वे अपनी अस्मिता की पहचान भी पाते हैं।

सदस्य हिंदी स॰ समिति
153-एम॰आई॰जी॰
लोहिया नगर, कंकड़बाग
पटना-800020.

❑

संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी

— डॉ॰ करुणा शंकर उपाध्याय

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व की सर्वोच्च संस्था है। विश्व के प्राय: सभी राष्ट्र उसके सदस्य हैं। उनके बीच संवाद, सहयोग तथा सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने, विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दशा को विकसित करने तथा समूचे विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने हेतु वह संकल्पित है। यह संस्था विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधियों के लिए परस्पर विचार-विनिमय हेतु एक वैश्विक मंच उपस्थित करती है। फलत: यहां जिस किसी भी मुद्दे पर बहस होती है उसकी सुनी-अनसुनी अनुगूंजें विश्वव्यापी प्रभाव पैदा करती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी विमर्श का माध्यम बने, उसकी उपयोगिता इसी दृष्टि से है। ऐसी स्थिति में वह स्वत: वैश्विक भाषा बन जाएगी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी आधिकारिक भाषा बने—यह मांग करके भी अड़तीस वर्ष बीत गए। इस बीच बहुत पानी बह गया है। द्वि-ध्रुवीय विश्वव्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील हो गई है, जो भारत 1975 में तीसरी दुनिया का प्रवक्ता होता था। वही 21वीं शदी के स्वर्णिम प्रभात में विश्व की सबसे तीव्र उभरती आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्रांति ने विश्वग्राम के सपने को यथार्थ में परिणत कर दिया है। राष्ट्रवाद की अवधारणा कमजोर हुई है और विश्वस्तरीय स्पर्धा एवं सहभागिता के दर्शन का विकास हुआ है। भाषायी संदर्भ में पश्चिमी विचारक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगामी पचास वर्षों के भीतर वर्तमान विश्व में बोली जाने वाली तेरह सौ भाषाओं में से केवल आठ सौ भाषाएं ही जीवित रह पाएंगी अथवा आनेवाले उद्वेलन को झेल पाएंगी। आज भाषाओं को भी अपनी बहुआयामी उपयोगिता दिखाते हुए वैश्विक स्पर्धा में खरा उतरना होगा। यह वैश्वीकरण के लक्ष्य से परिचालित विश्व की मांग है।

हम सब इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्षपद में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर शिवसागर रामगुलाम ने हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को रेखांकित किया था और यह सुझाव दिया था कि उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। फलत: उस अप्रतिम और भव्य समारोह में जो निर्णय लिए गए वे इस प्रकार हैं...

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए।
2. वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो, तथा
3. विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से कोई ठोस योजना बनाई जाए।

विगत चालीस वर्षों में हमने बाद के दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब वर्धा में बहुविध सम्भावनाओं के साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रगतिपथ पर अग्रसर है। साथ ही, अब तक विश्व के अलग-अलग हिस्सों में सम्पन्न दस विश्व हिंदी सम्मेलन इस बात का साक्ष्य उपस्थित करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन को स्थायित्व और नियमितता प्राप्त हो चुकी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में से दो को न्यूनाधिक रूप में असलियत का जामा पहनाया जा चुका है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि इन्हें चरितार्थ करने के लिए हम पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं थे। जब कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी स्वीकृत कराए जाने का अभियान पूरी तरह भारत सरकार की इच्छा के अधीन है। यह दूसरी बात है कि इस दिशा में बहुत सारे स्फुट प्रयास प्रस्तावित एवं सक्रिय हैं। प्रस्तुत आयोजन भी इसी तरह का एक ठोस उपक्रम है।

आज संयुक्त राष्ट्रसंघ में छह आधिकारिक भाषाएं प्रयुक्त होती हैं—1. अंग्रेजी, 2. अरबी, 3. चीनी, 4. फ्रेंच, 5. रूसी और स्पेनिश। यही छह भाषाएं प्राय: सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं उनकी गतिविधियों का भी माध्यम हैं। इसमें यदि अरबी

और चीनी को छोड़ दें तो एक रोचक तथ्य यह भी सामने आता है कि ये सारी भाषाएं साम्राज्यवाद के खाद-पानी से विकसित हुई थीं। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सारी आधिकारिक भाषाएं कथित राष्ट्रों के स्वाभिमान एवं दर्प को भी अभिव्यक्त करती हैं। चूंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय जर्मनी एवं जापान को अतिशय दयनीय बना देने में कोई कोरकसर बाकी नहीं रखी गई। अत: इनकी भाषाओं का भी संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही से बाहर होना लाजिमी था। बावजूद इसके जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इजराइल और जापान ने अपनी-अपनी भाषा में न केवल विस्मयकारी उन्नति की अपितु आज वे विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों की पंक्ति में सीना तानकर खड़े हैं। इन राष्ट्रों ने अपनी भाषा में सर्वतोन्मुखी उन्नति करके विश्व के भाषायी समुदाय के समक्ष यह उदाहरण पेश किया है कि दृढ़इच्छाशक्ति और सुनियोजित प्रयास के बल पर किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आज ये राष्ट्र जब चाहे जर्मन और जापानी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिला सकते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस पक्ष का भी भली-भांति विश्लेषण करना चाहिए। साथ ही, इस सम्भावना की भी तलाश करना चाहिए कि जिस तरह जर्मनी, जापान के साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए संयुक्त अभियान चला रहे हैं तो क्या यही प्रयास भाषायी धरातल पर भी संभव है? यहां भारत सरकार से यह स्पष्टीकरण भी लेना चाहिए कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी का अभियान चलाने से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अभियान पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें यह प्राथमिकता भी तय करनी पड़ेगी कि हम सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं या संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी के प्रयोग पर अथवा दोनों का एक साथ अर्जन करना चाहते हैं। यह भी चिंतनीय है कि यदि भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता हासिल हो गई तो उसके बाद हिंदी के पक्ष में प्रस्ताव पारित करवा सकना भारत सरकार के लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। क्या हममें इतना धैर्य है? अथवा हम तब तक हिंदी को हर दृष्टि से सक्षम बनाने तथा ढांचागत, आधारभूत एवं तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करें। क्योंकि यह उपलब्धि हम भावना में बहकर अथवा हिंदी-हिंदी चिल्लाकर नहीं अर्जित कर सकते अपितु इसके लिए एक ठोस, बौद्धिक, बहुआयामी, व्यावहारिक तथा संश्लिष्ट प्रयास की दरकार है। इस कार्य के लिए भारत सरकार सम्पूर्ण तैयारी के साथ नेतृत्व संभालकर उन तमाम देशों की सरकारों का सहयोग प्राप्त कर सकती है जहां हिंदी एवं भारतवंशियों की प्रभावी उपस्थिति है।

जब हम राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की अद्यतन स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र संघ के दो स्थायी सदस्यों इंग्लैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासकीय भाषा है। इसके अलावा वह कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका में भी राजकाज की भाषा हैं। किसी समय इंग्लिश आस्ट्रेलिया की भी राजभाषा थी परन्तु अब आस्ट्रेलियाई लोगों ने उसका नाम बदलकर आस्टिन कर दिया है। कारण स्पष्ट है। उसमें आस्ट्रेलियाई बोलियों के शब्दों की भरमार है जिसके कारण वह ब्रिटिश इंग्लिश से नितांत भिन्न हो गई है। इसी तरह फ्रेंच भी फ्रांस के अलावा कई देशों में प्रयुक्त होती है। पिछली शताब्दी के मध्य तक अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों पर फ्रांस का आधिपत्य था। इन देशों की अपनी कोई मानक भाषा नहीं थी फलत: राजकाज, विदेशी व्यापार और राजनीति के लिए फ्रेंच का चयन करना पड़ा। फ्रांस ने फ्रांसीसी भाषा-भाषी देशों को एकजुट रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'फ्रैंको-फोनी' नामक संगठन स्थापित किया है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रेंच भाषा के संवर्धन की दिशा में अनवरत सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली आधिकारिक भाषा अरबी भी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लगभग दो दर्जन देशों की भाषा है। हिंद महासागर के द्वीपपुंज देश कोमोरों के अलावा सोमालिया जिबूटी तथा इरिट्रिया की भाषा भी अरबी है। इसी क्रम में स्पैनिश स्पेन के अलावा इक्कीस देशों की आधिकारिक भाषा है जो ब्राजील को छोड़कर सारे दक्षिण अमेरिकी देशों में प्रयुक्त होती है इसके अलावा अगली भाषा मंदारिन (चीनी) का जहां तक सवाल है तो वह चीन के अलावा केवल ताइवान और सिंगापुर की प्रमुख भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतिम आधिकारिक भाषा रूसी है जिसका रूस के अलावा विघटित सोवियत संघ के 15 देशों में महत्त्व कायम है। वह बाल्टिक सागर से लेकर मध्य एशिया और पूर्व यूरोप तक परस्पर संपर्क का माध्यम है।

जब हम कथित भाषाओं के निकष पर हिंदी को कसते हैं तो पाते हैं कि आज हिंदी न केवल विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अपितु वह भारत, पाकिस्तान,

नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम ट्रिनीडाड, टोबैको, मालदीव, श्रीलंका, खाड़ी देशों, यूरोपीय देशों, दक्षिण अफ्रीका, जापान, चीन, कनाडा और संयुक्त राज अमेरिका में अच्छे परिमाण में प्रयुक्त हो रही है। वह विश्व के सभी महाद्वीपों तथा देशों में प्रयुक्त हो रही है। उसका संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा न होना समूचे विश्व के लिए शर्मनाक है। समय की मांग है कि अपनी अंतरराष्ट्रीय भाषा नीति का आधुनिकीकरण करें और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आसीन करने के लिए सन्नद्ध हों। हमारी वर्तमान सरकार इस लक्ष्य को बखूबी हासिल कर सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अफ्रीकी देशों के पिछड़ेपन का कारण विदेशी भाषाएं ही हैं। विश्व के जिन राष्ट्रों ने अभूतपूर्व विकास किया है अपनी भाषा में ही किया है। इस दृष्टि से यूरोपीय देशों, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा इजराइल का नाम गिनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी भाषाओं में उपलब्धियां अर्जित की हैं।

सन् 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में जब प्रख्यात साहित्यकार काका कालेलकर ने पूरे विश्वास के साथ प्रस्तावित किया कि, ''संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को मान्यता मिलने से विश्व शोषणरहित, शांतिपूर्ण और संघर्षरहित समाज रचना के अधिक समीप पहुंच सकेगा। हिंदी के मूल प्रेरणा, त्याग और सेवा है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिंदी विश्व सेवा के लिए उपस्थित है।'' उस समय उनके कथन का समर्थन श्री मधुकर राव चौधरी, डॉ॰ कर्णसिंह समेत भारत के सभी प्रतिनिधियों तथा मॉरिशस, फीजी, गयाना, त्रिनिडाड, सूरीनाम, सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैण्ड, हंगरी, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, हालैण्ड, पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, जापान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि के सहभागी प्रतिनिधियों ने भी किया था। कथित सम्मेलन में मॉरिशस के तत्कालीन युवा एवं क्रीडा मंत्री दयानंदलाल वसंतराव ने कहा था कि, ''हम यह मानकर चलते हैं कि मॉरिशस में यदि हमें भारतीय धर्म और संस्कृति को बनाए रखना है, तो हमें हिंदी का आश्रय ग्रहण करना ही होगा। हम हिंदी को संकुचित नहीं, विशाल बनाना चाहते हैं, ताकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप सारी दुनिया में प्रिय एवं मान्य हो सके। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी से कहीं छोटी आबादी की भाषाओं-फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन आदि के लिए विश्व संस्थाओं में स्थान है, पर हिंदी के लिए नहीं, इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। आवाज ही नहीं, संघर्ष करने की आवश्यकता है और यह पहल भारत को करनी होगी। हम सब अपना समर्थन देंगे।'' अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार अपनी कर्तव्य-भावना से अनुप्राणित होकर इस दिशा में कोई ठोस, दूरदर्शी एवं फलदायी प्रयास कर सकी है? हां, इतना जरूर है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बतौर विदेश मंत्री और दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में तथा पी॰वी॰ नरसिंहाराव बतौर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर हिंदी प्रेमियों का अकूत स्नेहाशीष अर्जित कर चुके हैं। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा को दो बार हिंदी में संबोधित किया बल्कि वे देश-विदेश में सर्वत्र हिंदी का प्रयोग करके एक नया दृष्टांत उपस्थित कर रहे हैं। उनके भाषणों से जो सबसे रोचक तथ्य सामने आया वह यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी के प्रयोग के लिए कूटनीतिक तैयारी की कम और आर्थिक तैयारी की ज्यादा जरूरत है। यदि हम सन् 2016 से संयुक्त राष्ट्रसंघ के सारे क्रिया-कलाप हिंदी में भी सम्पन्न करवाएं तो हमें प्रतिवर्ष पांच सौ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी ओर इस समय भारत सरकार अंग्रेजी भाषा-व्यवहार पर जो राशि खर्च कर रही है, वह राशि स्वत: इसमें से घट जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ दो सौ करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक अरब तीस करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला तथा दुनिया की सबसे तीव्र उभरती अर्थव्यवस्था वाला यह देश अपने स्वतंत्रचेता व्यक्तित्व एवं स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करने के लिए इतना मामूली-सा त्याग कर सकता है? जवाब है, हां, कर सकता है। लेकिन, हम सब जानते हैं कि यह 'लेकिन' बहुत भारी शब्द है। यह राजनेताओं का कारगर हथियार है जो कुंद राजनीति इच्छाशक्ति और शीर्ष नेतृत्व की संवेदनहीनता को संकेतिक करता है। यदि हम इस 'लेकिन' शब्द से निजात पा लें तो सन् 2007 में न्यूयार्क में सम्पन्न आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर किए गए संकल्प को साकार रूप में परिणत कर सकते हैं।

इस संदर्भ में यह भी चिंतनीय है कि विगत तीस वर्षों में हिंदी की चहुँमुखी उन्नति हुई है। वह पहले से भी ज्यादा परिपक्व तथा विकसित हुई है। वह ज्ञान-विज्ञान के प्राय: सभी अनुशासनों का प्रभावी माध्यम बनने के लिए तत्पर है।

उसके प्रयोक्ताओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वह देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर अधिकाधिक देशों में उत्तर प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों तथा भारतीय पेशेवरों के साथ फैल रही है। आज वह नवीनतम जीवन दिशाओं एवं गतिशील प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के साथ ताल-से-ताल मिलाकर चलने के लिए प्रस्तुत है। वस्तुस्थिति यह है कि सन् 1991 के बाद अर्थात् भारतवर्ष में कंप्यूटर तथा उपग्रह चैनल क्रांति के वर्तमान दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वे किसी-न किसी रूप में हिंदी बोल सकते हैं। भले ही, वह उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं भाषा क्यों न हो! यही कारण है कि सन् 1975 में जो हिंदी समूचे विश्व में बोलनेवालों की संख्या के आधार पर तीसरे क्रमांक पर थी वह सन् 2001 की जनगणना के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। आज बोलनेवालों की संख्या के आधार पर चीनी नं॰ एक, हिंदी नं॰ दो और अंग्रेजी नं॰ तीन पर स्थित हैं। आज विश्व के सबसे ज्यादा देशों में अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी का प्रयोग होता है। यदि चीनी बोलने वाले विश्व के चालीस देशों में फैले हैं तो हिंदी बोलने वाले एक सौ चालीस से भी अधिक देशों में कार्यरत हैं। यदि यही गति बनी रही तो हम 2025 में प्रथम क्रमांक पर होंगे और दुनिया का पांचवां आदमी हिंदी बोलने में समर्थ होगा। यह बात मैंने 2008 में लिखी थी किन्तु डॉ॰ जयंती प्रसाद नौटियाल ने 'भाषा-शोध अध्ययन' 2012 के हवाले से यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर प्रथम क्रमांक पर आ गई है और मंदारिन (चीनी) दूसरे क्रमांक पर है। यहां मैं दुबारा स्पष्ट कर दूं कि यह जरूरी नहीं कि हिंदी उनके प्रयोग की पहली भाषा हो। वह किसी भी क्रम पर हो सकती है। क्योंकि 21वीं शदी का मनुष्य एक से अधिक भाषाएं जानने, सीखने एवं व्यवहृत करने के लिए अभिशप्त है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में जब हम वर्तमान संदर्भों में संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी जैसे विषय पर संश्लिष्ट एवं गहन विचार करते हैं तो उसके पक्ष में निम्नलिखित बातें आती हैं:

1. आज विश्व भर में हिंदी बोलनेवालों की संख्या के आधार पर पहले क्रमांक पर और चीनी दूसरे क्रमांक पर है जब कि प्रयोक्ता देशों के आधार पर वह अंग्रेजी के बाद दूसरे क्रम पर है क्योंकि चीनी बोलनेवाले जितने देशों में फैले हैं उससे ज्यादा देशों में हिंदी बोलनेवाले सक्रिय हैं। हिंदी विश्व के लगभग हर देश में प्रयुक्त हो रही है।

2. वह उपग्रह चैनलों, कंप्यूटर संजालों तथा इंटरनेट जैसे सर्वव्यापी वैश्विक माध्यमों के जरिए पूरी शक्ति और त्वरा के साथ वैश्विक भाषा बन रही है। समूचा विश्व उसके प्रति रुझान महसूस कर रहा है।

3. यह हिंदी का सौभाग्य है कि वैश्वीकरण एवं बाजारवाद की नियोजक शक्तियां उसके साथ हैं। वे अपने हित में ही सही हिंदी का व्यवहार करने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसा करने से उन्हें विश्व के सबसे सम्भावनावान बाजार से हाथ धोना पड़ सकता है।

4. हिंदी अपेक्षित गति के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, ई-बुक, सोशल मीडिया तथा वेब-साइट की दुनिया में अपनी प्रभावी उपस्थिति का अहसास करा रही है तथा अभिनव एवं भावी उपलब्धियों और प्रतिमानों के साथ अपने आपको समायोजित करने में समर्थ सिद्ध हो रही है।

5. हिंदी की प्रगति इसलिए भी निर्विवाद है कि वह बहुभाषिक कंप्यूटर, इंटरनेट एवं शिक्षण प्रौद्योगिकी में अपने शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण, साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों की उपलब्धियों के साथ दर्ज हो रही है और कंप्यूटर लाइब्रेरी तथा सॉफ्टवेयर की दुनिया में उसकी उपस्थिति देखी जा सकती है।

6. हिंदी में रचित साहित्य विश्व की श्रेष्ठतम भाषाओं में लिखे गए साहित्य के दर्जे का है। उसका काव्य-साहित्य विश्व-साहित्य की अनमोल धरोहर है। अब उसमें ज्ञान-विज्ञान, विधि-वाणिज्य तथा प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध स्तरीय लेखन भी हो रहा है। उसकी लिपि अतिशय वैज्ञानिक है।

7. आज भारत के बाहर लगभग डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन धड़ल्ले से हो रहा है। जबकि विद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं की संख्या हजारों में हैं।

8. इस समय भारत के बाहर अनेक देशों में न केवल हिंदी में प्रचुर साहित्य लिखा जा रहा है अपितु

पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है। 'इंदु शर्मा कथा-सम्मान' जैसे पुरस्कार अब लंदन में दिए जा रहे हैं।

9. हिंदी-चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है और बाजार की स्पर्धा के कारण ही सही अंग्रेजी चैनलों का हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। विश्व के विकसित देशों में भी हिंदी सिनेमा, टी॰वी॰ कार्यक्रमों तथा कवि-सम्मेलनों की मांग बढ़ रही है। बी॰बी॰सी॰ के हिंदी कार्यक्रमों के श्रोताओं की बढ़ती तादाद उसकी प्रगति की दास्तां आप ही बयां कर रही है।

10. ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के नवीनतम संस्करण में पांच सौ से ज्यादा हिंदी शब्दों का समावेश उसके सर्वव्यापी प्रभाव का ज्वलंत प्रतीक है। आखिर हिंदी के लिए सबसे बड़ी शुभ सूचना और क्या हो सकती है कि स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भी अमेरिकावासियों से निवेदन करना पड़ रहा है कि वे अमेरिका की प्रगति एवं सुरक्षा के लिए हिंदी सीखें। इसका असर भी न्यूजर्सी के विद्यालयों में देखा जा सकता है।

कहने का आशय यह है कि उपर्युक्त दस बातें हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सर्वथा समर्थ एवं योग्य सिद्ध करती हैं। उसे यदि अवसर मिले तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में वह अपनी स्वाभाविक एवं सक्रिय भूमिका अदा करके हिंदी भाषियों का मस्तक गर्व से ऊंचा उठा सकती है। यहीं पर यह महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि क्या हिंदी को उसका स्वाभाविक स्थल दिलाने के लिए हिंदी जगत और भारत सरकार मानसिक रूप से तैयार है? हम बार-बार सरकारी उदासीनता की बात करते हैं, लेकिन, क्या हिंदी जगत की उदासीनता उससे कम खतरनाक है? क्या हमारा काम परोपदेश, भाषणबाजी, नारेबाजी तथा उत्सवधर्मिता से ही चलता रहेगा? क्या इस प्रकार का लक्ष्य हासिल करने के लिए हम भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरह सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रस्तुत हैं?

हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने इसके लिए हमें गंभीर, साहसिक एवं बहुआयामी प्रयास करने होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित, एकाग्र और सम्पूर्णत: समर्पित होना होगा। सर्वप्रथम हिंदी जगत को एकजुटता और सक्रियता दिखानी पड़ेगी और भारत सरकार को ऐसा करने के लिए विवश करना होगा। हिंदी बदलते परिवेश के साथ विश्व समाज की आशा-आकांक्षा को प्रतिबिम्बित करे, यह विश्व समाज की सहयोगी तथा सहयात्री बन सके, इसके लिए उसे हर स्तर पर योग्य बनाना होगा। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति विश्व की तमाम सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का सामना कर सकें, इसके लिए जरूरी सामग्री, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक दक्षता हासिल की जाए। हम वैश्विक धरातल पर अंग्रेजी से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उसकी सहकारिणी भूमिका को समझें, उसमें मौजूद यांत्रिक और तकनीकी सुविधाओं को हिंदी में यथाशीघ्र सम्पूर्णता से उपलब्ध कराएं। साथ ही, हम अनुवाद और यांत्रिक अनुवाद के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से मौलिक सृजन करने की योग्यता दिखाएं। हम भारत सरकार के सहयोग से हिंदी में विपुल प्रक्रिया सामग्री (सॉफ्टवेयर) और यंत्रसामग्री (हार्डवेयर) का निर्माण करें। हिंदी का सवाल केवल अभिव्यक्ति से जुड़ा सवाल नहीं है यह हमारे लिए राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। अत: यह नितांत आवश्यक है कि हम उच्च-शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हेतु हिंदी में आधारभूत ग्रंथ तैयार करें ताकि वह परमुखापेक्षी होने से बच सके। हिंदी विश्व पटल पर प्रतिष्ठित हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके सम्पूर्ण व्याकरण और मानक रूप में एकरूपता हो, भले ही, इसके लिए हमें कुछेक भाषिक प्रयुक्तियों का मोह छोड़ना पड़े। हमें हिंदी में वेबसाइट तथा कंप्यूटर संजालों का जाल बिछाना होगा जिससे हिंदी अपने सम्पूर्ण विश्वकोश, शब्दसम्पदा, भाषिक अनुप्रयोग, लिखित वाङ्मय के साथ कंप्यूटर लाइब्रेरी, इंटरनेट, ई-मेल तथा ई-कॉमर्स की दुनिया में अंग्रेजी की नकल के बजाय प्रतिस्पर्धा कर सके। हमें ई-बुक की अवधारणा को हिंदी में भी साकार करते हुए उसे गुणात्मक एवं सीमाहीन विस्तार देना होगा। यदि बहुराष्ट्रीय निगम हिंदी में विज्ञापन देकर अपना उत्पाद बेच रहे हैं तो हमें हिंदी की इस आर्थिक शक्ति का उसके पक्ष में दोहन करने की दक्षता का परिचय देना होगा। हिंदी जीवन और जगत में समस्त कार्यव्यापारों और व्यवसायों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जरूरी है। हमारे लिए यह जरूरी हैं कि हम अपनी सफलता का आकलन क्रियान्वयन एवं व्यवहार के आधार पर करें। उसकी फलश्रुति के आधार पर करें।

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को प्रस्तावित करे इसके पूर्व वह एक उच्च दक्षता प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन करे जिसमें सक्षम एवं सक्रिय साहित्यकारों, भाषाविदों, कलाकारों, मीडियाकर्मियों, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का समावेश हो। यह समिति भारत को हर जरूरी सलाह दे, त्वरित कार्य-निष्पादन के लिए आधारभूत सामग्री और तकनीक मुहैया कराए जिससे किसी भी स्तर पर हिंदी कही कमजोर न सिद्ध हो। वह हर दृष्टि से, हर धरातल पर संवाद, सम्पर्क और संप्रेषण का माध्यम साबित हो। तदुपरांत भारत सरकार के किस विभाग की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होगी, इस बात का निश्चय किया जाए। विदेश विभाग के साथ अन्य मंत्रालयों के मध्य समुचित समन्वय हो जिससे पूरी प्रक्रिया आसान एवं सहज बनी रहे। भारत सरकार मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम जैसे देशों की सरकारों को सहप्रस्तावक के रूप में तैयार करें। अंग्रेजी के स्थान पर भारत सरकार के सभी विभागों में हिंदी के प्रयोग के लिए जो शब्दावली तैयार की गई है वह अपनी सम्पूर्णता में इन्टरनेट पर उपलब्ध हो। हिंदी में चैनलों की बाढ़ के साथ-साथ एक चैनल ऐसा भी हो जो सी॰एन॰एन॰ एवं बी॰बी॰सी॰ जैसे चैनलों से होड़ ले सकें और उसी गति एवं त्वरा से विश्व स्तर पर सच्चे अर्थों में खबर दे सकें। एक पक्षीय खबर को भी तटस्थ कर सके। ऐसा होने से हिंदी के पक्ष में विश्वस्तर पर स्वत: माहौल बन जाएगा। तदुपरांत भारत सरकार पूरी आर्थिक तैयारी के साथ-साथ न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन में यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करे जिससे आधारभूत तकनीकी सुविधाएं विन्यस्त हो सकें। मशीनी अनुवाद, उच्चकोटि की यांत्रिक सुविधा तथा विधिवत प्रशिक्षित पेशेवरों को इस ढंग से सक्रिया बनाया जाए कि समूची प्रक्रिया सहज और स्वीकार्य बनी रहे।

विगत 13-15 जुलाई, 2007 के मध्य न्यूयार्क में सम्पन्न आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मेलन कक्ष-4 में सम्पन्न हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री बान की मून ने बतौर मुख्य अतिथि 'नमस्ते! आप कैसे है!' जैसे वाक्य हिंदी में बोलकर उपस्थित विश्व हिंदी समुदाय का मन मोह लिया। इस अवसर पर अमेरिका में भारत के राजदूत श्री रनेन्द्र सेन, संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री निरूपम सेन, मॉरिशस के शिक्षा और मानव संसाधान मंत्री श्री धर्मवीर गोखुला, नेपाल के उद्योग, वाणिज्य व आपूर्ति मंत्री श्री राजेन्द्र मोहता, भारतीय विद्याभवन, न्यूयार्क के अध्यक्ष डॉ॰ नवीन मेहता के हिंदी में दिये गए वक्तव्य काफी उत्साहवर्धक थे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह का टेलिकॉन्फ्रेंस वक्तव्य था जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'आज हिंदी विश्वभाषा बन चुकी है। आंकड़े यह बताते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। दुनिया के सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। आज अमेरिका में भी हिंदी की पढ़ाई का ख्याल किया जा रहा है। अनेक हिंदी संस्थाएं बच्चों को शनिवार और रविवार के दिन हिंदी पढ़ाती हैं। कुछ अमरीकी स्कूलों के सिलेबस में भी हिंदी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, जो शुभ संकेत हैं। .... मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हिंदी को दुनिया भर में तेजी से फैलाने में सूचना प्रौद्योगिकी ने भूमिका निभाई है। आज हिंदी का ज्यादातर साहित्य चाहे वह प्रेमचंद्र की कहानी हो या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, हमें घर बैठे इंटरनेट पर मिल जाती है। इंटरनेट पर हिंदी के अखबार, पत्रिकाएं वेबसाइट ब्लॉग्स देखे जा सकते हैं।' इसमें संदेह नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री का कथित वक्तव्य ठोस, वास्तविकता पर आधारित तथा प्रेरित करने वाला है। लेकिन उनके वक्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह था कि, ''मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉरिशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय बनाया गया है। इस सचिवालय को पूरी तरह सक्षम बनाने के लिए भारत और मॉरिशस दोनों देशों की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में पास प्रस्तावों में से एक यह भी था कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र में एक आधिकारिक भाषा बनाई जाए।'' इसी क्रम में भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा के अध्यक्षीय अभिभाषण का निचोड़ भी विचारणीय बन पड़ा है, ''हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी के युग तक हिंदी ने निरंतर अपनी सामर्थ्य का जो प्रदर्शन किया है उसके कारण आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभरकर आई है। यही कारण है कि आज इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने की मांग की जा रही है। संभवत: यह हिंदी को उसका उपयुक्त दर्ज दिलवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आज इस मंच से मैं यह कहना चाहूंगा कि हिंदी को यह दर्जा दिलाने में विश्वभर के हिंदी प्रेमियों को मिलकर सार्थक प्रयास करने चाहिए ताकि शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की पंक्ति में खड़ी हो सके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व समुदाय

को शांति और अहिंसा का जो संदेश दिया हिंदी उसी संदेश की संवाहिका बन सके।'' कहने का आशय यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय में सम्पन्न आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तथा प्रथम सत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को प्रस्तावित करने की दिशा में पहला ठोस एवं व्यावहारिक कदम है। अब भारत सरकार को चाहिए कि इसमें पारित प्रस्तावों को मूर्त रूप दे। ऐसी सम्भावना बहुत कम ही है कि यदि भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी तो उसके इस प्रस्ताव का कोई देश विरोध करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही हिंदी संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बन जाएगी और हिंदी-प्रेमियों का वर्षों पुराना स्वप्न साकार हो जाएगा। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है क्योंकि हिंदी की आंतरिक शक्ति, भारतवर्ष का प्रशिक्षित-पेशेवर मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ रही भूमिका, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर बन रही सहमति, उभरती अर्थव्यवस्था, विराट जनसंख्या और सफल परीक्षित लोकतांत्रिक प्रणाली इस दिशा में उसे धकेल रही है, पुरस्कृत कर रही है। यदि कथित सुझावों के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं तो निकट भविष्य में ही यह स्वप्न यथार्थ में परिणत हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय अपनी भावनात्मक एकजुटता का परिचय देकर और समय की आहट को भांपकर इस कार्य का यथाशीघ्र निष्पादन कर देंगे। अभी भोपाल में सम्पन्न 10वें विश्वहिंदी सम्मेलन से यह संकेत मिला है कि हमारा विदेश मंत्रालय इस आशय का प्रस्ताव लगभग तैयार कर चुका है।

सारांश यह है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश हिंदी का संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाये जाने की सर्वथा अनुकूल है। समूचे विश्व में लोकतांत्रिक भावना के विकास की दृष्टि से भी उसका संयुक्त राष्ट्रसंघ में होना अनिवार्य है। आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रथम सत्र में डॉ॰ रत्नाकर पांडेय ने एक मजे की बात कही कि, ''अब जब कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र के सभा भवन में आज हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा तो बन ही गई।'' न्यूयार्क के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हत्फ ऑडीटोरियम में 13 जुलाई, 2007 को सायं 6 बजे विश्वस्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न हुई जिसमें भारत के विदेश राज्यमंत्री श्री आनंद शर्मा ने कहा, कि भारत सरकार दुनिया भर के हिंदी-प्रेमियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान चलाएगी। सितम्बर, 2007 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक के पहले यहां सम्मेलन का आयोजन किया जाना इस दिशा में एक पहल है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में इस संबंध में आधिकारिक प्रस्ताव पेश करने से पहले अभी कई औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन की सिफारिशों पर भारत सरकार समुचित कार्यवाही करेगी।'' बहरहाल, आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि, ''संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों का बहुमत जुटाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अभियान चलाए जाएं और हरसंभव प्रयास किए जाएं जिससे कि हिंदी शीघ्रातिशीघ्र संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बने। विदेश स्थित प्रवासी भारतीय संगठन भी अपने-अपने देशों की सरकारों से इसके लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें।'' कहने का आशय यह कि अब हिंदी प्रेमीजनों को चाहिए कि वे भारत सरकार को इस दिशा में सक्रिय रखने के लिए जरूरी दबाव बनाए रखें। हमारा संकल्प कमजोर न पड़ जाए इसके लिए वाद-विवाद-संवाद तथा संगोष्ठियों के द्वारा विचारोत्तेजक स्थिति बनी रहनी चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के 191 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं और भारत सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 128 राष्ट्रों का समर्थन जुटाना जरूरी है। भारत सरकार हिंदी के लिए यदि स्वत: यह कार्य नहीं सम्पन्न करती तो देश के नागरिकों का यह ऐतिहासिक दायित्व है कि वे उसे इस दिशा में सदैव तत्पर रहें। अब वह दिन दूर नहीं जब आधिकारिक तौर पर हिंदी संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रयुक्त होगी। यह हमारे धैर्य और परिश्रम का सबसे मधुर फल होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी वर्तमान सरकार इस मामले की गंभीरता को समझेगी और सचमुच प्रभावी कदम उठाएगी। ऐसा करके वह लम्बे समय तक इस देश के सत्ता पटल पर वर्चस्वी भूमिका में रहेगी। अस्तु।

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
हिंदी विभाग
मुम्बई विश्वविद्यालय

❑

गिरमिटियां देशों में हिंदी

धनश्याम तिवारी

यह समझ में आता है कि गिरमिटिया देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार विकास की बहुत संभावनाएं है। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भारतवर्ष के विभिन्न भूभागों से 'गिरमिटिया' के रूप में मजदूरों का प्रवास हुआ जो कि विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में फैल गए। गिरमिटिया शब्द के उद्भव पर भी ध्यान देना उचित रहेगा जो कि प्रासंगिक है। गिरमिटिया शब्द का उद्भव अंग्रेजी भाषा के 'एग्रीमेंट' शब्द से है जिसे हिंदी में 'करार' कहते हैं। वे मजदूर जहां गए वहीं पर रच-बस गए। उन्होंने भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में उत्कृष्ट योगदान किया है जो कि प्रशंसनीय है। तब से आज लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद भी भारत के प्रति प्रेम जगविदित है।

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में वर्ष 1975 में सर शिवसागर रामगुलाम जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे ने कहा था मॉरीशस का हिंदी भाषा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। जब हमारे बाप-दादा हिंद महासागर के इस छोटे से टापू पर उतरे थे और पथरीली जमीन को समतल बनाकर उन्होंने गन्ने की खेती की थी, तो उन्हें जीवन की मामूली सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थीं। बहुत से लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे। हजारों मील दूर अपनी मातृभूमि से अलग हो उन्होंने नया संसार बसाया। लेकिन यह बात याद रखने की है कि जब वे मजदूर लोग आए थे तो अपने-अपने धर्म और संस्कृति की धरोहर साथ लाए थे। रामायण की कथा गांव-गांव में होती थी। इसी प्रकार दूसरी भारतीय भाषाएं बोलने वाले अपने लोकगीत और अपनी लोक-कथा तथा अपनी धार्मिक परम्पराएं संभाल कर रखते थे। यही कारण है कि बहुत मजबूरियों के बावजूद मॉरिशस और भारत का सांस्कृतिक रिश्ता कायम है। विश्व हिंदी सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सर शिवसागर रामगुलाम ने कहा था मॉरिशस में न केवल हिंदी हायर सेकेंडरी में पढ़ाई जाती है बल्कि अनेक लेखक कवि और पत्रकार हिंदी में रचनाएं करते हैं। इन लेखकों की रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। 1968 में मॉरिशस की आजादी के बाद हिंदी के विकास में मॉरीशस ने जो कार्य किया है, उस पर हम गर्व करते हैं।

गिरमिटिया देशों में रामचरित मानस और हनुमान चालीसा के कारण हिंदी में लगाव रहता है।

2. गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति

मॉरिशस, फीजी, गायना ट्रिनिडाड, सूरीनाम आदि सूदूर द्वीपों के गोरे उद्योगपति बिहार, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों के भोले-भोले और निर्धन निवासियों को रोजी रोटी का लालच दे दे करके वहां ले जाते थे और वहां उनसे पशुओं के तरह काम लेते। वे गोरे गिरमिटिया मजदूरों के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते थे। इन अनपढ़ और निर्धन भारतीयों को गोरे-लोग अपने एजेंटों के माध्यम से करार के अंतर्गत ले जाते थे। पंचतंत्र में लिखा है कि उस समय उन मजदूरों के पास केवल एकमात्र तुलसीकृत रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीस की प्रति रहती थी। इन्हीं के पठन-पाठन से निजी रूप में इनकी भक्ति और सामूहिक रूप में उनका मनोरंजन होता था। हजारों मील की समुद्र की यात्रा के दौरान आंधी-तूफानों की भयानकता, भयावहता का सामना

ये भारतीय गिरमिटिया मजदूर रामायण और श्री हनुमान चालीस से शक्ति प्राप्त करते हुए करते थे।

तभी तो रामचरित मानस में लिखा है 'मन क्रम विषय अनल बन जरई। होई सुखी जो एहीं सर परई।' अर्थात् 'मन रूपी विषय की ज्वाला के वन में जो जलता है वह रामचरित मानस की शरण में सुखी होता है।'

इसके बाद ये भारतीय जन कुली और मजदूर बन करके सूदूर के दीपों में समस्त अन्याय और अत्याचार सहते, तब वहां भी माया पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और श्री हनुमान जी उनके सहायक बनते। उस समय उनके स्मरण और सामूहिक कीर्तन-भजन से वे अपने मन की व्यथा और शरीर की वेदना भूल जाते। इन दीन-हीन एवं निरीह भारतीयों ने इसी प्रकार उन सूदूर द्वीपों में शताब्दी-दर-शताब्दी बिता दी, जिनमें तीन-चार पीढ़िया व्यतीत हो गयीं। किंतु फिर भी इस महत्वपूर्ण व्यथा और वेदना के बीच में व जीवित रहे, और इनमें भारतीयता सजीव रही, जिसका सम्पूर्ण श्रेय तुलसीदास जी के रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीसा को जाता है।

3. वर्तमान में गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति

अब तो ये द्वीप स्वतंत्र देश है जहां ये गिरमिटिया मजदूर गए थे और हमारे वे भारतीय बंधु भी स्वतंत्र हैं। गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरितमानस में बालकाण्ड में लिखा है 'पराधीन सपनेहुं सुख नहीं।' कुछ देशों में तो इन भारतीय मजदूरों, कुलियों की संतानें प्रधानमंत्री, मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारी भी हैं, तो भी वे तुलसीदास कृत रामचरितमानस और श्री हनुमानचालीसा को नहीं भूले हैं जिसका प्रमाण है कि आज भी मॉरीशस के गांव-गांव में और शहरों के मकानों पर लाल रंग की डंडियां फहराती हुई दिखायी पड़ती है, जो कि श्री हनुमान जी के पताका ही है। अनेक स्थानों पर मंदिरों में हनुमान जी की विशालकाय मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं।

4. गिरमिटिया देशों में हिंदी के विकास की संभावनाएं

गिरमिटिया देशों में आज भी हिंदी के विकास की अनंत संभावनाएं हैं क्योंकि शुरू में बिहार और उत्तर प्रदेश से अधिक मजदूर भेजे गए थे। अत: आज भी उनके घरों में भोजपुरी बोली जाती है।

अपर निदेशक
राजभाषा एवं संगठन पद्धति निदेशालय
डीआरडीओ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011
मो॰ 8010403436
ई-मेल ganshyam.tiwari@yahoo.com

❑

सांस्कृतिक

सांस्कृतिक समन्वय की भूमिः पूर्वोत्तर भारत

प्रोफेसर हेमराज मीणा ''दिवाकर

पूर्वोत्तर भारत को सांस्कृतिक संगम भूमि माना जाता है। सांस्कृतिक वैविध्य और भाषाई वैविध्य इस धरती के निवासियों की अमूल्य धरोहर है। यहां का लोक सांस्कृतिक स्वरूप अद्‌भुत है। पूर्वोत्तर भारत का जो चित्र प्रचार तंत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह आधा-अधूरा और कोहरे में लिपटा हुआ है। अनेकों आपदाओं को झेलते हुए भी यहां के लोक मानस ने अपनी बोलियों, भाषाओं, वाचिक परंपरा के साहित्य तथा संस्कृति को बचाने के लिए अपनी आत्मशक्ति का परिचय दिया है। लगभग 150 जनजातीय बोलियों और भाषाओं का इस अंचल में प्रयोग होता है। संवैधानिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत में पांच भाषाओं का प्रयोग होता है—असम में असमिया, नेपाली तथा जनजातीय भाषा बोड़ो का। असम बराकघाटी क्षेत्र और त्रिपुरा में बांग्ला का। मणिपुरी में मणिपुरी अर्थात् मैते का। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है।

लिपि के स्तर पर यहां असमिया, देवनागरी, बांग्ला, मैतैमयेक तथा रोमन का प्रयोग होता है। काकबराक (त्रिपुरा) के लिए लिपि के प्रयोग पर प्रयास हो रहा है। मणिपुरी में मणिपुरी तथा हिंदी, मिजोरम में मिज़ोउ और हिंदी, त्रिपुरा में बांग्ला तथा हिंदी, नागालैंड में नागामीज़ तथा हिंदी, असम में असमिया तथा हिंदी, अरूणाचल में हिंदी, सिक्किम में नेपाली, सिकमीज़ तथा हिंदी मुख्य संपर्क भाषा (लिंक लैग्वेज) है। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी भाषा को पूरी आत्मीयता तथा सम्मान के साथ संपर्क भाषा के रूप में अपनाया है। पूर्वोत्तर भारत का भाषा प्रेम और भाषाई अनुराग अनुकरणीय है। यह भाषानुराग पूर्वोत्तर की आंतरिक सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है। समूचे पूर्वोत्तर में हिंदी पत्रकारिता की एक समृद्ध परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए आज गुवाहाटी और असम के अन्य नगरों लखीमपुर, तिनसुकिया, जोरहाट आदि से 'पूर्वांचल प्रहरी,' 'दैनिक पूर्वोदय', 'प्रातः खबर', 'सेंटिनल' जैसे हिंदी दैनिक और 'युमशकैश', 'लटचम', 'कुन्दोपरेङ्, 'महिप', 'चयोलपाऊ' (इंफाल, मणिपुर), मेघालय दर्पण, 'समन्वय पूर्वोत्तर, (शिलांग) 'गुंजन', पूर्वोत्तर भारती दर्पण' (कोहिमा, नागालैंड) 'राष्ट्रसेवक, उलुपी, मंच भारती, युवा दर्पण, देशदिसावर, 'उषा ज्योति', संघम्', (असम) तथा 'अरुण प्रभा' (ईटानगर) जैसी साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिकाएं पूर्वोत्तर की संवेदना से हमें जोड़ती हैं। यहां का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, भारतरत्न गोपिनाथ बरदलै, साहित्य शिल्पी ज्योतिप्रसाद अगरवाला, कलागुरू विष्णु राभा, डॉ॰ भूपेन हजारिका, पद्‌मभूषण रानी गाइडलु, कवि डॉ॰ लमाबम, श्री लक्ष्मीनाथ बैजबरुवा, डॉ॰ वीरेंद्र कुमार भट्‌टाचार्य तथा डॉ॰ मामोनी रायसम इंदिरा गोस्वामी, महाराज कुमारी विनोदिनी देवी, संगीतकार आर॰ डी॰ बर्मन आदि से कई रूपों में प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करता रहा है। पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध समाज को गौतम बुद्ध और उनका दर्शन भी यहां की बौद्ध संस्कृति के संरक्षण को प्रोत्साहन देता रहा है। तवांग

का गुंफा तथा गांतोक के बौद्ध मठ इसके उदाहरण हैं। पूर्वोत्तर भारत के आठों राज्यों की संस्कृति के निर्माण में यहां की प्राकृतिक संपदा और मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य की बड़ी भूमिका है। नदी, झरने, पर्वत, जंगल, विविध प्रकार के पेड़-पौधे और फूल पूर्वोत्तर निवासियों की आत्मा में निवास करते हैं। पूर्वोत्तर भारत को यहां की खूबसूरत प्रकृति और सहज शांत वातावरण ने उपहार में नृत्य, संगीत, कला और सौंदर्यानुभूति की दृष्टि दी है। उत्सवप्रिय यहां का समाज गंधर्व जाति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक समुदाय के पास अपनी भाषा-बोली है। लोकनृत्य हैं। वाद्य यंत्र हैं, लोक संगीत है और अपने-अपने लोकोत्सव हैं। इन्हीं लोकोत्सवों के कारण यहां का समाज तनावमुक्त और सहज है। वैसे आधुनिक जीवन शैली यहां के जीवन में विद्यमान रस को शुष्कता से भरने लगी है। अरूणाचल और असम की धरती ब्रह्मपुत्र नदी तथा सुवनश्री जैसी नदियां है। मणिपुर की धरती पर इंफाल नदी, लोक्ताक झील तथा वराक नदी है। यही बराक नदी असम प्रांत के कछार, करीमगंज को नया जीवन देती है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्य की धरती पर सैकड़ों छोटी-बड़ी नदियां और झरने हैं। सभी जनजातीय समुदायों के अपने-अपने पारंपरिक वस्त्र और आभूषण हैं। ये आभूषण भी इन्हें पेड़ों, पर्वतों, नदियों और पशुओं से मिले हैं। पूर्वोत्तर भारत जैसा पुष्प प्रेम आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। पूर्वोत्तर जैसा नृत्य वैविध्य भी अन्य राज्यों में दुर्लभ है। असम के गुवाहाटी नगर में कामाख्या धाम, वशिष्ठ आश्रम, जयदौल मंदिर, उमानंद मंदिर तथा श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र है। मणिपुर में गोविंददेव मंदिर तथा अरूणाचल में परशुराम कुंड है। त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी मंदिर तथा सिक्किम में नामची जिला मुख्यालय में चार धाम है।

इतिहास प्रसिद्ध शिवसागर में शिवमंदिर तथा अहोम राजाओं के महल हैं। तेजपुर (शोणितपुर) उषा-अनिरुद्ध स्थल, दीमापुर में भीम द्वारा प्रयुक्त प्रस्तर गदाएं हैं। रामायण की रामकथा के आधार पर कार्बी जनजातीय भाषा में साबिन-आलुन (कार्बी रामायण) तथा खामती जनजातीय भाषा में 'लिकचाङ्लामाङ्(खामती रामायण) की रचना भी असम और पूर्वोत्तर की देन है। लोक त्योहार या लोक उत्सवों की दृष्टि से मेघालय में नंक्रेम, रंगचुगाला, वांगाला और सद्-सुक-खलाम प्रसिद्ध है। मिजोरम में पलकूट, मीमकूट और चापचार कूट मनाते हैं। मणिपुरी लोक उत्सवों के नाम हैं-लाई-हराओबा, रासलीला, झूलन-यात्रा तथा चैराओबा।

नागालैंड में सांगतम, फोम, कोन्याक, आओ, अंगामी, सेमा, लोथा, चाखेसाङ; रेंगमा और कुकी समुदाय के मध्य मोत्सु, सुक्रेमंग, सीक्रेनी, नगोवी, थेकरानी, तुलुनी आदि पर्व आयोजित होते हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में ऊनकोटिमेला और अरूणाचल में न्योकुम, सोलुंग, मोपीन आदि अनेकों पर्व हैं। असम का बिहू पर्व और बिहू नृत्य विश्वविख्यात है। रंगाली बिहू (बहाग बिहू) सर्वाधिक लोकप्रिय है। पूर्वोत्तर के सभी नृत्य सामूहिक तथा कृषि संस्कृति (श्रम संस्कृति) पर आधारित हैं। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य और लोकप्रिय धर्म प्रकृति पूजा रहा है हिन्दू समुदाय के लोग हिन्दू पर्व, ईसाई समुदाय अपने धार्मिक पर्वों को भी मनाते हैं। धर्म, आस्था, विश्वास बदला है लेकिन पारंपरिक पर्व, उत्सव, नृत्य, संगीत, खेलकूद अभी जीवित हैं। सभी समुदायों में एक चेतना पैदा हो रही है और वे अपने मूल्यों, आस्थाओं वाचिक लोक साहित्य अपनी-अपनी मातृ बोलियों को संरक्षित रखना चाहते हैं। यहां का परिधान वैविध्य पूर्वोत्तर भारत को एक सांस्कृतिक भारत को एक सांस्कृतिक पहचान देता

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन गोवा में सचिव राजभाषा श्री गिरीश शंकर से पुरस्कार प्राप्त करते प्रतिभागी

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कोच्चि में केन्द्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की गृह पत्रिका ''जलधि'' का विमोचन करते हुए सचिव राजभाषा श्री गिरीश शंकर व अन्य अतिथिगण

राजभाषा कार्यशाला राजकोट में भाग लेते अधिकारीगण

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुंबई की दिनांक 21.10.2015 को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री जी॰एस॰ टुटेजा।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुंबई की बैठक में सहभागिता करते हुए सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण।

पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में केन्द्रीय विद्यालय रांची द्वारा प्रस्तुत किये गये रंगारंग कार्यक्रम की एक झलक

प्रख्यात कवि, गीतकार एवं विज्ञापन गुरू प्रसून जोशी को 'महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान-2015' से सम्मानित करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पी॰एस॰ जयकुमार

वरिष्ठ कार्यपालकों हेतु आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

है। लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक संगीत की ओर आस्था बढ़ रही है। अत: पूर्वोत्तर भारत लोक संस्कृति का संवाहक केन्द्र भी है।

पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर शेष राज्यों में झूम खेती होती है। सभी प्रकार के फल और सब्जियों का यहां उत्पादन होता है। असम राज्य के किसान चावल, सुपारी, नारियल की खेती करते हैं। असम में मूगा रेशम की भी खेती होती है। मेघालय राज्य की गारोहिल्स संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं अनन्नास का उत्पादन भी खूब होता है। गारो हिल्स के कुछ किसान पाट मूगा, रेशम, कपास की खेती करते हैं। मेघालय राज्य की खासी जनजाति सब्जी की खेती बड़ी दक्षता से करती है। पत्ता गोभी, लाइपता, मटर, मिर्च, टमाटर, गाजर, मूली आदि की यहां जैविक खेती होती है। आलू भी खूब होता है। सभी प्रकार की पहाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न सब्जियों में विशेष स्वाद है। यहां से कुछ सब्जियां असम के बड़े नगरों में भी भेजी जाती हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तथा नागालैंड में बांस और बेंत की टोकरियां और फर्नीचर बनता है। समूचा पूर्वोत्तर लकड़ी के फर्नीचर निर्माण के कार्य में अत्यन्त कुशल है।

त्रिपुरा बांस की विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाने में पूर्वोत्तर में सर्वाधिक लोकप्रिय है। मिजोरम लकड़ी की जड़ों से सौन्दर्यपूर्ण कलात्मक सजावट की सामग्री बनाने में दक्ष हो चुका है। पूर्वोत्तर के घर-घर में हथकरघा चलाया जाता है। पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण हर समुदाय अपनी प्राचीन परंपरा तथा प्रतीक विधान की शैली में करता है। अधिकांश जनजातीय समुदाय की महिलाएं अपने हाथ से बुने वस्त्र पहनती हैं। असमिया महिलाएं तात्शाल पर कपड़े बुनती हैं। पूजा के अवसर पर सफेद वस्त्र पहनने की परंपरा है। असम में महिलाएं असमिया संस्कृति के अनुसार मेखला-चादर पहनती हैं। पुरुष वर्ग धोती-गमछा धारण करते हैं। सत्र में पूजा के अवसर पर महिलाएं भी गमछा धारण करती हैं। मेहमान और रिश्तेदारों को गमछा भेंट किया जाता है। अतिथि को शराई में ताम्बूल-पान रखकर सत्कार किया जाता है। बिहू उत्सव में महिलाएं, नृत्य करने वाली लड़कियां मूगा से बने कलात्मक वस्त्र पहनती हैं। असमिया महिलाओं को लाल रंग विशेष प्रिय है।

बोडो महिलाएं दखाना पहनती हैं। सिक्किम का लिम्बू समाज भी पारंपरिक वस्त्र धारण करता है। मणिपुरी महिलाएं सूती तथा रेशम से निर्मित फनिक और चादर (आधी साड़ी) पहनती हैं। पूजा, कृषि, उत्सव के अवसर पर अलग-अलग रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। मणिपुरी पुरुष सफेद धोती तथा सफेद पगड़ी धारण करते हैं। मणिपुरी समाज में दुल्हन को राधा की तरह सजाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में वस्त्र पहनने की कला में असमिया, बोडो, खासी, मिसिङ्, मणिपुरी अरूणाचली आदि सौंदर्यात्मक ढंग से बहुत दक्ष है। पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्त गहन और व्यापक है। संगती-नृत्य और उत्सवप्रियता यहां की विशिष्ट पहचान है।

क्षेत्रीय निदेशक
केंद्रीय हिंदी संस्थान, गुवाहाटी केंद्र-781003
(असम)
मो॰ 9435119701

❑

अनुवाद

अनुवाद कला का व्यावहारिक पक्ष

डॉ॰ राजीव कुमार सिंह,

अनुवाद एकाधिक भाषाओं के मध्य कथ्य के प्रीतिकर व गुणग्राही प्रतिदान की प्रक्रिया है। अनुवाद शब्द के उच्चारण के साथ ही हमारे मस्तिष्क पटल पर अनायास दो भाषाओं का 'बिम्ब' और 'प्रतिबिम्ब' बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिम्ब मूल विषय-सामग्री की भाषा का तथा प्रतिबिम्ब जिस भाषा में उस मूल सामग्री का अनुवाद अपेक्षित है, उसका बन जाता है। इन्हें क्रमश: 'स्रोत भाषा' एवं 'लक्ष्य भाषा' के नाम से भी अभिहित किया जाता है। मानव मस्तिष्क पटल पर यह क्रिया केवल इन दोनों भाषाओं के भाषिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं होती है वरन् इस समग्र प्रक्रिया में मूल सामग्री के निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक होता है। इस बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब का वास्तविक अभिप्राय लक्ष्य तथा स्रोत भाषाओं की अपेक्षा मूल सामग्री के वास्तविक निहितार्थ के साथ ही साथ उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं भंगिमा के हू-ब-हू पुनरुत्पादन से है।

अत: यह बात कहने में कोई गुरेज़ नहीं कि एक अनुवादक के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होती है कि वह किस सीमा तक मूल सामग्री की संस्कृति को भांपता है तथा उसकी भंगिमा को लक्ष्य भाषा में उतार पाता है। सच पूछा जाए तो अनुवाद का सारा खेल सामग्री की भंगिमा के पुनरुत्पादन पर ही निर्भर है। मानक एवं सटीक अनुवाद वही हो सकता है जिसमें स्रोत भाषा की मूल सामग्री में निहित अर्थ को उसकी 'भंगिमा' का पूरा-पूरा ख्याल रखते हुए लक्ष्य भाषा में यथावत रख दिया जाता है, या यूं कहा जाए कि हम अनुवाद संबंधी चाहे जितनी भी सैद्धांतिक रचनाएं पढ़ लें, तथा सिद्धातों को कंठस्थ कर लें किन्तु बात तब तक अधूरी रह जाती है जब तक कि भंगिमा के पुनरुत्पादन रूपी व्यावहारिक पक्ष को आत्मसात न कर लिया जाए।

'भंगिमा' शब्द का अभिप्राय किसी मूल सामग्री के सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से है, जो उस सामग्री में स्रोत भाषा के माध्यम से अन्तर्निहित होती है। इसी विशेष बात के लिए अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न सिर्फ स्रोत तथा लक्ष्य भाषाओं का विशेषज्ञ हो बल्कि उसे सामग्री के संदर्भ, प्रकृति एवं संस्कृति का पूरा-पूरा ज्ञान हो।

अनुवाद शब्द की उत्पति दो शब्दों 'अनु+वाद' से हुई है। 'वाद' शब्द में 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से 'अनुवाद' शब्द बना है जिसका अर्थ होता है पुन: कहना अर्थात किसी भाषा विशेष में कही गई बात को पुन: कहना। अत: ''किसी भाषा विशेष में की गई विषयाभिव्यक्ति को उसके निहित अर्थों के साथ किसी अन्य भाषा में पुनरुत्पादित करना ही अनुवाद है।'' यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुवाद के मुख्यत: दो पक्ष होते हैं —(क) सिद्धांत पक्ष तथा (ख) व्यवहार पक्ष।

(क) सिद्धांत पक्ष: सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अनुवाद के सिद्धांत पक्ष को स्पष्ट करता है। ''अनुवाद का विज्ञान पक्ष वास्तविक अनुवाद क्रिया की पृष्ठभूमि में होता है, अनुवाद करने में नहीं''।[1] अत: हम कह सकते हैं कि अनुवाद विज्ञान के सहारे ही हम शिल्पापेक्षित या कलापेक्षित अनुवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम व्याकरणिक अनुवाद भी कह सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम किसी विषय-वस्तु या भाषा इत्यादि को शुद्ध-शुद्ध बोलने अथवा लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम अनुवाद को विज्ञान की संज्ञा से विभूषित करते हैं, तो हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपेक्षित सैद्धांतिक जानकारी का वैज्ञानिक विवेचन करें। वास्तव में यही 'अनुवाद विज्ञान' है।

(ख) व्यवहार पक्ष: — अनुवाद के व्यवहार पक्ष के अंतर्गत दो बातें आती हैं— अनुवाद-शिल्प तथा अनुवाद-कला। यहां स्पष्ट है कि अनुवाद विज्ञान अनुवाद के सिद्धांत पक्ष को स्पष्ट करता है, जबकि शिल्प तथा अनुवाद-कला अनुवाद के व्यवहार-पक्ष को स्पष्ट करते हैं। अत: हम कह सकते हैं कि अनुवाद विज्ञान, शिल्प तथा कला तीनों ही है।

अब हम यहां अनुवाद शिल्प तथा अनुवाद कला के पक्षों पर विचार करेंगे। ''अमूमन यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अभ्यास या शिक्षण के माध्यम से कलाकार नहीं बन जाता जब तक कि उस व्यक्ति के अंदर यह सहज प्रतिभा न

हो।''[2] काव्य, मूर्ति, चित्र आदि इसीलिए कला हैं क्योंकि ये विषयनिष्ठ होते हैं, जबकि ''उपयोगी कला जैसे—फर्नीचर बनाना, बर्तन बनाना, संदूक बनाना, जिल्द बनाना, मशीनें बनाना आदि को शिल्प कहा गया है क्योंकि ये सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं। शिल्प कला का ज्ञान अभ्यास एवं शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि पीढ़ीगत व्यवसाय से जुड़ी संतति अपने घरेलू वातावरण से प्रेरणा लेते हुए अपने कार्य विशेष में दक्ष हो जाती है, जबकि इस बात की सम्भावना कम ही होती है कि किसी साहित्य सर्जक की संतान साहित्य रचना कर्म को अपना कार्यक्षेत्र बना पायी हो या किसी चित्रकार का बेटा चित्रकार बन गया हो। कारण यह है कि इन चीजों को सिर्फ वातावरण या अभ्यास के सहारे नहीं सीखा जा सकता है बल्कि इन्हें सीखने के लिए उस व्यक्ति विशेष के अंदर सहज प्रतिभा का होना आवश्यक है।''[3]

कला और शिल्प में सबसे बड़ा फ़र्क यह होता है कि शिल्प में शिल्पी की आत्माभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, जब कि कला में उस व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कला एक सृजन है। सृजनशीलता हर व्यक्ति में नहीं होती। जब हम अनुवाद को कला मानते हैं, तो यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर अनुवाद कला क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप हम एक साधारण अनुवादक का उदाहरण लें। यह साधारण अनुवादक किसी वैसी सामग्री का अनुवाद करे जिसमें कुछ विशेष भाव निहित है। चूंकि यह साधारण अनुवादक अनुवाद करना जानता है, इसीलिए वह उस सामग्री का शब्दशः अनुवाद तो कर देता है, किंतु उसी समय यदि कोई अच्छा अनुवादक जिसमें कि सृजन करने की क्षमता है, उसी सामग्री का अनुवाद करता है तो वह उस सामग्री में निहित विशेष भाव को भी उद्धृत कर देता है। इतना ही नहीं इस सामग्री का अनुवाद यदि एक से अधिक अनुवादक करते हैं, तो यह देखा जाता है कि प्रत्येक अनुवादक के व्यक्तित्व की छाप उसके अनुवाद में दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ''प्रत्येक अनुवादक अपने-अपने अनुवाद में कुछ न कुछ सर्जना करता है।''[4] नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है:—

(i) I am inclined to the third explanation.

इस वाक्य का साधारण अनुवाद है—'तीसरी व्याख्या की ओर मेरा झुकाव है।' किंतु, इसका सृजनात्मक अनुवाद है—'मेरे ख्याल में तीसरी बात ज्यादा ठीक है।'

(ii) It is very cold today.

इस वाक्य का साधारण अनुवाद है—'आज बहुत ठंड है।' किंतु इसका सृजनात्मक अनुवाद है—'आज तो कुल्फी जम रही है।'

(iii) It is a very serious decision.

इस वाक्य का साधारण अनुवाद है—'यह एक बहुत गंभीर निर्णय है।' किंतु इसका सृजनात्मक अनुवाद है—'यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है' इत्यादि।

अतः हम उपरोक्त उदाहरणों से देखते हैं कि एक ही वाक्य के दो अलग-अलग अनुवाद हैं, तथा साधारण एवं सृजनात्मक अनुवाद में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। इसलिए हम यह पाते हैं कि कुशल अनुवादक सर्जक होता है, तथा सफल अनुवाद एक प्रतिफलित सर्जना है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है, इसलिए अनुवाद एक समायोजन कार्य भी है। अतः इस कार्य के सफल निष्पादन हेतु ''अनुवादक को चाहिए कि वह मूल पाठ का गंभीरतापूर्वक पठन करे, उसका विश्लेषण करे तथा मूल पाठ में निहित अर्थ को समझे।''[5] इस प्रकार मूल पाठ के पठन, विश्लेषण एवं अर्थ ग्रहण के फलस्वरूप अनुवादक जो अनुवाद करेगा वह अनुवाद काफी सरल, सुबोध एवं सुस्पष्ट होगा।

वरिष्ठ अनुवादक,
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल,
पर्यावरण भवन, सी॰जी॰ओ॰ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
E-mail-htnslrrajiv@gmail.com
Mob. No. 09958517306

संदर्भ सूची

(1) & (2) अनुवाद कला, भोलानाथ तिवारी, पृ॰ सं॰-14, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली, 1988

(3) & (4) अनुवाद कला, भोलानाथ तिवारी, पृ॰ सं॰-15, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली, 1988

(5) अनुवाद और उत्तर—आधुनिक अवधारणाएं, डॉ॰ श्रीनारायण समीर, पृ॰ सं॰-27, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012

कार्यालयी सामग्री के कुशल अनुवाद के तरीके

—अंजना राणा

कार्यालयी सामग्री से यहां अभिप्राय यहां उन सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों से है जिनका एक भाषा से अन्य भाषा में परस्पर अनुवाद किया जाता है। कार्यालयों में अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, संक्षेपण, निविदा, परिपत्र, पत्र, सरकारी पत्र, सीसीए नोट, लोक सभा प्रश्न आदि प्रकार की सामग्री का अनुवाद किया जाता है। कार्यालयी सामग्री की मुख्यत: पांच विशेषताएं होती हैं—सूचनात्मक, पारिभाषिक शब्दावली, रूढ़ वाक्यांश और अभिव्यक्तियां और अभिधात्मक शब्दशक्ति। इस प्रकार कार्यालयी सामग्री वह सूचनात्मक कथ्य होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए अभिधात्मक शब्दशक्ति के व्यवहार में पारिभाषिक शब्दावली और रूढ़ वाक्यांश अभिव्यक्तियों के व्यवहार द्वारा लक्षित को संप्रेषित किया जाता है।

कार्यालयी सामग्री को उपरोक्त बताई गई सभी विशिष्टताएं इसे एक विशिष्ट प्रकृति प्रदान करती है। इसका अनुवाद करने के लिए मूल भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए शब्दों के प्रशासनिक संदर्भगत अर्थ का ज्ञान भी होना अपरिहार्य होता है। कार्यालयी सामग्री की मूल प्रकृति सूचनात्मक होने के कारण इसके अनुवाद की यह अनिवार्यता होती है कि इसमें ना तो कुछ जोड़ा जाए और ना कुछ छोड़ा जाए। इसमें अनुवादक की भूमिका मूल भाषा पाठ को लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करने की होती है कि मूल भाषा पाठ को कथ्य *हू-ब-हू* पूरी तरह लक्ष्य भाषा में संप्रेषित हो जाए और पाठ के प्रारूप में अंतर आए बिना, अनूदित पाठ में लक्ष्य भाषा की स्वाभाविकता और पठनीयता हो। इस प्रकार कार्यालय सामग्री सटीक अनुवाद की मांग करती है। इस कार्य को किस प्रकार सटीकता से किया जा सकता है इसका बिन्दुवार अध्ययन नीचे दिया गया है—

1. हू-ब-हू अनुवाद—कार्यालयी सामग्री का सफल अनुवाद करने के लिए आवश्यक है कि अनुवादक को पता हो कि उसे किस प्रकार का अनुवाद करना है। उसे अनुवाद कार्य में कितनी छूट मिल सकती है इसलिए अनुवादक को मूल निष्ठ और लक्ष्यभाषा का प्रकृति के अनुकूल अनुवाद करना चाहिए। उसे इस कार्य में अपनी तरफ से कथ्य, प्रारूप और शैली स्तर पर कोई जोड़-तोड़ नहीं करनी चाहिए। जिससे अनुदित पाठ मूल पाठ के समान ही प्रमाणित हो और संप्रेषित कथ्य के स्तर पर अनूदित पाठ में मूल पाठ के समकक्ष कोई अंतर न हो।

2. वाक्य संरचना की प्रकृति—वाक्य संरचना की प्रकृति से अभिप्राय वाक्य स्तर पर भाषा के शब्द भेदों/कारकों की प्रयुक्ति की व्यवस्था व वाक्यों के प्रकार से है। यह शब्द भेद/कारक-कर्त्ता, कर्म, क्रिया विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। किंतु वाक्य संरचना में इनका स्थान क्या होगा यह नियम प्रत्येक भाषा के अपने-अपने होते हैं। अनुवादक को अनुवाद कार्य के लिए मूल व लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचना की प्रकृति का ज्ञान अपरिहार्य होता है। यही वह मूल आधार है जिसके बल पर वह मूल पाठ का विश्लेषणात्मक बोधन करने और उसे मूलनिष्ठता के साथ लक्ष्य भाषा में अनूदित पाठ के रूप में भांषातरित कर पाता है। इसलिए कार्यालयी सामग्री का सफल अनुवाद करने के लिए अनुवादक को चाहिए कि मूल पाठ का बोध स्पष्ट तरीके से करने के लिए मूल भाषा की प्रकृति को ध्यान में रख कर करे। चूंकि कार्यालयी सामग्री के वाक्य प्राय: लंबे होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अनुवादक द्वारा सावधानी से मूल पाठ का अर्थ/कथ्य को ग्रहण कर पूर्ण मूलनिष्ठता के साथ लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण करते हुए कार्यालयी सामग्री का अनुवाद कार्य किया जाए।

3. शब्दकोषों का अद्यतन—कार्यालय सामग्री का सम्बन्ध, तकनीक, सूचना, गणित सांख्यिकी, मानविकी आदि किसी भी विषय से हो सकता है। मानव जिस तरह विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है, उसी रफ्तार से नई अवधारणाओं, सिद्धांतों, खोजों, संकल्पनाओं, वस्तुओं, तकनीक आदि के लिए जहां इन नवीन तत्वों का जन्म हो रहा है, इनकी उस भाषा समाज में अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों का सृजन हो रहा है। वैश्विकता के चलते विश्व स्तर

पर इन सभी नूतन तत्वों का परस्पर आदान-प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि अन्य भाषाओं में भी इन तत्वों को अभिव्यक्ति देने के लिए नए शब्दों का या तो सृजन किया जाए या मूल भाषा जहां इनका उद्‌भव हुआ हो उन्हें यथावत अन्य भाषाओं द्वारा अंगीकार कर लिया जाए। शब्दों के संग्रह और संदर्भों के लिए सबसे उपयुक्त साधन शब्दकोष और इनसाइक्लोपीडिया होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि मूल भाषा कि इन तत्वों को संग्राह्य कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए लक्ष्य भाषा में भी समुचित पर्याय उपलब्ध हो और उन्हें शब्दकोषों में संकलित किया गया हो। चूंकि शब्दकोषों में दिए गए शब्द की प्रमाणिकता भाषाविदों व अनुवादविदों द्वारा जांची-परखी होती है। इसलिए इनमें दिए गए शब्दों पर्यायों पर अनुवाद कार्य के लिए कार्यालयी सामग्री जो कि कई प्रकार के विषयों के लिए होती है के अनुवाद कार्य में अद्यतित शब्दकोषों का प्रयोग किया जाए। इससे भाषा की सूचना शक्ति, अनूदित पाठ के पाठक की ग्राह्यता तो बढ़ेगी ही साथ ही अनुवादक को भी अनुवाद कार्य में सरलता मिलेगी तथा अनूदित पाठ प्रमाणिक बनेगा।

4. विभागों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली के अद्यतित रूप का अनुवादकों में आबंटन—भाषा समाज का नित नवीन होने वाला अंग है। इसका कारण है भाषा की यादृच्छिक शक्ति और मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में कुछ-न-कुछ नवीनता का प्रयासात्मक आग्रह। भाषा निरन्तर विकसित होती रहती है। इसलिए अनुवाद क्षेत्र से जुड़े और भाषा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि उन्हें भाषा में निरन्तर जुड़ रहे नवीन शब्दों का पता हो। विभिन्न विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीव के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होने के कारण इनमें भी इन नवीन शब्दों का अपने कार्य की मांग के अनुसार प्रयोग होता है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने विभाग आदि से संबंधित विशिष्ट शब्दावली को सूचीबद्ध करके संकलित किया जाए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से उनकी प्रमाणिता की जांच करा के विभाग व उससे संबंधित अन्य विभागों व कार्यालयों के अनुवादकों व अतिरिक्त सहायक आदि व्यक्तियों को इनकी नवीनीकृत सूची उपलब्ध कराई जाए, इससे अनुवाद कार्य में एकरूपता, प्रमाणिकता तो आएगी ही साथ ही विभिन्न कर्मचारियों में अनूदित पाठ के प्रति बोधगम्यता भी बढ़ेगी।

5. तकनीकी साधनों की उपलब्धता व प्रयोग—सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अनुवाद का कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है और उसमें सहयोग करने वाली नई तकनीकों की भी खोज हो गई है। यह तकनीकें पूर्ण रूप से अनुवाद में तो कुशल नहीं हैं किन्तु त्वरित गति से अनुवाद कार्य करने में काफी सहायक हैं, जैसे कि—महाशब्दकोश, मंत्र, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विषय-बार और वर्ण-क्रमबार उपलब्ध कराई गई शब्दावली आदि। इसलिए अनुवादक से अपेक्षित है कि उसे इन तकनीकों का कार्यसाधक ज्ञान हो। जिससे वह अपने कार्य को निपुणता के साथ सरलता से कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसे इन नई तकनीकों से विभाग, कार्यालय स्तर पर कार्यशाला आदि आयोजित कर बताया जाए तथा उपलब्ध कराया जाए।

6. सरलता व स्पष्टता के प्रति आग्रह—कार्यालय सामग्री के अनुवाद में अनुवादक को इस बात का सतर्कता के साथ ध्यान देना चाहिए कि अनूदित पाठ मूलनिष्ठ होने के साथ-साथ सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति का ध्यान रखा जाए। ज्यादा लम्बे वाक्य ना हो, क्लीष्ट शब्दों का व्यवहार अनावश्यक रूप से ना किया जाए। नवीन शब्दों में अंग्रेजी पर्याय को हिंदी शब्द के साथ कोष्ठक में दिया जाए। प्रोक्ति स्तर पर अनुवाद हो, मानक शब्दावली का प्रयोग तभी कार्यालयी अनुवाद अपने पाठक तक मूल पाठ के कथ्य को कुशलता के साथ संप्रेषित कर पाएगा।

7. पुनरीक्षण की अवहेलना नहीं—कार्यालय सामग्री का अनुवाद मूल पाठ के समक्ष उसकी प्रमाणिकता की मांग रखता है। चूंकि कार्यालय सामग्री का संबंध गंभीर विषयों से है। इसमें हुई चूक अर्थ का अनर्थ कर कार्यालयी कार्यों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि कार्यालयी सामग्री का अनुवाद बड़ी सूझ-बूझ और सतर्कता के साथ निरपेक्ष भाव से किया जाए। किन्तु ऐसा करने के पश्चात् भी हो सकता है कि अनुवादक से किसी स्तर पर अनूदित पाठ के अनुवाद में कोई कमी रह जाए। इसलिए यह अनिवार्य होता है कि अनुवादक द्वारा अनूदित पाठ का संपादन करने से पहले उसकी जांच पुनरीक्षक से करवा ली जाए। उसके पश्चात् उसका पुनर्गठन कर उसका संपादन हो। अन्यथा अनूदित पाठ में शेष रह जाने की संभावना बनी रहती हो व अनुवादक में अपने कार्य के प्रति अजावबदेही की भावना भी पनप

सकती है। इस कारण पुनरीक्षण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

8. सुझावों का स्वागत—अनुवाद कार्य अभ्यास चाहता है। जितना अधिक अभ्यास होगा अनुवाद कार्य उतना निखरता जाता है। भाषा का शब्दभंडार बहुत व्यापक और वक्त के साथ नवीन का समाहार करने वाला है। ऐसे में अनुवादक को प्रत्येक शब्द का अर्थ पता हो यह अनिवार्य नहीं। भाषा को व्यवहार द्वारा सीखा जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं कि किताब खोली और कंठस्थ कर ली। इसलिए अनुवादक और पुनरीक्षक को यह स्वीकारना चाहिए कि उनके ज्ञान की सीमा है उनका ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं है। अनुवाद के स्तर पर एक-दूसरे से किसी पर्याय आदि के आव-भाव या संदर्भगत प्रयोग को लेकर विचार और सूझबूझ होने पर उन्हें एक-दूसरे की बात काटने के बजाए अपने मत को स्पष्ट तो करना ही चाहिए साथ ही निरपेक्षता के साथ दूसरे तथा सुझाए गए विकल्प की सटीकता पर भी विचार करना चाहिए। यदि उन्हें पर्याय निर्धारण में या फिर किसी और स्तर पर अनुवाद में समस्या आ रही हो तो साथी अनुवादकों और विषय से संबंध व्यक्ति से इस पर विचार-विमर्श का सटीक विकल्प का चयन करना चाहिए।

9. अभ्यास—*'करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत-जात ते सिल पर परत निसान'* ये दोहा अभ्यास के महत्व को प्रतिपादित करता है। कार्यालयी सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादक पर भी यह बात समान रूप से लागू होती है। अनुवादक को चाहिए कि वह भिन्न प्रकार की कार्यालयी सामग्री के अनुवाद कार्य का अभ्यास करे। इससे उसकी कार्यालयी भाषा में रूढ़ रूप में प्रयुक्त होने वाली वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों का अभ्यास होगा, उसके अनुवाद कार्य में त्वरिता आएगी, उसका भाषा ज्ञान विकसित होगा। जिससे वह कार्यालयी सामग्री का अनुवाद सरलता-स्पष्टता के साथ कर पाएगा।

10. कार्यभार का समुचित आबंटन—कार्यलयी सामग्री के कुशल अनुवाद के लिए आवश्यक है कि कार्यालय में अनुवाद कार्यों को आबंटन समुचित तटस्थता के साथ हो। किसी एक व्यक्ति पर अधिक कार्य-भार डालने से अनुवाद की गुणवत्ता, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। साथ ही स्वस्थ कार्यालयी वातावारण तैयार नहीं हो सकेगा। अनुवादक को काम के दबाव कारण अनुवाद कार्य से विरुचि, मानसिक उद्धेग हो सकता है। ऐसे में उसके द्वारा जल्दबाजी में खानापूर्ति अनुवाद किया जाएगा। जिसके कारण अनूदित पाठी की बोधगम्यता, संप्रेषणीयता तथा पठनीयता बाधित होगी।

11. अतिरिक्त सहायकों की नियुक्ति—कार्यालयों में अतिरिक्त सहायकों द्वारा प्रथम स्तर पर पुनरीक्षण कार्य किया जाता है। यह संदर्भगत विषय और मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा का विशद् ज्ञान और समझ रखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुनरीक्षक हों। जिससे अनूदित पाठ की जांच हो सके, अनुवादक को सहायकों से सीखने को मिले, अनूदित पाठ त्रुटिहीन बने। इस प्रकार कार्यालयों में अतिरिक्त सहायकों का समुचित संख्या में होना अपरिहार्य है।

12. अनुवाद प्रतियोगिताएं—किसी भी कार्य में तब-तक उत्कृष्टता नहीं आ सकती जब तक कि कर्त्ता की उसमें रुचि न हो। इसलिए कार्यालयी सामग्री का कुशल अनुवाद कराने के लिए आवश्यक है कि अनुवादकों को इसमें रुचि हो। अनुवाद, प्रतियोगिताओं द्वारा अनुवादकों को प्रोत्साहन देने से उनकी अनुवाद में रुचि बढ़ेगी और वह मात्र दायित्व बोध से ही नहीं बल्कि तत्पर रोचकता के साथ अनुवाद कार्य करेंगे जिससे कार्यालयी अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

13. व्यावसायिक स्वाभिमान—हीन भावना से ग्रसित होने पर आत्मविश्वास, जिज्ञासा और रचनात्मकता, सर्जनात्मक और रुचि का ह्रास हो जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे उसके महत्त को समझे उसमें, अपने व्यवसाय के प्रति स्वाभिमान की भावना हो। तभी वह अपनी कुशलता व प्रतिभा को अपने कार्य में लगाएगा और विकसित करेगा। इसलिए अनुवादकों को अपने कार्य की महत्ता का समझना चाहिए। अनुवाद कार्य को मूल लेखन के समान ही श्रेष्ठ और उपादेय समझना चाहिए। तभी कार्यालयी अनुवाद में उसकी रुचि जागेगी और वह यथासाध्य कुशल अनुवाद करने के लिए तत्पर होगा।

❑

विशेष

वर्तमान युवा पीढ़ी को तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का संदेश

—गिरधारी लाल विजयवर्गीय

प्रस्तावना : प्राचीन काल से ही हिंदी साहित्य किसी न किसी रूप में बेजोड़ कलाकृतियों के माध्यम से जन-मानस के समक्ष प्रस्तुत होता रहा है। इनमें से कुछ कृतियां अद्वितीय व अनूठी होती हैं तो कुछ रचनाएं मंझी हुई, बेजोड़, प्रासंगिक, वास्तविकता की कसौटी पर खरी एवं शिल्पगत दृष्टि से इतनी सुंदर होती है कि वह युगों-युगों तक न केवल पाठकों के मानस-पटल पर छायी रहती है, अपितु उसको घर के बने ''पूजा गृह'' में स्थान भी मिलता है।

ऐसी ही भक्तिभाव व प्रेम से ओत-प्रोत कालजयी कृति का नाम है - ''**श्रीरामचरितमानस**।'' वास्तव में **425 वर्ष पूर्व महाकवि तुलसीदास जी** द्वारा लिखा गया यह साहित्य आज भी प्रत्येक हिंदू परिवार में सम्मानीय व पूजनीय दृष्टि से सहेज कर रखा जाता है। ''**श्रीरामचरितमानस**'' का निर्माण काल **विक्रम संवत 1631** को माना जाता है। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष, 7 मास व 26 दिन लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित यह महाकाव्य 7 काण्डों में विभाजित है-**बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किंधाकाण्ड, सुंदरकाण्ड, लंकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड**। श्रृंगार व शांत रस से ओत-प्रोत यह महाकाव्य पूर्णत: अवधि व बृज भाषा शैली में लिखा गया है। छंद व अलंकार की दृष्टि से इस साहित्य कृति का कोई सानी नहीं है।

तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय:- यहां पर ''**श्रीरामचरितमानस**।'' का उल्लेख करते समय संत व कवि तुलसीदास जी के बारे में न कहना बड़ी भूल होगी। आपका जन्म संवत 1554 में ग्राम राजापुर (वर्तमान उत्तरप्रदेश का बांदा जिला) में हुआ। पिता का नाम आत्माराम व माता का नाम तुलसी देवी था। जन्म के कुछ दिन बाद माता का देहवसान व पिता द्वारा भी किसी दासी को आपको सौंप देना, इन सभी विकट परिस्थितियों में तुलसीदास जी बाल्यकाल गुजरा। समय बीतने के साथ ही संत अनंतादास की दृष्टि आप पर पड़ी और इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। बालक की अतुल्य प्रतिभा से प्रभावित हो संत अनंतादास ने इनका नाम ''तुलसीदास'' रखा।

अति सुदर कन्या रत्नावली से आपका विवाह संपन्न हुआ। पत्नी के मोह में तुलसीदास की आसक्ति इतनी बढ़ी कि एक दिन पत्नी के मायके जाने के बाद उनके पीछे-पीछे आप भी हो लिए। तब पत्नी का मन बहुत आहत हुआ। पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा-

''हांड-मांस को देह मम, ताषर जितनी प्रीति।
तिसु आधो तो राम प्रीति, अवसि मिटिहि भवभीति।।''

अर्थात ''आप हांड-मांस के बने मेरे शरीर पर इतने आसक्त हो! अगर इतनी भक्ति व आसक्ति प्रभु के प्रति दिखाई होती तो शायद भगवान के दर्शन हो जाते।'' तब से तुलसीदास का मन विचलित हो उठा। उन्होंने उसी समय वह स्थान छोड़ दिया और चित्रकूट चले आए। यहां पर बताया जाता है कि श्री हनुमान की सहायता से उन्हें भगवान श्रीराम व लक्ष्मण के दर्शनों की प्राप्ति हुई। तोते के रूप में प्रकट हो श्री हनुमान ने तुलसीदास जी को संकेत करते हुए कहा-

''चित्रकूट के घाट पर भइ सन्तन की भीर,
तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक देत रघुवीर।''

इसी प्रकार शिव-पार्वती ने भी साक्षात दर्शन दे तुलसीदास जी को ''**श्रीरामचरितमानस**'' जैसी कालजयी कृति की रचना करने का आशीर्वाद दिया।

अब हम यहां अपने मूल बिंदु पर आते हैं। आज जिस प्रकार वर्तमान युवा पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौध में अपने नैतिक मूल्यों व आदर्शों से भटकती जा रही हैं, ऐसे में ''श्रीरामचरितमानस'' का अनुसरण करना उनके लिए ना केवल हितकर होगा अपितु संपूर्ण भविष्य के लिए भी ''राम-बाण दवा'' सिद्ध होगा। आज भले ही वर्तमान शिक्षा-पद्धति ने युवा पीढ़ी को नाना प्रकार की डिग्रियां व अच्छे वेतन वाली नौकरियां दिलाई हो मगर आदर्शों व नैतिकता

के सदंर्भ में बात करें तो यही युवा पीढ़ी बहुत पिछड़ गई है। उसे अपनी भविष्य की चिंता में ना तो परिवार के सदस्यों की चिंता है, ना ही समाज में व्याप्त घटते मूल्यों की।

अब हम यहां निम्न बिंदुओं के माध्यम से ''श्रीरामचरितमानस'' के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यह महाकाव्य भटकती हुई युवा-पीढ़ी को सही मार्ग-दर्शन का संदेश दे सकता है:—

1. आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व बनने का संदेश :— ''श्रीरामचरितमानस'' में यह सबसे अहम् घटक हैं। तुलसीदास जी ने आदर्शों की बात कहते हुए हमें नैतिकता के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। जिस प्रकार स्वयं भगवान श्री राम एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता के अद्वितीय उदाहरण बने, ठीक इसी प्रकार आज की युवा पीढ़ी को भी श्री रामचरितमानस का यही संदेश है कि वे आदर्श व्यक्तित्व के धनी बनें और यह तभी संभव हो सकता है, जब वे अपने नैतिक व मर्यादापूर्ण आचरण से समाज, परिवार व देश हित में विचार करें। मात्र डिग्रियां व अच्छी नौकरियां प्राप्त करना ही उद्देश्य ना हो वरन् अपने परिवार व समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने वाले भी बनें।

2. मर्यादापूर्ण आचरण करने का संदेश:— संपूर्ण ''श्री रामचरितमानस'' में इसी भावना का भण्डार भरा पड़ा है। महाकाव्य के नायक ''श्री राम'' स्वयं मर्यादापूर्ण आचरण के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने मर्यादापूर्ण आचरण से न केवल अपने परिवार वरन् समस्त समाज, राष्ट्र के लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। आज की युवा पीढ़ी को भी इसी घटक की महती आवश्यकता है। उत्साह से परिपूर्ण युवा पीढ़ी भले ही आज समय के साथ तेजी से कदम मिलाकर चल रही है मगर इस भागम-भाग में कहीं न कहीं जो उनसे छूट गया है, वह है-मर्यादापूर्ण आचरण।

अपने भविष्य की चिंता में न उसे अपने माता-पिता की चिंता है, और न परिवार के अन्य सदस्यों की। अक्सर यह देखा जाता है कि परिवार में किसी बात को लेकर मन-मुटाव होने पर युवा पीढ़ी अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं, उसे अपनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार विद्यालयों व कॉलेजों में भी युवा पीढ़ी द्वारा अपने गुरुजनों के प्रति मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे में युवा पीढ़ी को अपने असंतुलन होते व्यवहार को मर्यादापूर्ण बनाने की सख्त आवश्यकता है।

3. समन्वय की भावना का संदेश:— ''श्रीरामचरितमानस'' में इस बिंदु पर तुलसीदास जी ने बड़े ही रोचक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसलिए अपने मार्ग से भटकती हुई युवा पीढ़ी को आज इस भावना की भी आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी अपने परिवार व समाज से कटी-कटी रहती है। ''फेसबुक'' के पेज में समायी हुई यह युवा पीढ़ी परिवार में आपसी समन्वय की भावना को पूरी तरह से भुला चुकी है। उसे तो बस अपनी ''इंटरनेट'' की दुनिया से मतलब है। जब कभी उस पर कोई समस्या आ पड़ती है तब भी वह अपने माता-पिता या भाई से वार्तालाप करने के बजाय एकांतवास या मित्रों के साथ रहना पड़ता है। ऐसे में 'समन्वय' की भावना का लुप्त होना स्वाभाविक है।

वहीं दूसरी और समाज में आज भी जातिगत भेदभाव, आपसी वैमनस्य, धार्मिक कट्टरता आदि बुराईयां मुंह खोले खड़ी हैं, जिसका अधिकतर लाभ राजनीतिक पार्टियां अपने ''वोट बैंक'' के खातिर करती हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह इन सामाजिक बुराईयों से लड़कर एकजुट होने का संदेश देवें। ऐसा तभी होगा तब जब युवा पीढ़ी समन्वय की भावना को आत्मसात् करेगी। उन्हें छोटे-बढ़े, धर्म-अधर्म, जात-पात, ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करना होगा। इस संदर्भ में महान् कवि व साहित्यकार **डॉ॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी** कहते हैं — ''भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास जी स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।''

4. नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना:— ''श्रीरामचरितमानस'' में तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट कहा कि श्रीराम उन्हीं में निवास करते हैं, जो काम क्रोध-लोभ-दंभ से पूर्णत: मुक्त हैं। मगर वर्तमान युवा पीढ़ी कहीं न कहीं इन पांचों बंधनों में बुरी तरह उलझ चुकी है तथा अपने नैतिक व आदर्श भूलती जा रही है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वे सदाचार व नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए इन बुराइयों से अपने को दूर रखें। ''श्रीरामचरितमानस'' में कहा भी गया है:—

कामक्रोध मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न दोहा।

जिनके कपट दम्भ नहि माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया।

5. चरित्रवान बनने का संदेश:— ''श्रीरामचरितमानस'' के महत्वपूर्ण घटकों में यह एक अति विशेष व अति आवश्यक तत्व है क्योंकि चरित्र के अभाव में युवा पीढ़ी तो क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्णत: विकसित नहीं बना सकता है। कहा भी गया है कि ''जहां चरित्र बसता है, वहां देवी-देवता विराजमान होते हैं।'' वर्तमान में आज जिस तरह युवा पीढ़ी स्मार्ट फोन, इंटरनेट व अन्य संपूर्ण भौतिक सुख-सुविधाओं के शिकंजे में फंसती जा रही है, वह बहुत दुखद व भयापूर्ण स्थिति है। इन सब संसाधनों ने उसे चरित्रहीन बना दिया है।

इसी प्रकार आज की युवा पीढ़ी अनुचित संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने के लिए लालायित रहती है। उनमें मेहनत और परिश्रम करके पेट पालने की प्रवृत्ति का धीरे-धीरे ह्रास होता जा रहा है। हर युवा चाहता है कि वह अतिशीघ्र धनवान बन जाए। इसी के चलते आज अनेक युवाओं द्वारा लूटपाट, चोरी-चकारी, हत्या, बलात्कार जैसे असामाजिक कृत्य खुलेआम किए जा रहे हैं, जिससे उनके चरित्र पर प्रश्न-चिह्न लगने लगा है।

वर्तमान युवा पीढ़ी को इन बुराइयों से उबरने की महती आवश्यकता है अन्यथा उनका यह व्यवहार उन्हें चरित्रहीन बनाकर छोड़ेगा। ऐसे में युवा पीढ़ी को ''श्री रामचरितमानस'' का अध्ययन करके ''श्रीराम'' जैसा चरित्रवान बनने की जरूरत है। हिंदी साहित्य के जाने-माने **कवि मैथिलीशरण गुप्त** ने भी संबोधित करते हुए कहा है कि–

''राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाय, सहज समभाव्य है।''

6. समय का सदुपयोग करने का संदेश:– ''श्री रामचरितमानस'' में स्वयं भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि पात्रों द्वारा समय का सदुपयोग करने के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जब वनवास के दौरान रावण द्वारा सीताहरण कर लिया गया तब यह बात हनुमान को पता चली तो बिना कोई समय गंवाए अविलंब वे राम की आज्ञा लेकर सीता की खोज में लंका की ओर कूच कर गए और उसका परिणाम यह हुआ कि वे सीता की पूर्ण जानकारी लेकर ही लौटे। ऐसा नहीं कि वे मार्ग में विश्राम करने बैठ गए या आलस्य के शिकार हो गए।

मगर आज की युवा पीढ़ी इस संदर्भ में अलग ही संदेश देती है–''खाओ-पीओ, ऐश करो, जो होगा देखा जाएगा।'' उन्हें सिर्फ अपनी मौज-मस्ती और मित्रों के साथ घूमना-फिरना पसंद है। इसके चलते उन्हें अपने नष्ट होते अमूल्य समय की तनिक भी चिंता नहीं रहती है। अक्सर देखा जाता है अपने कॉलेज समय में भी कई युवा अपने भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ समय की बर्बादी में लगे रहते हैं। कहा भी गया है कि कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकले हुए शब्द और हाथ से छूटा समय कभी वापस नहीं आते। अत: आज की युवा पीढ़ी को समय के महत्व को समझते हुए उसका सटीक और सही उपयोग करने की कला को आत्मसात करना होगा। तुलसीदास जी ने कहा है:–

''का वरषा जब कृषि सुखाने, समय चूकि पुनि का पछिताने।''

7. सत्संगति में पड़ने का संदेश:– ''श्री रामचरितमानस'' में तुलसीदास जी ने सत्संगति की अनेक स्थानों पर सुंदर व्याख्या की है। सत्य भी है–सत्संगति में पड़कर ही मनुष्य अपने चरित्र को सुधार सकता है। ''श्री रामचरितमानस'' के 'बालकाण्ड' अध्याय में राजा दशरथ के चारो पुत्र राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न गुरु विश्वामित्र के सान्निध्य में श्रेष्ठ, संस्कारों से युक्त व सत्संगति वाली शिक्षा ग्रहण करते हैं। चारों पुत्र राजसी ठाठ से परिपूर्ण होने के बावजूद कभी कुसत्संगति में नहीं पड़े। सदैव गुरुजनों का आदर व सम्मान किया।

मगर दु:ख का विषय है कि आज की युवा पीढ़ी भौतिक सुख-सुविधाओं की चकाचौंध में गलत मार्ग की ओर जा रही है। वह सत्संगति को छोड़कर कुसंगति की ओर पलायन करती जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज की युवा पीढ़ी बुरे मित्रों की संगत में पड़कर अपना भविष्य खोती जा रही है। नाना प्रकार के धूम्रपान, शराब का सेवन जैसी बुराईयां युवाओं की मानसिक चेतना को धीरे-धीरे खोखला करती जा रही है। वे अपने मूल उद्देश्य से भटक कर अनैतिक रास्तों की ओर चल पड़े हैं।

ऐसे में युवाओं को चाहिए कि ''श्री रामचरितमानस'' का अध्ययन करें तथा अपने जीवन को कुसत्संगति से बचाएं।

उन्हें यह याद रखना होगा कि अच्छी संगति से ही उनका चरित्र व भविष्य सुरक्षित रहेगा। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है:–

''सठ सुधरहिं सत्संगति पाई।
परस परस कुधातु सुहाई।।''

8. माता-पिता की आज्ञा मानने का संदेश:–''श्री रामचरितमानस'' में जिस प्रकार हर बिंदु पर उपयुक्त व नीतिपरक तथ्य प्रतिपादित किए हैं, उसी प्रकार इस घटक पर भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर छंदों व अलंकारों के माध्यम से माता-पिता की आज्ञा मानने व सेवा करने का अनुपम संदेश दिया है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है दशरथ के चारों पुत्र-राम-लक्ष्मण- भरत-शत्रुघ्न। भले ही माता कैकेयी ने स्वयं भगवान श्रीराम को सीता सहित वनवास भेजने का हठ किया हो परंतु श्री राम ने बिना कोई बहस किए माता की आज्ञा मानना ही अपना सर्वोपरि धर्म समझा।

''श्री रामचरितमानस'' में **'अयोध्याकाण्ड' के अंतर्गत राम-कैकेयी संवाद** के दौरान स्वयं श्री राम ने कहा–

''सुनु जननि सोई सुतु बड़भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी।
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा।

अर्थात् श्री राम कहते हैं—''हे माते! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिता के वचनों का अनुरागी (पालन करने वाला) है। माता-पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी! सारे संसार में दुर्लभ है।'' अत: इसी प्रकार आज की गुमराह होती युवा पीढ़ी को भी यही संदेश है कि वे माता-पिता की आज्ञा मानें ना कि उनके साथ अनावश्यक वाद-विवाद करें क्योंकि कोई भी माता-पिता अपने संतान के बारे में बुरा नहीं सोच सकते।

9. भाई-भाई को आपस में प्रेम करने का संदेश:— आज जिस प्रकार इस भौतिकवादी युग में गृह कलेश धीरे-धीरे विकराल रूप ले रहा है, परिवार के आपसी सदस्यों में तनाव व एकांत का माहौल रहता है, भाई-भाई में आपसी स्नेह लुप्त होता जा रहा है, ऐसे में ''श्री रामचरितमानस'' अपने सुंदर वचनों के माध्यम से आपसी समन्वय व सामंजस्य बनाए रखने का अद्वितीय संदेश देती है। जब माता कैकेयी द्वारा श्री राम को सीता सहित वनवास जाने का हठ कर बैठती है, तो उस समय लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता से उसे भी साथ ले जाने का मधुर आग्रह करते हैं। अन्यथा लक्ष्मण चाहते तो बड़े चाव से राजसी ठाट-बाट का आनंद उठा सकते थे मगर उन्होंने भाई को संकट में देख ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार भरत-शत्रुघ्न ने भी भ्राता श्रीराम के बिछड़ने पर अपने आप को दु:खी कर लिया। विशेषकर भरत ने अपने को पश्चाताप की आग में जला लिया था। इसका एक सुंदर उदाहरण देखिए जब भरत जी वनवास के दौरान श्रीराम से मिलने जंगल में जाते हैं, तब श्रीराम और भरत जी का मिलन व प्रेम तुलसीदास जी ने यूं बखान किया—

''मिलन प्रीति किमि जाइ बखानी। कबिकुल अगम करम मन बानी।
परम प्रेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई।''

अत: ऐसे में आज भाई-भाई को इसी प्रकार के स्नेह व प्रेम की महती आवश्यकता है। अक्सर सुनने में आता है कि संपत्ति या व्यवसाय विवाद के चलते भाइयों में आपसी कटुता पैदा हो जाती है।

10. मित्रता का भाव होने का संदेश:— आज की युवा पीढ़ी मित्र या 'यार-दोस्त' तो बड़ी शीघ्र बना लेती है, दोनों में पटती भी खूब है, साथ-साथ घूमते-फिरते भी हैं मगर समय के साथ यह मित्रता न जाने कब शत्रुता में बदल जाती है। फिर 'तू तेरे रास्ते- मैं मेरे रास्ते' की भावना आ जाती है। ''श्री रामचरितमानस'' में मित्रता के संदर्भ में अनेक स्थानों पर बहुत सुंदर वर्णन कर आज की युवा पीढ़ी को सच्ची मित्रता का संदेश दिया गया है। श्रीराम-हनुमान की मित्रता को भला कौन भुला सकता है। हनुमान ने अंतिम समय तक भगवान श्रीराम का पूरा साथ दिया है, चाहे समय कैसा भी रहा हो। इसी का परिणाम रहा है भगवान श्रीराम ने हनुमान को अपने मन-मंदिर में स्थान दिया तो हनुमान ने भी अपना सीना फाड़कर यह बता दिया कि उन जैसा मित्र कोई ना होगा।'' श्री रामचरितमानस'' में कहा गया है कि मित्र के दु:ख को देखकर मित्र दुखी होना चाहिए, यही उसका परम धर्म है ऐसा न करने वाला मित्र नीच है।

''जो न मित्र दुख होंहि दुखारी। तिन्हहिं विलोकत पातक भारी।''

11. राम-राज्य स्थापित करने का संदेश:— आज वर्तमान

में ''तेरा-मेरा, अपना-पराया, छोटा-बड़ा'' आदि की भावनाएं बढ़ गई हैं। तुलसीदास जी ने जिस राम-राज्य की कल्पना की थी वह पता नहीं कहां है? ऐसे में आज की युवा पीढ़ी को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र-हित के बारे में सोचना होगा। विशेषकर राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में तो युवाओं की भूमिका और बढ़ जाती है। युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे शासक या जनप्रतिनिधियों को चुनें जो सब बुराइयों से दूर रहकर केवल देश-हित की सोचें। तुलसीदास जी ने उस समय राम के राज्य में कैसी व्यवस्था थी, इसका एक उदाहरण इस प्रकार बताया है:—

''दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहूहि व्यापा।

सब नर करहिं परस्पर प्रीति। चलहिं स्वधर्म निरतश्रुति नीति।।''

12. उदारता और वीरता का अनूठा संगम:— ''श्री रामचरितमानस'' में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं— स्वयं भगवान श्रीराम। जिस प्रकार श्रीराम ने एक ओर जहां अपने संपूर्ण जीवन में कई बार मर्यादा व उदारता का अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया तो वहीं दूसरी ओर क्रोध का भी 'उचित समय पर उचित प्रयोग' कर रावण, कुंभकरण, ताड़का, मारीच, खरदूषण जैसे राक्षसों का अंत किया। इसी प्रकार आज युवाओं को अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए उदारता का परिचय देना चाहिए वहीं समय आने पर समाज व देश-हित के लिए अपने उत्साह व क्रोध का सटीक तरीके से उपयोग करना चाहिए। जैसे कि उन्हें देश में तेजी से फैल रहे 'भ्रष्टाचार' के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध अपनी आवाज को सही तरीके से सरकार के समक्ष रखनी चाहिए।

उपसंहार—इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से यह कहा जा सकता है ''श्री रामचरितमानस'' जैसा अद्वितीय महाकाव्य गुमराह होती आज की युवा पीढ़ी के लिए ना केवल ''वरदान सिद्ध होगा वरन् उनके लिए'' 'राम-बाण औषधि' का भी काम करेगा। मगर यह तभी संभव होगा जब युवा पीढ़ी ''श्री रामचरितमानस'' में उल्लेखित आदर्शों, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बातों को आत्मसात् करेगी।

आज जिस प्रकार युवा पीढ़ी भक्ति से दूर होती जा रही है, वह निंदनीय और दु:ख की बात है। वह अपने मित्रों के साथ 'मॉल' या 'मल्टीप्लैक्स' में पूरे दिन मौज-मस्ती कर सकता है या किसी पिकनिक स्पॉट में सैर-सपाटा कर सकता है मगर उसे ''श्री रामचरितमानस'' या ''हनुमान चालिसा'' पढ़ने में आलस्य आता है। उसे सारा दिन **'व्हाट्स-अप'** पर व्यस्त रहने में कोई आपत्ति नहीं है मगर ''सुंदरकाण्ड'' के पाठ में बैठने में उसे बड़ा खलता है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वे कुछ समय ईश्वर के लिए ना सही, कम से कम अपने व्यक्तित्व विकास व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होने के लिए ''श्री रामचरितमानस'' का अध्ययन अवश्य करें। ऐसा करने से कम से कम उन्हें अपनी पुरातन संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान तो होगा। अन्यथा इस कलयुग में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? स्वयं तुलसीदास जी ने ''उत्तरकाण्ड'' में कलयुग के बारे में ठीक ही कहा है—

''कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना।।

सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि।।

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माही।।

कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहीं पापा।।''

अर्थात् ''कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्रीरामजी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजी को भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूह को गाता है, वहीं भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप (महिमा) है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर (मानसिक) पाप नहीं होते।''

3326, जयलाल मुंशी का रास्ता
चौथा चौराहा, नीलकंठ महादेव की गली,
चांद पोल बाजार, जयपुर,
राजस्थान-302001

❑

हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना का प्रचार

संजय चौधरी

हमारे देश में अपने आरंभिक काल से ही हिंदी जनभाषा और संपर्क भाषा रही है। आजादी के आंदोलन के दौरान बड़े उत्साह, उमंग और आशाओं के साथ हिंदी को राजभाषा बनाने की मुहिम पूरे देश में चलाई गई। आजाद भारत में हिंदी राजभाषा भी बन गई लेकिन सही अर्थों में अब तक देश की राज-काज की भाषा नहीं बन सकी है। आम जनता यह समझ भी नहीं सकी कि राजनीतिक दाँव-पेंच के कारण किस प्रकार धीरे-धीरे जनभाषा हिंदी, शासन-प्रशासन तथा उच्च शिक्षा व रोजगार से दूर होती चली गई। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए विदेशी भाषा की अनिवार्यता के कारण धीरे-धीरे विज्ञान व तकनीकी चिंतन से भी इसका संपर्क सिमटता चला गया। वर्तमान स्थिति यह है कि देश की बहुत बड़ी आबादी का वैज्ञानिक चिंतन-धारा से आज भी कोई सरोकार नजर नहीं आता है।

देश के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण आम जनता और संभ्रांत वर्ग के बीच पैदा की गई भाषायी दीवार है। सामान्य जनता की चिंतन-परंपरा और जन-जीवन के हर क्षेत्र से ज्ञान को दूर करके आज इसे अंग्रेजी की किताबों में कैद कर दिया गया है और ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो आम जनता का इससे कोई वास्ता नहीं है। यही कारण है कि अंग्रेजी न पढ़े-लिखे विशाल वर्ग को जीवन एवं समाज के विविध पक्षों की सही और पर्याप्त जानकारी नहीं होती। सूचना-संपन्न न होने के कारण वे न केवल ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पीछे हैं बल्कि विकास की दौड़ में भी पिछड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में एक विदेशी भाषा को लाद देने के कारण ही यह परिणाम हुआ है कि विशाल महासागर रूपी भारत में शहरी संपन्नता एवं समृद्धि के कुछ थोड़े से द्वीप जगमगाते नजर आते हैं जबकि गांवों में रहने वाली अधिसंख्य जनसंख्या आज भी अंधकार और पिछड़ेपन की लहरों से जूझ रही है।

आज हमारे देश में दो भिन्न प्रकार की संस्कृतियां फल-फूल रही हैं। एक संस्कृति के पोषक हैं शिक्षित लोग जो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं व परंपराओं से दूर हो गए हैं और भारतीय पर्यावरण की जरूरतों की उपेक्षा करते हैं । दूसरी संस्कृति का संबंध उन लोगों से है जो कम पढ़े-लिखे और कम संपन्न हैं तथा पाश्चात्य सभ्यता से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं। इन दो संस्कृतियों के बीच आपसी संघर्ष के कारण वैज्ञानिक सोच के प्रचार-प्रसार के लक्ष्य को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि जहां स्वार्थ की संस्कृति हावी हो जाती है वहां सबके समान विकास और वैज्ञानिक संस्कृति को विकसित करने का ध्येय कहीं बहुत पीछे रह जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वार्थ पर आधारित संस्कृति के पोषक कई बार जान-बूझकर ऐसा माहौल बना कर रखना चाहते हैं कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ज्ञान-विज्ञान और नवीनतम जानकारी का कोई लाभ न उठा सके।

इस पृष्ठभूमि में यह समझना मुश्किल नहीं है कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में वैज्ञानिक सोच का जो अभाव नजर आता है, उसके पीछे क्या कारण हैं। जब हम आजाद भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर एक नजर डालते हैं तो पाते है कि इस क्षेत्र में हिंदी ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं पर एक विदेशी भाषा हावी है। इसके कारण हमारे देश में विज्ञान का स्तर गिरा है और स्वदेशी विज्ञान की समृद्ध परंपरा समाप्त हो रही है।

वेदों, पुराणों आदि प्रचीन ग्रंथों में वर्णित ज्ञान-विज्ञान जब पश्चिमी देशों से होकर हमारे यहां आता है तभी हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है। कड़वी सच्चाई यह भी है कि देश में आयोजित ज्ञान को आयातित भाषा में अपनाने का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप विज्ञान तथा आम भारतीय जीवन में इसके उपयोग के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है।

भारत में विज्ञान और सामान्य जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया जाए। विज्ञान को सामान्य लोगों से दूर विशेषज्ञों को मतलब की चीज मानने की धारणा में बदलाव लाना जरूरी है। वास्तव में, विज्ञान तो आम लोगों के दैनिक जीवन और हर सामान्य क्रियाकलाप में रचा-बसा हुआ है। इतना ही नहीं, विज्ञान की कुछ मामूली सी बातों को यदि अपना लिया जाए तो जीवन में अनजाने ही हमें कई लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए, अनेक देशी व विदेशी विद्वान बार-बार इस बात को दोहराते हैं कि अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित लोगों को यदि उनकी भाषा और बौद्धिक स्तर के अनुसार उनके काम की उपयोगी बाते बताई जाएं तो बदलाव आ सकता है अर्थात सामाजिक विषमता और असमान विकास को दूर करके स्थिति में सुधार लाना पूरी तरह से संभव है।

लेकिन हमारे देश में सुधार की बातें विरोधाभासी बनी हुई हैं। एक ओर हम देश में वैज्ञानिक चेतना जगाने की बात करते हैं और दूसरी ओर विज्ञान की बातें बताने के लिए एक ऐसी भाषा का सहारा लेते हैं जिसका जनता से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे प्रयासों का परिणाम क्या होगा, यह महज ही समझा जा सकता है। इस संबंध में प्रसिद्ध हिंदी विज्ञान लेखक **डॉ॰ शिवगोपाल मिश्र** द्वारा अपनी पुस्तक 'विज्ञान लोकप्रियकरण तथा पत्रकारिता' में विचार व्यक्त किया है कि ''अधिकांश प्रयास अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किये जा रहे हैं। यह विसंगति है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा की पहुंच भारत के एक प्रतिशत लोगों तक भी नहीं हैं। भारतीय भाषायें और हिंदी ही इसका उपयुक्त माध्यम है। यदि भारत की विशाल जनसंख्या तक विज्ञान को पहुंचने के लिए अंग्रेजी को माध्यम माना जाता रहा तो वह राष्ट्र के बहुमूल्य समय और संसाधनों का अपव्यय ही होगा।''

यह निर्विवाद सत्य है कि लोगों की भावनाओं का उनकी अपनी भाषा में सबसे अधिक गहरा संबंध होता है। यही कारण है कि आज भी हिंदी भारत की आम जनता की अपनी भाषा बनी हुई हैं लेकिन उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए देश की जनभाषा को अपेक्षित महत्व नहीं दिये जाने का परिणाम यह हुआ है कि आज स्वदेशी ज्ञान और विज्ञान भूली बिसरी बात होती जा रही है। इन सबके नकारात्मक प्रभाव के रूप में भारतीय सामाजिक जरूरतों के अनुरूप पारंपरिक प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग धीरे-धीरे अवरुद्ध होता जा रहा है। अधिक दुखद बात तो ये है कि कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की क्षमताओं से समृद्ध युवा पीढ़ी आधुनिक विज्ञान से लगातार दूर होती जा रही है। बच्चों व युवाओं की सोच, उनकी रुचि तथा भविष्य के उनके सपनों में विज्ञान के प्रति आकर्षण कमजोर पड़ता जा रहा है।

इस प्रकार, विज्ञान के लाभ से तो देश वंचित है ही, विज्ञान के विकास के लिए भी हम अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भाषायी भेदभाव के कारण कई प्रतिभाओं को फलने-फूलने का अवसर ही नहीं मिल पाया है। देश की अधिसंख्य जनता की यह दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि जनता में विज्ञान को फैलाने के लिए जनता की भाषा को जरूरी नहीं समझा गया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा इसके यथेष्ट उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया गया। पंद्रह वर्षों के लिए अस्थायी रूप से लागू की गई और आज भी जारी अंग्रेजी भाषा, भारतीय

प्रतिभाओं की विवशता बनी हुई है और साथ ही उनके लिए कई समस्याएं भी उत्पन्न रही है। हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अधिकांश भारतीय युवाओं के लिए अंग्रेजी सीखने का एकमात्र ध्येय रोजगार या नौकरी पाना होता है।

हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने न केवल ज्ञान की देशी धारा को अवरूद्ध किया है, वरन् विज्ञान की समझ के लिए अंग्रेजी की बैसाखी को आवश्यक मानने की मिथ्या धारणा के कारण लोगों में भ्रम भी फैलाया है। इस शिक्षा पद्धति के कारण ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से मेडिकल, इंजीनियरिग तथा अन्य तकनीकी पढ़ाई इनके लिए आसान नहीं होती। लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे सामान्य भारतीय युवाओं के संदर्भ में भी यदि देखें तो, एक विदेशी भाषा को सीखने का बोझ उनकी प्रतिभा को प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भाषायी बोझ का ही यह परिणाम है कि आमतौर पर हमारे युवाओं में आज सही अर्थ में ज्ञान का अर्जन अथवा नवीन शोध करने की ललक अथवा अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति लगातार कम होती जा रही है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक **डॉ॰ जयंत नार्लीकर** का मानना है कि — 'विज्ञान मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम जहां विज्ञान की शुरूआत होती है, स्कूल के पाठ्यक्रम में वहां तो विज्ञान मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस देश में हिंदी अधिक लोगों की मातृभाषा है। जहां मातृभाषा के रूप में हम हिंदी का उपयोग करते हैं, वहां विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए। ..... जहां तक विज्ञान के प्रसार में हिंदी के उपयोग का सवाल है ऐसे लेख लिख सकते हैं, जो सामान्य नागरिक पढ़ सकें। विज्ञान के बारे में लोगों के मन में एक तरह का डर रहता है कि यह हमारे बूते की चीज नहीं है। दूर प्रयोगशालाओं में जो लोग बैठे हैं, वही विज्ञान करते हैं, उन्हीं के समझ की बात है। यह धारणा गलत है। लोगों की भाषा में अगर हम लेख लिखें, विज्ञान के बारे में कुछ बताएं तो उनकी यह भ्रांति दूर हो सकती है।

स्पष्ट है कि समाज में तथा विशेष रूप से देश के बच्चों में तार्किकता तथा सकारात्मक एवं वैज्ञानिक सोच का विकास जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे देश का किसान, मजदूर, कम पढ़ा-लिखा और अंग्रेजी से अनभिज्ञ बहुसंख्यक वर्ग विज्ञान के वरदानों से वंचित होकर अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। ऐसे में सरल विज्ञान की बातें बता कर लोगों में गहराई तक जड़ जमा चुके अंधविश्वासों एवं अन्य कुरीतियों को समाप्त करना संभव है, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सही भाषा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए और आडंबर-अंधविश्वास आदि के निर्मूलन के लिए जरूरी हैं कि हिंदी के बलबूते जनता को जागरूक बनाने के प्रयास किए जायें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीनतम उपलब्धियों, श्रम और खर्च बचाने के साधनों तथा उन्नत वैज्ञानिक विधियों से संबंधित जानकारी जब जरूरतमंदों तक उनकी अपनी भाषा पहुंचाई जाएगी तो समाज में सकारात्मक एक जनहितकारी बदलाव सहज ढंग से लाये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से ये बात सहज समझी जा सकती है कि भारत में जन भाषा हिंदी के माध्यम से ही वैज्ञानिक चेतना जगाने के अभियान को जन आंदोलन का रूप देना संभव हो सकेगा। हिंदी के द्वारा जन-जन तक विज्ञान को पहुंचाना इसलिए भी आसान है क्योंकि यह दुनिया की सबसे सरल भाषा है । इसका मुख्य कारण है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। लेकिन हीनता की भावना के कारण हमने न केवल अपनी भाषा को अपेक्षित किया है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास एवं आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी अपने देश की अधिकांश जनसंख्या की अवहेलना की हैं। विश्व

का अग्रणी ज्ञान कोश 'इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' भी हिंदी वर्णमाला को पूर्णत: वैज्ञानिक मानता है जो बात किसी भी दूसरी भाषा के लिए नहीं कही गई है।

विज्ञान के संदर्भ में इस लेख में हमने कुछ रूढ़ियों एवं बाधाओं की चर्चा की है जो आम जनता में प्रचलित हैं और समाज में विज्ञान के व्यापक प्रचार को रोक रही हैं। जब हम भाषा के स्तर पर देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदी भाषा के जानकार लोग भी भ्रामक धारणाओं एवं भ्रांतियों के शिकार हैं और ऐसे लोगों ने ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रचलन को बाधित कर रखा है। लोगों का यह मानना कि अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है और हिंदी में विज्ञान लेखन की परंपरा नहीं है, बिल्कुल गलत है। यह एक सच्चाई है कि हिंदी सहित अधिकांश भारतीय भाषाएं तकनीकी एवं भाषाई दृष्टि से अंग्रेजी के मुकाबले बीस है, किसी भी कीमत पर उन्नीस नहीं। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इस्राइल, कोरिया आदि देशों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपने देश की भाषा ही वैज्ञानिक प्रगति का सबसे उपयुक्त माध्यम हो सकती है।

हिंदी के बारे में कुछ लोगों को यह कहते सुना जाता है कि इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिकतम विषयों की शब्दावली का अभाव है जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। भाषाविद् मानते है कि भाषा का जन्म जिस समाज में होता है वही समाज उसे पूर्ण समृद्ध बनाने की क्षमता भी रखता है। हिंदी में यह क्षमता भरपूर है लेकिन उसकी इस क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है। हिंदी की क्षमता एवं जन-जन के बीच इसकी स्वीकार्यता को कविता की निम्नलिखित चार पंक्तियां सही अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं—

सदियों से जन-जन के मन में जिसने कर रखा है वास,
शास्त्रीय परंपराओं का जिसने सदैव किया है विकास।
ज्ञान विज्ञान इसके कण-कण में रमता है,
हिंदी की संस्कृति ऐसी है जिसमें सबका है विश्वास।।

हिंदी भाषा-भाषी बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अपनी भाषा को ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए उपयोग करने से लाभ नहीं मिलता हैं। यह धारणा भी पूरी तरह से एक मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है। अपनी भाषा के बारे में इस प्रकार की हीन भावना रखने वाले लोगों के लिए भाषायी स्वाभिमान का कोई अर्थ नहीं है और ऐसे लोगों पर ही प्रसिद्ध लोकोक्ति ''घर की मुर्गी दाल बराबर'' पूरी तरह से चरितार्थ होती है। वास्तव में स्व-भाषा के द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रसार को दोहरा लाभ मिलता है। पहला लाभ है समाज के हर वर्ग तक ज्ञान और उपयोगी जानकारी की पहुंच सुनिश्चित करना और दूसरा नैसर्गिक प्रतिभाओं के विकास से ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में उन्नति को संभव बनाना। इसीलिए **राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन** ये मानते थे कि, ''देश में विज्ञान का स्तर अंग्रेजी के माध्यम से नहीं, हिंदी के माध्यम से ऊंचा उठ सकता है।''

अंत में कहा जा सकता है कि विज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने के अभियानों एवं शिक्षण कार्यक्रमों के लिए जन साधारण की भाषा अपनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उच्च स्तर तक विज्ञान की पढ़ाई के लिए हिंदी के माध्यम की सुविधा जन-जन को उपलब्ध कराई जाए। वास्तव में, संक्रमण के इस युग में हिंदी के माध्यम से अतीत की गौरवमय परंपरा से जुड़ना और सतत शोधमय आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी समाज के हर वर्ग में फैलाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत में विज्ञान का सकारात्मक, प्रगतिमूलक और बहुजन-हिताय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संस्कृति की संवाहिका हिंदी भाषा की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाए।

❑

डाटा विश्लेषण और बैंकिंग

—नितिन नेगी

कारोबार आज डाटा के प्रवाह में डूबा हुआ है। तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकी ने डाटा का जैसे वेग ही बढ़ा दिया है। हर 60 सेकेंड्स में तीन लाख लोग फेसबुक में लॉग इन करते हैं, तेरह लाख लोग यू ट्यूब देखते हैं, बीस लाख गूगल में खोज करते हैं और एक लाख लोग ट्वीट्स करते हैं। जिस तरह के डाटा से हमारा सरोकार है वह छोटा नहीं बल्कि बड़ा डाटा है जो व्यवसाय और ग्राहक के व्यवहार को समझने के लिए काफी मददगार हो सकता है।

ज्ञान ही शक्ति है। और ये ज्ञान रूपी शक्ति डाटा से प्राप्त की जा सकती है। डाटा निम्न बिन्दुओं पर स्वत: ही रोशनी प्रदान कर सकता है:

- क्या हुआ
- कैसे और क्यों हुआ
- अभी क्या हो रहा है
- आगे क्या होने के आसार है
- और सबसे महत्वपूर्ण, हम कैसे अपने साधनों को सही से इस्तेमाल कर के आय बढ़ा सकते हैं।

तेज़ कम्प्यूटर और सूचना तकनीक डाटा विश्लेषण को और बढ़ावा दे रही है। बैंक आज दोनों तरह के संरचित और असंरचित डाटा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। खाता संख्या, खाता का प्रकार, बैलेन्स आदि संरचित डाटा होता है और असंरचित डाटा विभिन्न सूत्रों से प्राप्त होता है जैसे ईमेल, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, आदि। इन डाटा से एक सार्थक पैटर्न की खोज करना और इनसे अंतदृष्टि प्राप्त करना डाटा विश्लेषण कहलाता है। डाटा विश्लेषण सिर्फ डाटा से जानकारी प्राप्त करना ही नहीं बल्कि ये भी अनुमान लगाना और सुझाव देना है कि भविष्य में बैंक क्या व्यवसायिक निर्णय लें। यह ग्राहक के व्यवहार को समझने में काफी मदद कर सकता है। डाटा विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य है कि ग्राहक को सही समय में, सही उत्पाद दिया जाए जिससे ग्राहक संतुष्टि के साथ-साथ व्यावसायिक लाभ में भी बढ़ोतरी हो। इसी रणनीति को अमेरिका के फ़र्स्ट टेननेससे बैंक ने अपनाई। इस बैंक ने डाटा विश्लेषण को ग्राहक विपणन में अपनाकर न सिर्फ अपना विपणन का खर्च बीस प्रतिशत कम किया बल्कि अपने निवेश में प्रतिफल को छ सौ प्रतिशत भी बढ़ाया।

बहुत सारे वित्तीय संस्थान डाटा विश्लेषण का महत्व समझ चुके हैं और इसे प्रयोग में ला रहे हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच हडूप तकनीक प्रयोग करके डाटा विश्लेषण कर रहा है। इससे नियामक आवश्यकताएं पूरा करने में भी बैंक को मदद मिल रही है। भारत में भी बैंक डाटा विश्लेषण प्रयोग कर रहे हैं। एचडीएफसी ने डाटा वेएर हाउस स्थापित किया हुआ है और अपने सूचना प्रौद्योगिकी से असंरचित डाटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इससे उनके ये जानने में भी मदद मिलती है कि ग्राहक का खाता एक्टिव है या सिर्फ सैलरी ही जमा होती है। क्या एचडीएफसी ग्राहक का मुख्य बैंक है या नहीं। डाटा विश्लेषण का उपयोग कर के ग्राहक का व्यवहार समझ के क्रॉस सेलिंग करने में एचडीएफसी को काफी मदद मिल रही है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक इसका प्रयोग ऋण वसूली को और प्रभावी बनाने में कर रहा है। सरकारी बैंकों में एसबीआई ने भी हाल हीं में 16 सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है। एसबीआई ने 60 नए मॉडल तैयार करने की योजना बनाई है जिनका प्रयोग वह गाड़ी के ऋण, ग्रह ऋण आदि को खराब होने से रोकने में करेंगे। एटीएम को कहाँ लगाया जाए, उसमें कितनी रकम रखी जाए आदि में भी एसबीआई डाटा विश्लेषण का प्रयोग कर रहा है।

कोई वित्तीय संस्था जब डाटा विश्लेषण का प्रयोग करना चाहती है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ये समझना कि इस डाटा विश्लेषण से वह प्राप्त क्या करना चाहती है। वह

कहाँ सुधार चाहती है। चूंकि डाटा बहुत बड़ा है तो इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं की हम सिर्फ कभी न खत्म होने वाले विश्लेषण में ही लगे रहे जाएं और मुख्य कार्य छूट ही जाए। कोई भी विश्लेषण से पहले हम उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं उस पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी बीमा कंपनी ने अपना डाटा विश्लेषण दो मुख्य प्रश्नों पर केन्द्रित रख कर अपने विपणन बजट को बढ़ाये बिना सेल्स बढ़ाया। पहला प्रश्न कि कितना पैसा विपणन में खर्च करें और दूसरा की इस खर्च को कहां कहां करें। इन दोनों प्रश्नों को मार्गदर्शन चिन्हों की तरह उपयोग

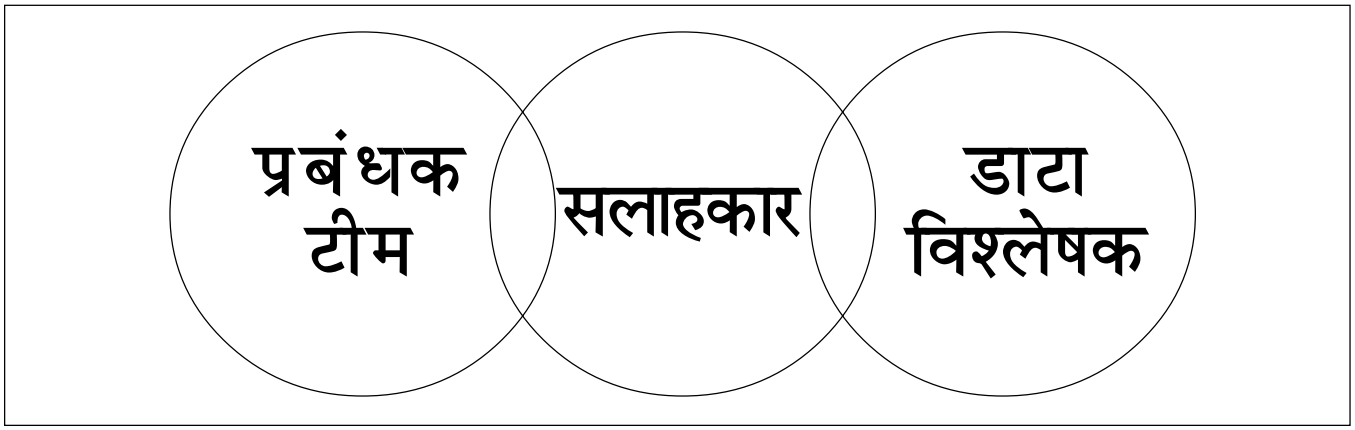

करते हुए उन्होने अपना खुद का डाटा विश्लेषक मॉडल बनाया जो संस्था को बताता है कि कैसे विपणन बजट को अनुकूल तरह से उपयोग करें।

डाटा विश्लेषण के ज़रिए किसी समस्या का समाधान निकालने में और उसको वास्तविक रूप से लागू करने के लिए कई लोगों को मिल कर कार्य करना होता है। जैसे आईटी इंजीनियर, विश्लेषण, डाटा विशेषज्ञ, प्रबंधन टीम आदि। इतने अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के होने से कोई भ्रम की स्थिति प्रकट हो सकती है या विचारों को समझने में या संचार में मुश्किल आ सकती है जिससे समय और प्रयास दोनों ही व्यर्थ जाते हैं। इसलिए बैंकों को ध्यान रखना चाहिए की डाटा विश्लेषण प्रक्रिया को अपनाते समय ऐसे लोग टीम में हो जिन्हें कम से कम दो विभागों के बारे में ज्ञान हो जो दोनों विभागों से प्रभावी तरह से संचार स्थापित कर सकें।

यह निश्चित करने के पश्चात कि हमें क्या प्राप्त करना है, डाटा विश्लेषण निर्णय लेते हैं की कौन सा मॉडल उपयोग में लाएं और कहां से डाटा इकट्ठा करें। कैसे इस डाटा को साफ करके तैयार करें । वह पता लगाते हैं कि इनमें परिवर्तनीय घटक कौन से हैं और उनमें क्या संबंध है। दूसरे शब्दों में हमें ये समझने के साथ-साथ कि ग्राहक किसी स्थिति में क्या निर्णय लेता है, यह भी समझना चाहिए की वह निर्णय वो क्यों लेता है जिसको हम सोशल एनालिटिक्स कहते हैं।

इन डाटा विश्लेषण के बाद जो अंतदृष्टि प्राप्त होती है उसको प्रबंधन को सरल तरह से देना चाहिए। जैसे की जब कोई ग्राहक शाखा में आता है और कोई बैंक का स्टाफ जब उसको सर्विस दे तो उसके कम्प्यूटर पर नज़र आ जाये की इस ग्राहक की क्या स्थिति है और इसे क्या उत्पाद दिया जा सकता है। डाटा विश्लेषण अपनाने की प्रक्रिया में कितनी सफलता मिलती है वो इस बात में निर्भर करता है कि डाटा से जो चीजें पता चलीं हैं वह कितनी सरलता और प्रभावी रूप से लोगों तक पहुँची है।

राबो बैंक, अमेरिकन बैंक, ने डाटा विश्लेषण को अपनाने के लिए एक यात्रा आरंभ की जिसमे उसने पहले छोटे छोटे कदम उठाए और उनमें धीरे धीरे जटिलता जोड़ी। अपनी 2013 की रिपोर्ट में उन्होने दस सबसे महात्वपूर्ण प्रवृत्तयोन में डाटा विश्लेषण को भी जोड़ा था। उन्होंने सबसे पहले 67 कार्यों को पहचाना जहां विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता था। इन कार्यों को चार श्रेणियों में बांटा।

1. संगठनात्मक अड़चनें
2. व्यावसायिक प्रक्रिया में सुधार
3. नए व्यावसायिक अवसर
4. नए व्यावसायिक मोडल्स

इन सभी श्रेणियों पर उन्होने आईटी के प्रभाव को समझा, उस पर कितना वक्त लगेगा और क्या व्यावसायिक लाभ उनको इससे प्राप्त होगा। पहले उन्होने सिर्फ अपने बैंक के आंतरिक डाटा का ही उपयोग किया पर बाद में वेब से डाटा, जिसको हम क्लिक बिहैवियर कहते हैं, का भी प्रयोग किया। एक अंतर्विभागीय टीम स्थापित की गयी जिन्होंने इसका प्राभावी रूप से कार्यान्वयन किया। राबों बैंक डाटा विश्लेषण को एटीएम लगाने के लिए सही स्थानों को ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। शुरुआती सफलता के बाद अब यह बैंक अन्य क्षेत्रों में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ा रहा है।

आजकल वित्तीय संस्थाएं सोशल मीडिया से प्राप्त असंरचित डाटा को भी विश्लेषण करके उसे ग्रहण के व्यवहार को समझने की कोशिश में जुटी है। पूरी दुनिया में दो अरब लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वहीं भारत में करीब साढ़े चौदह करोड़ लोग सोशल मीडिया उपयोग करते हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले साल सोशल मीडिया का उपयोग दुगना हो गया है। सोशल मीडिया के विश्लेषण से बैंक अपने ग्राहकों को, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को और उनकी जरूरतों को अच्छे से समझ सकता है और ज़्यादा प्रभावी निर्णय ले सकता है।

वित्तीय संस्थानों के पास बहुत डाटा प्राप्त हो रहा है पर सिर्फ डाटा इकट्ठा करना काफी नहीं बल्कि चुनौती तो ये है कि इस कोयले रूपी डाटा को आय रूपी हीरे में कैसे बदला जाए। हमारे देश में बैंक सीबीएस पर कार्य कर रहे हैं जहाँ डाटा विश्लेषण की तकनीक उपयोग में लायी जा सकती है और इसका इस्तेमाल करके बैंक अच्छे ग्राहक ढूंढ सकते हैं, उन्हें अवधारण कर सकते हैं, लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, नयी संभावनाओं को तुरंत पहचान सकते हैं, और सही ग्राहक को सही समय में सही उत्पाद बेच सकते हैं।

डाटा विश्लेषण बैंकिंग उद्योग में परिवर्तन की एक नयी लहर है और जैसे कि एंजेला अहरेन्द्त्स, सीईओ ऑफ बुरबेररी, कहती हैं ग्राहक का डाटा आने वाले समय में संस्थानों में अन्तर करने वाला सबसे बड़ा घटक रहेगा और जो कोई इसको रणनीतिक तौर पर उपयोग में लाएगा वो विजेता रहेगा।

संदर्भः

- http://www.ibef.org/industry/banking-india.aspx
- http://www.livemint.com/Industry/F5uNVbogjfsNB7cStltoBL/Banking-on-Big-Data-analytics.html
- http://www.sas.com/en_us/customers/hdfc.html
- http://searchbusinessintelligence. techtarget.in/feature/Improved-debt-collection-with BI-An-ICICI-Bank-story
- http://searchbusinessintelligence. techtarget.in/survey/ICICI-Bank-cuts-credit-losses-with-BI
- http://searchbusinessintelligence. techtarget.in/news/2240158114/ING-Vysyas-SAP-BOarchitecture-up-close-A-case-study
- http://www.searchbusinessintelligence. techtarget.in/news/2240151280/BI-project-extension-underway-at-ING-Vysya-Bank
- http://searchbusinessintelligence. techtarget.in/tip/Follow-Anti-Money-Laundering-AML-guidelines-the-ING-Vysya-way
- http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/state-bank-of-india-hires-16-statisticians-and-economists-to-drive-performance/articleshow/46048348.cms
- http://www.cioandleader. com/features/39161/analytics-help-axis-bank-to-enhance-productivity
- https://www.youtube.com/watch?v=AWOvOKSgvBI
- https://youtube.com/watch?v=AsoaS8tuL18#t=119
- http://earnix.com/axis-bank-selects-earnix-to-boost-customer-and-pricing-analytics-power/
- http://www.in.capegemini.com
- http://www.mckinesy.com
- http://www.aberdeen.com
- http://www.sas.com

❑

नराकास(उपक्रम) गुवाहाटी

दिनांक 29 मार्च 16 को माननीय गृहराज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू जी ने गुवाहाटी रिफाइनरी के जुबिली हॉल में आयोजित एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी द्वारा आयोजित "डिजिटल भारत में हिंदी कार्यान्वयन के बढ़ते चरण" विषय पर आयोजित उक्त संगोष्ठी में उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के नराकास प्रतिनिधियों के अलावा पूर्वी क्षेत्र– कोलकाता, भुवनेश्वर, सुनाबेड़ा, पटना, राँची, अनुगोल, सुनाबेरा, धनबाद, फराक्काब, बरौनी, बहरमपुर आदि पूर्वी जोन के नराकास और नागालैंड, अगरतला, सिलचर, मोरिगॉव, डिगबोई, मिजोरम, रंगिया आदि पूर्वोत्तर जोन के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

गृह राज्य मंत्री किरेन रीजीजू को गुवाहाटी रिफाइनरी की ओर से सीआईएसएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। माननीय गृहराज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू द्वारा द्वीप प्रज्जवलन के साथ संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया गया। नराकास कोर समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंजना बरुआ शर्मा ने सबका स्वागत किया । इसके बाद नरकास (उपक्रम), गुवाहाटी के सदस्य कार्यालयों के सदस्यों द्वारा नराकास थीम गीत प्रस्तुतत किया गया। इस अवसर पर नराकास (उपक्रम), गुवाहाटी की गतिविधियों पर तैयार की गई एक विशेष फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया । साथ ही माननीय गृह राज्य मंत्री के करकमलों से स्मारिका का भी विमोचन किया गया।

उक्त संगोष्ठी के आयोजन और उसकी उपादेयता पर गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं नराकास (उप), गुवाहाटी के अध्यक्ष श्री जे. बरपूजारी ने प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जो सूचना प्रौद्योगिकी की माध्यम से देश के विकास के लिए सरकारी विभागों को जनता से जोड़ता है इसीलिए संगोष्ठी में विषयवस्तु के रुप में हिंदी कार्यान्वयन पर भी डिजिटल भारत का संदर्भ रखा गया। इससे न केवल हिंदी कार्यान्वयन में सुधार होगा बल्कि भारत के डिजिटलीकरण में भी सफलता मिलेगी। इन दोनों अभियानों की सफलता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक को हासिल किए बिना दूसरे का हासिल नहीं कर सकते।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. बिपिन बिहारी ने अपने संबोधन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग एवं सरलीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने संगोष्ठी के आयोजन के लिए बधाई देते हुए विभिन्न प्रांतों में अन्य नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को इस प्रकार का आयोजन करने के लिए प्रेरणा लेने की बात कही।

इस मौके पर माननीय गृह राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में सभी से यह आह्वान किया कि हिंदी राष्ट्र की पहचान है। पूरब से पश्चिम तक के लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए सभी को हिंदी के सरल रूप का इस्तेमाल करना चाहिए। सरलता से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने संगोष्ठी के आयोजन के लिए गुवाहाटी रिफाइनरी और नराकास (उप) को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उत्तर–पूर्व में इस प्रकार के आयोजन होते रहने से लोग जल्द ही राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन सहज रुप से हो सकेगा।

इस अवसर पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्री अनूप कुमार शर्मा, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री अपूर्व कुमार भट्टाचार्य एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री आर के अग्रवाल भी मंच पर आसीन रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अजय मालिक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी के अनुसंधान अधिकारी श्री बदरी यादव, हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक डा. बी. एन. पांडेय भी उपस्थित रहें।

तकनीकी सत्र के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिन्द्र कुमार ने डिजिटल में कार्य करने और हिंदी को उसके साथ जोड़ने के नए–नए संसाधन के बारे में स्लाईड प्रस्तुतीकरण द्वारा विस्तृत जानकारी दी एवं प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों के समाधान भी किए।

द्वितीय सत्र में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13 कवियों ने अपनी–अपनी रचना की प्रस्तुति की। कविगोष्ठी कार्यक्रम का संचालन नेडफी के प्रबंधक (प्रशासन एवं राजभाषा) श्री नीरज श्रीवास्तव ने किया। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संगोष्ठीं सम्पन्न हुई।

❑

राजभाषा सम्मेलन रांची

रांची: 21 जनवरी, 2016 को डोरंडा स्थित सेल ऑडिटोरियम, इस्पात भवन में पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं वितरण समारोह वर्ष 2015-16 का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्ष गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा के कर कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

श्रीमती पूनम जूनेजा ने वरिष्ठ अधिकारियों से राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेकर सरकार की राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित जागरुकता लाने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की दिशा में अनुकूल, सकारात्मक एवं अनुप्रेरक वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल देने को कहा। श्रीमती पूनम जुनेजा ने इस बात पर हर्ष जताया कि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश के सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में देश भर में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यही कारण है कि इस समय देश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कुल संख्या बढ़कर 430 हो गई है।

श्री ए॰ के॰ सिंह, निदेशक (प्रशासन) राजभाषा विभाग ने बताया कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले इन सम्मेलनों एवं समारोहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढना और इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है।

पुलिस महानिरीक्षक के॰रि॰पु॰ब॰ इम्फाल श्री विक्रम सहगल तथा असम राइफल के॰ जी॰ एस॰ आप्स कर्नल जे॰ एस॰ धोदी ने राजभाषा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के दौरान अपने अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती पूनम जुनेजा ने सभी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री सत्येन्द्र दहिया ने किया।

राजभाषा भारती के अंक 144 का ई विमोचन हुआ

श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में वेब की आवश्यकता बढ़ गई है इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती के अंक 144 का ई- विमोचन किया गया। इसके साथ साथ राजभाषा विभाग की बेबसाइट पर हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों का लोकार्पण भी किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों के निम्न कार्यालयों/विभागों को पुरस्कृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक, पटना, बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, पटना, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जमशेदपुर (का॰), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुजफ्फरपुर (का॰), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पोर्टब्लेयर(का॰), ग्रुप केंद्र, के॰रि॰पु॰ब॰, सिलिगुड़ी, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर, केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, न॰रा॰का॰स॰ कोलकाता (उपक्रम) न॰रा॰का॰स॰ कोलकाता (बैंक), भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी, ग्रुप केंद्र, के॰रि॰पु॰ब॰, लांगजिंग, इम्फाल, ग्रुप केंद्र के॰रि॰पु॰ब॰, अगरतला, 175 बटालियन, के॰रि॰पु॰ब॰, गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय, कोहिमा, पुलिस उप महानिरीक्षक (परि॰) का कार्यालय के॰रि॰पु॰ब॰, कोहिमा, एन॰एच॰पी॰सी॰लि॰ तीस्ता V पॉवर स्टेशन, सिक्किम आई॰ओ॰सी॰एल॰ (असम आयल डिवीजन), डिगबोई, रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड, पाइपलाइन मुख्यालय, नारंगी गुवाहाटी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बरपेटा रोड, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जोरहाट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिलांग (का॰-1) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गुवाहाटी (उपक्रम) तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति डिगबोई (कार्यालय)। ❑

राजभाषा सम्मेलन–पणजी (गोवा)

गोवा: 09 फरवरी, 2016 का दोना पावला स्थित एस॰ जे॰ कासिम ऑडिटोरियम, सी॰एस॰आई॰आर॰, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव श्री गिरीश शंकर के कर कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गिरीश शंकर ने कहा कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने एवं सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग सतत प्रयासरत है। हिंदी केवल संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कारोबारी जरूरत भी है। कोई भी भाषा या बोली सिर्फ विचारों की वाहिका ही नहीं होती अपितु यह किसी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन भी होती है। हिंदी में भारत के वह विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य हैं जिनकी वजह से हम पूरे विश्व में अतुलनीय हैं। हिंदी में उन करोड़ों भारतीय लोगों की भावनाएं हैं जो हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं और जिनके जीवन की रग–रग में हिंदी रची बसी है। हमारी सभी छोटी–बड़ी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। हमारी भाषायी धरोहर की सजग होकर रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है।

कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा ने कहा कि देश के अलग–अलग क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले इन सम्मेलनों एवं समारोहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में बढ़ती हुई भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि देश के सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा से जुड़े विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श हेतु एक सशक्त मंच उपलब्ध होता है तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के दौरान, डॉ, सै॰व॰आ॰ नकवी, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, श्री विनोद कुमार जैन, अध्यक्ष, न॰रा॰का॰स॰ जोधपुर (बैंक), श्री के॰ चन्द्रप्रकाश, क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष, न॰रा॰का॰स॰ गोवा (बैंक) ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा द्वारा रचित गीत 'हिंदी भारत मां की बिंदी' बजाकर किया गया। कार्यक्रम का बेहरीन संचालन श्री सत्येन्द्र दहिया और डॉ॰ नरेश मोहन ने किया।

'राजभाषा भारती' के अंक 145 का विमोचन हुआ

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' के अंक 145 का विमोचन किया गया। इसके साथ साथ राजभाषा विभाग की बेबसाइट पर हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों का लोकार्पण भी किया गया।

गोवा दूरदर्शन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति

गोवा दूरदर्शन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गयी जिसमें गणेश वंदना, देख्णी, कणसी, दिवली तथा कुनबी नृत्य शामिल हैं।

सरल हिंदी टंकण में सहायक है गूगल वॉइस टाइपिंग

सम्मेलन के दौरान गूगल वॉइस टाइपिंग नामक सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन किया गया। इस सॉफ्टवेयर से बेहद सरल तरीके से हिंदी टंकण कार्य किया जा सकता है।

कार्यक्रम में मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों के निम्नलिखित कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, स्विचगियर परीक्षण तथा विकास केंद्र, भोपाल, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर, मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश सेक्टर, के॰रि॰पु॰ब॰ भोपाल, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (मध्य॰), भोपाल, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आबू पर्वत, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जोधपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, उदयपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जबलपुर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, रायपुर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, बैंक ऑफ इंडिया, अचंल कार्यालय, उज्जैन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भिलाई(का॰), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर(बैंक), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोधपुर(बैंक), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, उप महानिरीक्षक का कार्यालय, ग्रुप केंद्र, के॰रि॰पु॰ब॰, गांधी नगर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा, पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, के॰रि॰पु॰ब॰, नवी मुंबई, दीप स्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय, जामनगर, भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय, अहमदाबाद, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर पश्चिम अंचल, अहमदाबाद, क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक का कार्यालय, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दक्षिण गुजरात, अंचल कार्यालय, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर गुजरात अंचल कार्यालय, अहमदाबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, नगर राजभाषा अंचल कार्यालय, अहमदाबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नासिक (कार्यालय), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुंबई (उपक्रम), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बड़ोदा(बैंक), सी॰एस॰आई॰आर॰ राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय, पणजी, गोवा, क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय, मडगांव, गोवा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव, गोवा, क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक का कार्यालय, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, कारवार, गोवा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा, नगर राजभाषा कार्यान्व्यन समिति दक्षिण गोवा (का॰)

'प्रेम, विवाह और खिटपिट' का विमोचन किया गया

गोवा: 09 फरवरी, 2016 को दोना पावला स्थित एस जे कासिम ऑडिटोरियम, सी एस आई आर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा द्वारा लिखित पुस्तक 'प्रेम, विवाह और खिटपिट' नामक कहानी संकलन का विमोचन किया गया। संकलन में पांच कहानियां हैं जो महिलाओं पर केंद्रित हैं। गृहस्थ जीवन में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए महिलाओं की पीड़ा को कहानियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। आधुनिक समय में महिलाओं की नजर से गृहस्थ आश्रम कितना मुश्किल हो गया है, इसका विवरण भी श्रीमती पूनम जुनेजा की कहानियों में मिलता है।

❑

राजभाषा सम्मेलन–कोच्चि

कोच्चि: दिनांक 19.02.2016 को दि इंटरनेशनल होटल, एम॰जी॰ रोड, एरणाकुलम, कोच्चि में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव श्री गिरीश शंकर के कर कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गिरीश शंकर ने कहा कि किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ अपनी भाषा में ही की जा सकती है। अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग हमारे राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती है जो कि अनुवाद की भाषा से संभव नहीं है। हिंदी ने अपनी मौलिकता, सरलता एवं सुबोधता के बल पर ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को जीवित बनाए रखा है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच वही भाषा प्रभावी एवं लोकप्रिय हो सकती है जो आसानी से सभी को समझ में आ जाए और बेझिझक जिसका प्रयोग किया जा सके। राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मामले में जो बात बार–बार चर्चा का विषय बतनी है, वह है सरल हिंदी का प्रयोग। मेरा मानना है कि हिंदी की सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। यदि हम टिप्पणी लेखन, पत्राचार आदि के लिए हिंदी के आम बोलचाल के शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी के प्रति सबकी रूचि बढेगी और हमें अनुवाद की बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्रालय राजभाषा की सयुंक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा ने कहा कि प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा विभाग, देश के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता आ रहा है। देश के अलग–अलग क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले इन सम्मेलनों एवं समारोहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा से जुड़े विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श हेतु एक सशक्त मंच उपलब्ध होता है तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

कार्यक्रम में सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि, पी॰आर॰ रविकुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, न॰रा॰का॰स॰ कोच्चि (कार्यालय), श्री पॉल एंटनी कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, डॉ श्रीनिवास राव, निदेशक केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। इस मौके पर श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग; डॉ॰ जयप्रकाश कर्दम, निदेशक (के॰हि॰प्र॰सं॰), राजभाषा विभाग; श्री नगेंद्र सिंह, (तकनीकी निदेशक), सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री सत्येंद्र दहिया ने किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया

कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुत किया गया जिसमें स्कूल छात्रों के द्वारा निरूवातिरा कली, एफ॰ ए॰ सी॰ टी॰ का मोहिनिआटम, एच पी सी एल द्वारा मयूर नृत्य एस॰ बी॰ टी॰ और एफ॰ ए॰ सी॰ टी॰ के द्वारा गीत की प्रस्तुति सहित नृत्य प्रस्तुत किये गये।

कार्यक्रम में दक्षिण तथा दक्षिम पश्चिम क्षेत्रों के निम्न कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया।

केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, बेंगलुरु, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, कर्नाटक एवं गोवा, बेंगलुरु, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबार, दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति, बेंगलुरु, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दक्षिण क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II, क्षेत्रीय मुख्यालय, बेंगलुरु, पावन ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दक्षिण क्षेत्र पारेषण प्रणाली-I, क्षेत्रीय मुख्यालय, सिकंदाराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु (बैंक), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद (उपक्रम), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बेंगलूर (बैंक), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद (उपक्रम), जनगणना कार्य निदेशालय, केरल, तिरूवनंतपुरम, भारतीय रिर्जव बैंक, स्टाफ कालेज, चेन्नै, राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय (केरल एवं लक्षद्वीप) तिरूवनंतपुरम,समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नै, जनगणना कार्य निदेशालय, पुदुचेरी, भारत संचार निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, कोषिकोड, भारत संचार निगम लिमिटेड, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, तिरूवनंतपुरम, भारत संचार निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, कण्णूर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिक्कोड, पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय, चेन्नै, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोडल क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोयम्बत्तूर (बैंक), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिरूवनंतपुरम (बैंक), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोच्चि (उपक्रम)।

नराकास

'ग' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोवा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोवा की बैठक दिनांक 18.10.2015 को अध्यक्ष, नराकास गोवा श्री एस एस राठौड़ मुख्य आयकर आयुक्त, पणजी, गोवा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्राचार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देने का कहा। सदस्य सचिव ने कहा कि जिन कार्यालयों ने हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी टंकण प्रशिक्षणों, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण संबंध लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, वे हिंदी में पूरा कार्य करने हेतु राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन अपने को अधिसूचित करवा लें।

'ख' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बड़ोदरा

नगर राजभाषा कार्यान्व्यन समिति बड़ोदरा की बैठक दिनांक 10.12.2015 को अध्यक्ष नराकास बड़ोदरा श्री अरविंद सिंह मुख्य आयुक्त, केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उन्होंने सभी सदस्य सदस्यों को राजभाषा आदेशों को ठीक से कार्यान्वयन करने हेतु जोर देने का कहा। राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक पत्राचार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि राजभाषा का प्रचार प्रसार करने में योगदान दें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमृतसर की बैठक दिनांक 28.10.2015 को अध्यक्ष नराकास अमृतसर श्री एस जे सिंह प्रधान आयकर आयुक्त, अमृतसर की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि अंग्रेजी आज अंतराष्ट्रीय भाषा है, परंतु अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रत्येक भारतीय या तो अपनी मातृभाषा में अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है अथवा हिंदी में। उन्होंने हिंदी में कार्य करने में हिचकिचाहट छोड़ने की प्रेरणा देते हुए निजी स्तर पर हिंदी में कार्य करने हेतु प्रण लेने को कहा।

'क' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिमला की बैठक

दिनांक 29.10.2015 को उपाध्यक्ष, नराकास शिमला श्री एच॰सी॰ नेगी प्रधान आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें स्वयं को हिंदी में कार्य करने हेतु संवेदनशील होना पड़ेगा तभी आदेशों को लागू करने में सहायता मिलेगी। यदि हम स्वय अपना कार्य हिंदी में करेंगे तो हमारा स्टाफ भी हिंदी में कार्य करने हेतु उत्साहित होगा। उन्होंने हिंदी में आए पत्रों का जवाब हिंदी में ही देने को कहा।

नराकास, हाजीपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हाजीपुर की बैठक दिनांक 15.9.2015 को श्री एम॰ के॰ माथुर अपर महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर की अध्यक्षता में मुख्यालय प्रशासनिक भवन स्थिति सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस मौके पर अध्यक्ष श्री एम के माथुर ने राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया एवं सभी से इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।

कार्यशालाएं

'ग' क्षेत्र

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पांपोर

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय वेतन बोर्ड, पांपोर, जम्मू कश्मीर में दिनांक 4 दिसंबर, 2015 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ॰ भारतेंदु कुमार पाठक, सहायक प्राध्यापक, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर मुख्य अतिथि, विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे। कार्यालय के प्रथम सत्र में संस्थान के निदेशक सत्य प्रकाश शर्मा ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि संस्थान के हिंदी पत्राचार में वृद्‌धि एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी है, अनिवार्य रूप से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए डॉ॰ भूपेंद्र कुमार पाठक सहायक प्राध्यापक, कश्मीर विश्वविद्‌यालय श्रीनगर ने राजभाषा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा तो है ही, साथ ही व्यापार वाणिज्य एवं तकनीकी की भाषा भी होती जा रही है। आज यूनिकोड के द्‌वारा हम कंप्यूटर के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग कर सकते है।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद में दिनांक 7 दिसंबर, 2015 को लेक्चर हाल में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम प्रमुख श्री विजय शंकर ने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोग तो हिंदी समझते हैं परंतु बोलने मे कठिनाई महसूस करते हैं जिन्हें दूर करने के लिए यह हिंदी कार्यशाला बहुत उपयोगी होगी। उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला मोहम्मद कमलालुद्दीन ने कार्यशाला में व्याख्याता के रूप मे कहा की हिंदी कार्यशाला भाषा के रूप में हिंदी की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ कार्यालीन कामकाज के विशेष प्रयोगों के द्वारा तकनीकी शब्दाबली का अभ्यास करवाया जाता है।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, असम परिमंडल

पोस्टमास्टर जनरल परिमंडल कार्यालय, गुवाहाटी में दिनांक 26 नवंबर, 2015 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कर्याशाला में जनगणना निदेशालय कार्यालय गुवाहाटी स
एम॰ एस॰ चौहान ने हिंदी में उचित करावाई करने का कहा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उड़ीसा

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उड़ीसा कार्यालय में दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 से 20 अक्टूबर, 2015 तक पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्‌घाटन उप महालेखाकार श्री जी॰ एस॰ सूर्यवंशी ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि कार्यशाला की सभी कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लें ताकि प्रशिक्षण के बाद अन्हें अपने-अपने विभागों के कामकाज में हिंदी में टिप्पणियों का प्रारूप लिखने में मदद मिल सके।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हासन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हासन में 5 नवंबर, 2015 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर

डॉ॰ शंकर कुमार, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजभाषा हिंदी को किस तरह हम अपने प्रशासनिक एवं दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रायोगिक अभ्यासों के माध्यम से हिंदी को नेमी कार्य में शामिल करने का विशेष प्रशिक्षण दिया।

एम॰ एम॰ डी॰ सी॰ लिमिटेड, हैदराबाद

एम॰ एम॰ डी॰ सी॰ लिमिटेड, हैदराबाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को श्री संदीप तुला अधिशाषी निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे निगम के सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में श्री रूद्रनाथ मिश्र, महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव द्वारा व्याख्यान दिए गए।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग

राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान आयकर आयुक्त श्री एल॰ सी॰ जोशी की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर, 2015 को हिंदी कार्याशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में फाइलों पर छोटी-छोटी टिप्पणियों को यथा संभव हिंदी में ही लिखने पर जोर दिया गया। श्री एल॰ सी॰ जोशी ने कहा कि राजभाषा के प्रचार प्रसार में इस तरह की कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद में दिनांक 9-11 सितम्बर 2015 को हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े 2015 का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी, हैदराबाद सहित कई विभागों ने भाग लिया। कार्यशाला में श्री कमालुद्दीन वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक ने व्याख्यान दिया।

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कोलकाता में दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को श्री आर॰ डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में भारत सरकार की राजभाषा नीति विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्र शुरू करने के पहले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पीछे के कारण, हिंदी और राजभाषा का तुलनात्मक विवरण समेत राजभाषा का कार्यान्वयन व स्वरूप, कार्यालय में प्रयोग होने वाले तकनीकी/पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए कार्यालयीन मसौदा और टिप्पणी के प्रकारों को सविस्तार उदाहरण देकर समझाया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पांपोर

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पांपोर, जम्मू कश्मीर में दिनांक 28 सितम्बर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशला के प्रारम्भ में श्रीमती असमत जान सहायक निदेशक (कंप्यूटर) एवं हिंदी अनुभाग प्रभारी ने निदेशक महोदय, अतिथि व्याख्याता एवं उपस्थित समस्तअधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत किया। उसके बाद श्रीमती (डा॰) मृदुला सिन्हा, राज्यपाल गोवा द्वारा स्वरचित एवं राजभाषा विभाग द्वारा संस्तुत **''हिंदी भारत माता की बिंदी''** गीत का संगीतमय ऑडियो सभी को सुनाया। संस्थान के निदेशक डाक्टर सत्य प्रकाश शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्थान में हिंदी के कार्यों में प्रगति तो हुई है मगर अभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने सभी अनुभाग प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अनुभागों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, आंध्र प्रदेश

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में दिनांक 2 दिसम्बर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री कमालुद्दीन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय तेलंगाना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, तेलंगाना हैदराबाद में दिनांक 9 दिसम्बर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री कमालुद्दीन प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, सिकंदराबाद के साथ – साथ श्री आर॰ के॰ चौधरी राज्य निदेशक, श्री टी॰ आर॰ वी॰ प्रसाद, आर्थिक अधिकारी तथा कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री आर॰ के॰ चौधरी ने कहा कि वांछित प्रगति लाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।

आयुध निर्माणी, भंडारा

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की इकाई आयुध निर्माणी, भंडारा में वर्ष के दौरान पूर्ण साप्ताहिक पांच हिंदी कार्यशालाएं अलग–अलग तिमाहियों में आयोजित कराई गई। श्री एस॰के॰ शर्मा सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री सूरजभान, वरिष्ठ अनुवादक, श्री अमरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अुनवादक एवं श्री जे डब्ल्यू कनिष्ठ अनुवादक द्वारा व्याख्यान दिया गया। अतिथियों ने निर्माणी में राजभाषा कार्बन क्षेत्र के हर पहलू पर हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने पर जोर देने को कहा।

'ख' क्षेत्र

भारी पानी सयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी सयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न अनुभागों के कई अधिकारियों/कर्मचारियो ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी श्री के॰ के॰ डांगे ने बताया कि हम आशा करते हैं कि इस कार्यशाला से सीख कर आप अपने दैनंदिन कार्यों में हिंदी का अधिक प्रयोग करेंगें तथा हिंदी को बढ़ाने में अपना सहायेग देंगे। समापन समारोह में महाप्रबंधक महोदय श्री वी॰ के॰ एम॰ पार्थिबन ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि इस कार्यशाला में आप को दी गई विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी का लाभ उठाएं और अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें तथा अपने सहयोगियों से भी इसे साझा करें ताकि हम सयंत्र में राजभाषा को उसका उचित स्थान दिलाने में सफल हो सके।

राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थान, अहमदाबाद

राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थान, अहमदाबाद में दिनांक 29 दिसंबर 2015 को संस्थान के संगोष्ठी कक्ष में कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग संबंधी बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थान में राजभाषा हिंदी के अनिवार्य रूप से अनुपालन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नामक विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षीय अभिभाषण में संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री एस॰ के॰ गौतम ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सभी को कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थान में राजभाषा हिंदी के अनिवार्य रूप से अनुपालन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा से ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी जिससे अपना दैनिक कार्य हिंदी में करने में आसानी होगी।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में दिनांक 29 सितंबर 2015 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला उद्घाटन के अवसर पर श्रीमती वर्षा विनायक भोसेकर ने अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में दिनांक 15 सितंबर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान सर्व प्रथम प्रयोगशाला की हिंदी अधिकारी श्रीमती स्वाति चढ्ढा ने हिंदी कार्यशाला आयोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात् आमंत्रित व्याख्याता डॉ॰ ओंकार नाथ शुक्ला ने राजभाषा नीति, अधिनियमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दिन–प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सरल रूप से किया जा सकता है।

सीएसआईआर–राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे

सीएसआईआर–राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे में दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को संस्थान के उपनिदेशक डॉ॰ विवेक वी॰ रानडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान में यह प्रतिशत भारत सरकार के राजभाषा विभाग के द्वारा दिए गए आंकड़ों से अत्यंत कम है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि **एनसीएल** में सभी प्रभाव अनुभाग प्रमुखों द्वारा हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के उपायों पर अमल करना अत्यंत जरूरी है तभी यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

'क' क्षेत्र

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड सहसपुर, देहरादून में दिनांक 28 सितंबर 2015 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला म

श्री दिवाकर डोंडियाल ने मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि किसी भी भाषा के सही प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण की जानकारी होनी आवश्यक है अन्यथा हम उस भाषा के संदेश से परिचित नहीं हो पाएंगे। जहां तक कार्यालयीन हिंदी भाषा का संबंध है इसके लिए हमें विस्तृत व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि कार्यालय में हिंदी में कामकाज करने के लिए हमें क्रिया, कारक, लिंग, वचन इत्यादि के सही प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। हिंदी भाषी कार्मिकों को इसमें कठिनाई नहीं होती किंतु गैर हिंदी भाषी कार्मिकों को जानकारी के अभाव में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि हम हिंदी का थोड़ा बहुत व्याकरण सीख लें तो हमें कार्यालयीन कार्य करने में सुगमता हो जाएगी। व्याख्यान के अंत में उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अभ्यास भी करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी डॉ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषी होते हुए भी हमें हिंदी के सही रूप के प्रयोग की जानकारी नहीं है। इस प्रकार की जानकारी हिंदी कार्यशाला से ही प्राप्त होती है और हमें इस प्रकार कि कार्यशालाओं में पूरे मन से प्रतिभागिता करनी चाहिए तथा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसकी झलक हमारे कार्यालय के कार्यों में दिखे।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली में दिनांक 16.12.2015 को ''विषय प्रवेश सह प्रेरणा'' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला में दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली में नवनियुक्त अभियांत्रिकी सहायकों सहित अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उप महानिदेशक श्री श्याम नारायण सिंह ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने हेतु प्रेरित किया। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी ने अपने प्रेरणादाई उद्बोधन में अनेक सारगर्भित तथ्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने वैश्विक परिदृश्य सहित भारत में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डाला। श्री श्याम नारायण सिंह ने कहा कि दूरदर्शन का संबंध जनसामान्य से है और आम जनता से इस संपर्क को और पुख्ता बनाने के लिए हमें उनकी भाषा से जुड़ना होगा। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारतीय भाषाओं खासकर हिंदी भाषा में एक बड़ा बाजार देख रही हैं। यही कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में काम कर रही है। अभियांत्रिकी सहायक के लिए विशेष रूप से आयोजित इस कार्यशाला में श्री सिंह ने कहा कि अभियंताओं को विपरण की भाषा, विज्ञापन की भाषा और संगठन की कार्य प्रणाली से परिचित होना चाहिए। इन सब में हिंदी की भूमिका अहम है।

केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रांची में दिनांक 2 दिसंबर 2015 को निदेशक प्रभारी व वैज्ञानिक डी श्री संजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उदयपुर

महाराणा प्रताप विमानपत्तन प्राधिकरण, उदयपुर में 19 नवंबर 2015 को एक द्विवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय निदेशक महोदय द्वारा अपने उद्घाटन

संबोधन में प्रतिभागी कार्य मित्रों से कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया गया। आमंत्रित व्याख्याता श्री विजय सिंह चौहान पूर्व राजभाषा अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवं निवर्तमान निदेशक (प्रशासन) प्रथम सत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों में हिंदी का प्रयोग एवम विधिशास्त्र में हिंदी में सामान्य अशुद्धियों से कैसे बचें' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना के तत्वावधान में दिनांक 3 सितंबर 2015 को हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में पद स्थापित अधिकारियों ने भाग लिया। अंचल प्रमुख श्री अरविंद कुमार कंठवाल व उप अंचल प्रमुख श्री जी॰ के॰ सिन्हा की गरिमामय उपस्थिति में महाप्रबंधक व सर्किल प्रमुख श्री अनिल कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर ग्राहक सेवा एवं व्यवसाय संवर्धन के लिए ग्राहकों के साथ उनके स्तर के अनुरूप तथा उनकी भाषा में संवाद करना आवश्यक है। इस दृष्टि से 'क' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने निर्देश दिया कि हमें राजभाषा हिंदी में कार्य को वास्तविक धरातल पर उतारने की आवश्यकता है तभी हिंदी कार्यशाला की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी हमारे देश की अस्मिता है तथा राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारी संवैधानिक बाध्यता तथा व्यावसायिक आवश्यकता है। हिंदी में कार्य करना आसान है। हमारे बैंक में हिंदी का प्रयोग हो भी रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप, उदयपुर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप, उदयपुर में 19 नवंबर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय निदेशक महोदय द्वारा उद्घाटन संबोधन में प्रतिभागी कार्मिकों से कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। आमंत्रित व्याख्याता श्री विजय सिंह चौहान पूर्व राजभाषा अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवं निवर्तमान निदेशक (प्रशासन) द्वारा प्रथम सत्र में 'कार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों में हिंदी का प्रयोग एवं द्वितीय सत्र में हिंदी में सामान्य अशुद्धियों से कैसे बचें' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों का निवारण करते हुए कार्यशाला में उपस्थित कार्मिकों से तत्संबंधी अभ्यास कार्य कराया।

केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड नगड़ी, रांची में श्री संजीव कुमार सिन्हा निदेशक प्रभारी व वैज्ञानिक-डी की अध्यक्षता में दिनांक 2 दिसंबर 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यशाला में श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

पुरस्कार, प्रशिक्षण व पाठकों के पत्र

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रसून जोशी को महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान

बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकिंग उद्योग जगत में एक नई पहल करते हुए अपने संस्थापक महाराजा सयाजीराव गायकवाड की स्मृति में महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान की शुरुआत की है। बैंक ने अपने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में आयोजित समारोह में प्रख्यात कवि गीतकार श्री प्रसून जोशी को यह सम्मान प्रदान किया। सम्मान स्वरूप श्री जोशी को एक लाख एक हजार रुपए का चेक तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार ने की। इस अवसर पर श्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भाषा केवल भाषा नहीं होती बल्कि संस्कृति की परिचायक होती है।

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड मोदी रोड नई दिल्ली

नवी मुबंई नराकास के तत्वधान में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के सहयोग से कार्यालय में रोचक प्रसंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नराकास के लगभग 45 सदस्य कार्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में श्री एन॰ के॰

सोमसुंदरन महाप्रबंधक हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड के कर कमलों से विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

पाठकों के पत्र

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रिका राजभाषा भारती 142 अंक कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजभाषा के अंक द्वारा हिंदी की प्रगति के स्रोत और प्रणाली देखने को मिलती है जो सभी कार्यालयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पत्रिका को समय-समय पर प्रकाशित होना समृद्धि और सफलता को दर्शाता है।

श्री के॰ के॰ बरूआ, सचिव, कोलकता डाक लेबर बोर्ड

राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती का अंक 141 अक्टूबर-दिसंबर 2014 की प्रति साभार प्राप्त हुई। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उच्च कोटि की एवं ज्ञानवर्धक हैं। तस्वीरों के द्वारा राजभाषा समारोह 15 नवंबर 2014 की विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन बहुत की आकर्षक बन पड़ा है जो तात्कालिक दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। पत्रिका को दीर्घायु प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना के साथ पत्रिका परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजकोट, गुजरात

राजभाषा भारती का अंक 142 प्राप्त हुआ। पत्रिका की प्रति भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रिका में शामिल लेखों के समावेश ने पत्रिका के स्तर को निसंदेह नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। पत्रिका में फोटो के स्तर में सुधार करके पत्रिका को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। आगामी अंक के लिए मेरी शुभकामनाएं।

श्री विजय कुमार मिश्र सीमा सड़क महानिदेशालय, नई दिल्ली

आपके विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका बेहद ज्ञानवर्धक है जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधित कार्य की गतिविधियों हेतु अनुकरणीय सामग्री तथा पठन पाठन की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पत्रिका में शामिल लेख उच्चस्तरीय तो हैं ही, जानकारी देने वाले भी हैं।

श्री बी॰ पट्टनायक संयुक्त महाप्रबंधक प्रशासन आयुध निर्माणी बोर्ड इटारसी, मध्य प्रदेश

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च 2015 अंक 142 प्राप्त हुआ। अंक में समायोजित सामग्री महत्वपूर्ण है। हिंदी की वर्तमान दशा पर चर्चा की गई है जो बेहद आवश्यक भी है। डॉ॰ टी॰ महादेव राव, श्रुतिकांत पांडे, मेजर गौरव, डॉ॰ वासुदेव की रचनाएं हिंदी के प्रति चिंता दर्शाती हैं। डॉ॰ आर॰ पी॰ एस॰ चौहान की रचना विशेष उल्लेखनीय है। सोभना जैन और राकेश शर्मा निशित के व्यक्तित्व विशेष लेखों के द्वारा अंक में विविधता का समावेश हुआ है। लोक रुचि साहित्य और संस्कृति की विषय सामग्री का दायरा थोड़ा बड़ा कर सकें तो बेहतर होगा। मंगल कामनाओं के साथ।

चित्रेश

आपके संस्थान की प्रकाशित पत्रिका राजभाषा भारती की मेलिंग सूची में बने रहने के लिए हम अपनी सहमति प्रदान करते हैं और यह भी सूचित करते हैं कि त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का 142 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित लेख उत्तम हैं। आपको बधाई एवं शुभकामनाएं।

डी॰ के॰ तिवारी

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल

राजभाषा भारती का अंक 142 प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित लेख बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका की प्रति भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका में शामिल लेखों के समावेश ने पत्रिका के स्तर को निसंदेह नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।

शान्ति ध्रुव, हिंदी अधिकारी, हिंदुस्तारन इंसेक्टिसाइड मिमिटेड मोदी रोड नई दिल्ली।

❑

पं॰ सं॰ 3246/77

आई एस एम एन

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम

''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
	दूरभाष: 011–23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
	संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ॰ धनेश द्विवेदी घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह॰/–

प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग —भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलन कर उद्घाटन करते हुए माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू।

पं. सं. 3247/77
आई एस एम एन 0970-9398

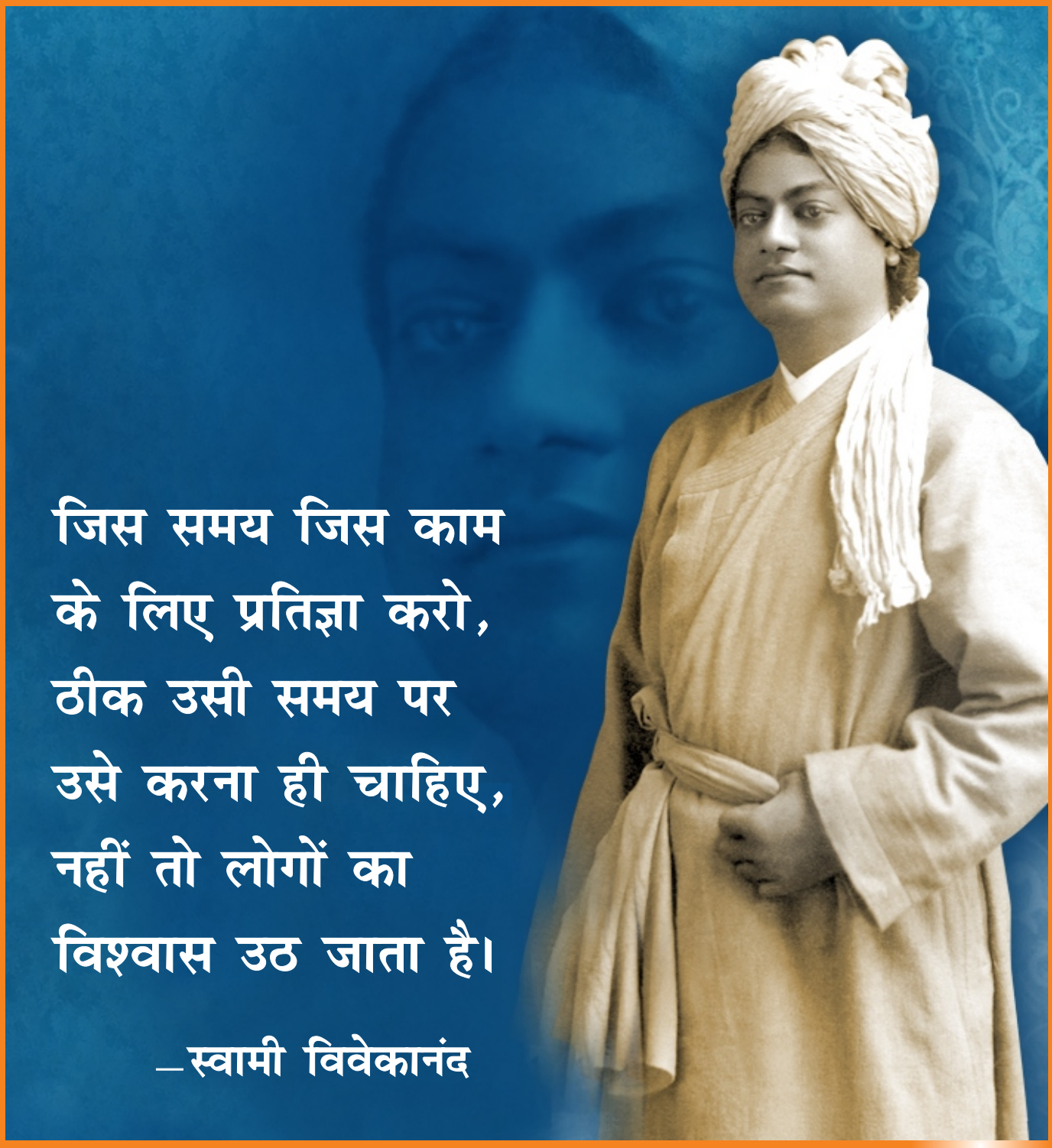

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली-110003
के लिए डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा
महाप्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, द्वारा मुद्रित